

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

अगस्त, 2020 सत्र

मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त, 2020

तारांकित प्रश्नोत्तर

बिलासपुर जिले में नलकूप खनन का लक्ष्य एवं पूर्ति

1. (*क्र. 356) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में 2019-20 में नलकूप खनन के कितने लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ? (ख) खनन का कार्य किस एजेंसी द्वारा किया गया और लक्ष्य के विरुद्ध कितने खनन हुए ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) बिलासपुर जिले में वर्ष 2019-20 में 316 नलकूप खनन के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे. (ख) नलकूप खनन का कार्य विभागीय मशीनों द्वारा किया गया है और 316 लक्ष्य के विरुद्ध 259 नलकूप खनन किये गये हैं.

नवा रायपुर (अटल नगर) के ग्राम पौता एवं चेरिया में डामरीकृत सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

2. (*क्र. 389) श्री धनेन्द्र साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नवा रायपुर (अटल नगर) के ग्राम पौता एवं चेरिया ग्राम के लिए डामरीकृत सड़क के निर्माण हेतु कितनी राशि की स्वीकृति कब प्रदान की गई है ? यदि राशि स्वीकृति नहीं की गई है, तो किस कारणों से ? तथा कब तक स्वीकृति जारी की जावेगी ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम पौता एवं चेरिया के लिए सड़क निर्माण हेतु आई. आई. एम. के बाउंड्रीवाल के बाहर से प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित तृतीय चरण सड़क निर्माण कार्य के अंतर्गत लिये गये सड़कों में शामिल किया गया था. प्राधिकरण द्वारा नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आई. आई. एम. मुख्य द्वार से ग्राम पौता तक आई. आई. एम. की बाउन्ड्री से बाहर मुख्य सड़क का निर्माण प्राधिकरण के स्वयं के व्यय से किया गया है. डामरीकरण का कार्य शेष है. उक्त कार्य हेतु बजट वर्ष 2018-19 में शामिल कार्यों की समयावधि दिनांक 31.3.2020 को समाप्त हो जाने के कारण इस कार्य को पुनः वर्ष 2020-21 के प्रथम अनुपूरक बजट में शामिल किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

नारायणपुर विधानसभा में नलजल/स्थल जल योजना की स्वीकृति

3. (*क्र. 184) श्री चंदन कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में कुल कितनी नलजल/स्थल जल एवं पेयजल योजना कहां-कहां स्वीकृत की गई है ? स्वीकृत में कितनी पूर्ण हुईं एवं कितनी अपूर्ण हैं ? प्रत्येक योजना की लागतवार जानकारी दें ? (ख) अपूर्ण योजनाओं के अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं ? (ग) क्या पूर्ण हुईं योजनाओं को ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को हैण्ड ओव्हर कर दिया गया है एवं कितने में वर्तमान में जल की आपूर्ति की जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018 से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में कुल 33 नलजल योजना, स्थल जल प्रदाय योजना निरंक तथा 07 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना व 490 हैण्डपंप खनन की पेयजल योजना की स्वीकृत की गई. ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” के कॉलम 3 में दर्शित अनुसार है. उपरोक्त स्वीकृत

योजनाओं की पूर्ण एवं अपूर्ण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	पेयजल योजना का विवरण (2)	स्वीकृत संख्या (3)	पूर्ण (4)	अपूर्ण (5)
1.	नलजल प्रदाय योजना	33	5	28
2.	स्थल जल प्रदाय योजना	0	0	0
3.	सोलर आधारित जल प्रदाय योजना	7	0	7
4.	हैण्डपम्प योजनाएं	490	478	12

नलजल योजना की लागतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” के कॉलम 5 में दर्शित अनुसार है.स्थल जल योजना की लागतवार जानकारी निरंक है. सोलर आधारित जल प्रदाय योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” के कॉलम 12 में दर्शित अनुसार है. हैण्डपम्प योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“स” के कॉलम 7 में दर्शित अनुसार है. (ख) अपूर्ण योजनाओं में 28 नलजल प्रदाय योजनाएं अपूर्ण है परन्तु योजना हेतु स्वीकृति निर्धारित लक्षित समयावधि शेष है, 07 सोलर पावर पम्प स्थापना हेतु नाबाई ऋण की स्वीकृति व आबंटन विलम्ब से प्राप्त होने के कारण तथा स्वीकृत हैण्डपंपों में से 12 कार्य अपूर्ण है जो प्रस्तावित कार्य स्थल पहुंच अयोग्य के कारण योजना अपूर्ण है. योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” के कॉलम 11 में दर्शित तथा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” के कॉलम क्रमांक 15 में तथा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“स” के कॉलम 11 में दर्शित है. (ग) पूर्ण की गई 05 नलजल प्रदाय योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायतों को हैण्ड ओव्हर की जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है एवं वर्तमान में पूर्ण 478 हैण्डपम्प योजनाओं से जल आपूर्ति की जा रही है.

वनमंडल राजनांदगांव में संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से संपादित कार्य

4. (*क्र. 225) श्रीमती **छन्नी चन्दू साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव वन मंडल के वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सर्किलों में 01 अप्रैल, 2019 से 30 अप्रैल, 2020 तक कितने कार्य कराये गये ? क्या सभी कार्य संयुक्त प्रबंधन समितियों के माध्यम से हुए या विभाग द्वारा संपन्न कराये गये ? परिक्षेत्रवार बताएं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : राजनांदगांव वनमण्डल के वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सर्किलों में 01 अप्रैल, 2019 से 30 अप्रैल, 2020 तक कुल 584 कार्य कराये गये. सभी कार्य वन विभाग, राजनांदगांव द्वारा संपन्न कराये गये. विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला रायगढ़ में उद्योगों द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन

5. (*क्र. 252) श्री **प्रकाश शंकाजीत नायक** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 से 31.07.2020 तक रायगढ़ जिले में खनन तथा उद्योग स्थापना हेतु कितने उद्योगों द्वारा कुल कितनी वनभूमि व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया गया है ? उद्योगवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार कुल कितने उद्योगों का वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण लंबित है ? (ग) उद्योगों द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल कितनी निजी एवं शासकीय भूमि वन विभाग को प्रदान की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वर्ष 2017-18 से 31.07.2020 तक रायगढ़ जिले में रायगढ़ वनमण्डल के अंतर्गत खनन तथा उद्योग स्थापना हेतु 4 उद्योगों द्वारा कुल 1121.420 हे. एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल के अंतर्गत 1 उद्योग द्वारा 55,850 हे. कुल 5 उद्योगों द्वारा 1177.270 हे. वनभूमि व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया गया है. उद्योगवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांक “क” के अनुसार 5 उद्योगों का वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण लंबित है. प्रकरणवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) उद्योगों द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कोई निजी एवं शासकीय भूमि वन विभाग को प्रदान नहीं की गई है.

जिला धमतरी में सिंचाई हेतु प्राप्त अस्थाई स्थायी कनेक्शन के आवेदनों का निराकरण

6. (*क्र. 1) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में विद्युत विभाग के पास 1 जनवरी, 2019 से 31 मार्च एवं 1 अप्रैल से 4.7.2020 तक सिंचाई पंप हेतु कितने स्थाई एवं अस्थाई कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त हुए? कितने कृषकों को सिंचाई पंप हेतु स्थाई एवं अस्थाई कनेक्शन प्रदान किये गये ? कितने लंबित है ? लंबित होने के कारण एवं कब तक विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिया जावेगा ? (ख) धमतरी जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितने अस्थाई कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन करने हेतु कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ था ? एवं कितने को प्रदान कर दिया जावेगा ? (ग) कितने ऐसे किसान हैं जिनके द्वारा डिमांड राशि जमा करने के बाद भी उन्हें स्थाई कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में धमतरी जिले में विद्युत सिंचाई पंप हेतु स्थायी एवं अस्थायी कनेक्शन के प्राप्त, जारी किये गये एवं लंबित आवेदनों के संख्या की अवधिवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. वित्तीय संशाधन की उपलब्धता अनुसार जिलों के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं आवेदनों की वरियता क्रमानुसार विद्युत लाईन विस्तार कार्य पूर्ण कर लंबित आवेदनों के विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने का प्रयास है. कार्य पूर्णता की समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है. (ख) अस्थायी कनेक्शनधारी आवेदकों द्वारा स्थायी कनेक्शन हेतु औपचारिकता पूर्ण करने एवं तकनीकी साध्यता के आधार पर स्थायी कनेक्शन जारी किया जाता है. अतः अस्थायी कनेक्शन को स्थायी कनेक्शन में परिवर्तित करने हेतु लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया जाता है. वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 में 550 कृषकों द्वारा अस्थाई कनेक्शन को स्थायी कनेक्शन में परिवर्तित करने हेतु औपचारिकता पूर्ण की गयी है जिसमें से 105 अस्थायी कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित किया गया है. (ग) धमतरी जिले में दिनांक 04.07.2020 की स्थिति में स्थायी कनेक्शन प्राप्त करने हेतु 1,244 किसानों द्वारा डिमांड राशि का भुगतान कर औपचारिकता पूर्ण किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

जिला गरियाबंद को जिला खनिज न्यास निधि (डी.एम.एफ.) से प्राप्त राशि

7. (*क्र. 309) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले में 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक जिला खनिज न्यास निधि (डी.एम.एफ.) फंड से कितनी राशि किस-किस विभाग को किन-किन कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है ? उक्तानुसार जारी राशि हेतु शासी परिषद की स्वीकृति कब-कब प्राप्त की गई ? संबंधित विभागों द्वारा उक्तानुसार राशि में कितनी राशि व्यय की गई है एवं कितना भुगतान शेष है ? विभागवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार उपलब्ध कराई गई राशि के संबंध में क्या-क्या शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई हैं व उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) प्रश्नांश “क” अनुसार उपलब्ध कराई गई राशियों में विभागों के द्वारा क्या भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों व किन कार्यों में नहीं किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) गरियाबंद जिले में 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक जिला खनिज न्यास निधि (डी.एम.एफ.) फण्ड से राशि 267.21 लाख रुपये स्वीकृत किये गये. विभागवार स्वीकृत कार्य, शासी परिषद की स्वीकृति तिथि, कार्यवार व्यय की गई राशि एवं भुगतान हेतु शेष राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कालम (2) (3) एवं (5) से (7) में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार उपलब्ध कराई गई राशि के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) जी हां. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

राजनांदगांव में नल कूप हेतु सामग्री की खरीदी

8. (*क्र. 276) **श्री मुनेश्वर शोमाराम बघेल** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राजनांदगांव को वर्ष 2016-2017 से 30 सितंबर, 2019 तक नए नलकूप एवं पुराने में लगने वाले सामग्री की प्राप्ति, प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय से कितनी मात्रा में प्राप्त हुई व कितनी खरीदी जिला स्तर पर की गयी ? (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार प्राप्त व क्रय की गई सामग्री की जानकारी सामग्रीवार निर्मातावार मात्रा व संबंधित फर्म का उल्लेख करते हुए भुगतान की गई राशि की जानकारी देवे? किन-किन सामग्री का उपयोग डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कहां कहां किया जाना है ? विकास खंडवार स्थलवार जानकारी देवे?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजनांदगांव द्वारा वर्ष 2016-2017 से 30 सितंबर 2019 तक नये नलकूप एवं पुराने में लगने वाले सामग्री की प्राप्ति, प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय से कितनी मात्रा में प्राप्त हुई व कितनी खरीदी जिला स्तर पर की गई, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है. (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार प्राप्त एवं क्रय सामग्री की जानकारी सामग्रीवार, निर्मातावार, मात्रा एवं संबंधित फर्म का उल्लेख करते हुये भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमशः कॉलम क्रमांक-4, 2, 5 एवं 6 में दर्शित अनुसार है. सामग्री का उपयोग डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु जहां-जहां आवश्यकता होगी वहां उपयोग किया जावेगा. हैण्डपंप संधारण कार्य एक सतत् प्रक्रिया के तहत किया जाता है

तथा हैपडपों के सुधार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सामग्री का उपयोग किया जाता है. अतः भविष्य में कहां-कहां सामग्री का उपयोग किया जाना है-विकासखण्डवार, स्थलवार जानकारी दिया जाना संभव नहीं है.

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन

9. (*क्र. 99) **श्री संतराम नेताम**: क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग अंतर्गत प्रदेश में किन-किन अधिकारियों के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु छानबीन समिति/न्यायालय अथवा अन्य समितियों के समक्ष लंबित है ? अधिकारियों के नाम, पदनाम, वर्तमान पद स्थापना की स्थिति तथा संबंधितों की सेवा निवृत्ति की तिथि की जानकारी प्रदान करते हुए संबंधितों की उक्त प्रकरण जाति सत्यापन हेतु किस-किस तिथि को भेजे गये ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा में होने अथवा शासकीय सेवा का लाभ प्राप्त करने की पुष्टि होने के पश्चात् उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत नौ अधिकारियों के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु छानबीन समिति/न्यायालय अथवा अन्य समितियों के समक्ष प्रकरण लंबित है. अधिकारियों के नाम, पदनाम, वर्तमान पदस्थापना की स्थिति, संबंधितों के सेवानिवृत्ति की तिथि की जानकारी तथा प्रकरण जाति सत्यापन हेतु किस-किस तिथि को भेजे हैं की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है. (ख) प्रश्नांक “क” के अनुसार किसी अधिकारी के विरुद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा में होने अथवा शासकीय सेवा का लाभ प्राप्त करने की पुष्टि होने के पश्चात् की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार है.

सचिवालयीन सेवा के शीघ्रलेखक संवर्ग की सांख्येत्तर पद का सृजन

10. (*क्र. 146) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है, कि छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा के शीघ्रलेखक संवर्ग के संविलियन निज सचिवों की अवरुद्ध पदोन्नति हेतु एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निज सचिव के 19 पद को स्टॉफ ऑफिसर के सांख्येत्तर पद के रूप में सृजित कर पदोन्नति प्रदान की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जी हां. यह सही है कि छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा के शीघ्रलेखक संवर्ग के संविलियन निज सचिवों की अवरुद्ध पदोन्नति हेतु एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निज सचिव के 19 पद को स्टॉफ ऑफिसर के सांख्येत्तर पद के रूप में सृजित कर पदोन्नति प्रदान की गई है.

रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तरदा स्थित शासकीय पत्थर खदानों में राखड़ पाटने का कार्य

11. (*क्र. 374) **श्री ननकौराम कंवर** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला के रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तरदा स्थित शासकीय पत्थर खदानों में राखड़ पाटने का कार्य शासन के किन दिशा निर्देशों के तहत किया जा रहा है ? (ख) उक्त खदानों में राखड़ पाटने के लिये किन-किन विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है ? (ग) उक्त खदानों में किस संयंत्र के द्वारा राखड़ डाला जा रहा है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कोरबा जिला के रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तरदा स्थित शासकीय पत्थर खदानों में राखड़ पाटने का कार्य भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन परिपत्र दिनांक 28.08.2019 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के आधार पर किया जा रहा है. (ख) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा, जिला-कोरबा के द्वारा उक्त खदान में राखड़ पाटने की अनुमति प्रदान की गई है. (ग) उक्त खदान में मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, पोस्ट-बालको नगर, जिला-कोरबा की राखड़ का भराव किया जा रहा है.

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बसनी में बॉक्साइड क्रशिंग एवं मंडारण हेतु प्रदत्त अनुज्ञा

12. (*क्र. 316) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड ग्राम बसनी में किस-किस फर्म/व्यक्ति को बॉक्साइड क्रशिंग करने एवं मंडारण करने हेतु कब-कब अनुज्ञा पत्र जारी किया गया? नाम सहित जानकारी दें? (ख) क्या अनुज्ञा दिये गये फर्म/व्यक्ति की भूमि औद्योगिक डायवर्सन की गई है एवं पर्यावरण विभाग से बॉक्साइड क्रशिंग करने एवं मंडारण करने की जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश "ख" के अंतर्गत डायवर्सन नियमानुसार नहीं किया गया है, तो फर्म एवं व्यक्तियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बेमेतरा (छ.ग.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बेमेतरा के ग्राम बसनी में श्री नवीन प्रसाद कंदोई फर्म मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट को प.ह.नं. 34 खसरा नं. 154/1 एवं 155 रकबा 1.132 हेक्टेयर पर खनिज बॉक्साइड के मंडारण हेतु जारी अनुज्ञापत्र का विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ग्राम बसनी तहसील व जिला बेमेतरा में बॉक्साइड के क्रशिंग एवं बॉक्साइड के मंडारण हेतु मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को क्रशिंग कार्य हेतु स्टोन क्रश डमता 5,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष बॉक्साइड मंडारण डमता 31,130 मीट्रिक टन (एक समय पर) हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पृथक-पृथक सम्मति क्रमशः दिनांक 06.10.2016 एवं दिनांक 05.07.2017 को दी गई है। (ख) कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-बेमेतरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार प.ह.नं. 34 ग्राम बसनी के खसरा क्रमांक 154/1 में डायवर्सन कलेक्टर बेमेतरा के रा.प्र.क्र. 15/अ-2/वर्ष 2014-15 के आदेश दिनांक 16.09.2015 के अनुसार व्यवसायिक (गोदाम) प्रयोजनार्थ हेतु कलेक्टर बेमेतरा द्वारा किया गया। इसी तरह प.ह.नं. 34 ग्राम बसनी के खसरा क्रमांक 155 का टुकड़ा में डायवर्सन कलेक्टर बेमेतरा के रा.प्र.क्र. 15/अ-2/वर्ष 2015-16 के आदेश दिनांक 02.05.2016 के अनुसार आवासीय सह व्यवसायिक प्रयोजनार्थ हेतु कलेक्टर बेमेतरा द्वारा किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला बेमेतरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर, बेमेतरा द्वारा रा.प्र.क्र. 23अ/2 वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2017 के अनुसार ग्राम बसनी प.ह.नं. 34 में स्थित भूमि खसरा नं. 150, 151/2, 154/5, 154/6 एवं 154/7 रकबा क्रमशः 0.240, 0.760, 0.110, 0.110, 0.120 हेक्टेयर कुल खसरा नं. 05 कुल रकबा 1.340 हेक्टेयर मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गणेश प्रसाद कंदोई पिता मनमल कंदोई ग्राम बसनी के नाम पर औद्योगिक (केशर प्लांट) हेतु व्यपवर्तन किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ग्राम बसनी तहसील एवं जिला बेमेतरा में बॉक्साइड के क्रशिंग एवं बॉक्साइड के मंडारण हेतु मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को क्रशिंग कार्य हेतु स्टोन क्रश डमता-5,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष एवं बॉक्साइड मंडारण डमता-31,130 मीट्रिक टन (एक समय पर) हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पृथक-पृथक सम्मति क्रमशः दिनांक 08.10.2016 एवं दिनांक 05.07.2017 को दी गई है। (ग) डायवर्सन नियमानुसार किया गया है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत निर्माणाधीन वन धन शेड

13. (*क्र. 129) **श्री राजमन बेजाम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रांतर्गत किन-किन स्थानों पर वन धन शेड का निर्माण किया जा रहा है? निर्माण की लागत राशि कितनी है? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांक "क" के संदर्भ में वन धन शेड निर्माण का मापदंड क्या है? क्या इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो कब-कब और किन-किन निविदाकारों ने इसमें भाग लिया था?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकास खण्डवार वन धन शेड के निर्माण स्थल एवं लागत निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	निर्माण स्थल	लागत (रु. लाख में)
1.	लोहण्डीगुड़ा	धुरागांव	19.06
2.	बस्तानार	किलेपाल	19.06

(ख) वन धन शेड निर्माण का कार्य निर्धारित मानक प्रावकलन अनुरूप किया जा रहा है। इस कार्य हेतु बुलाई गई निविदा का दिनांक एवं भाग

लिए निविदाकारों का नाम निम्नानुसार है :-

क्र.	सामग्री विवरण	निविदा दिनांक	निविदा में भाग लिए निविदाकारों के नाम
1.	ईट, सीमेंट, रेत, छड़, गिट्टी, बाईंडिंग तार, तार खिला.	19-11-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. भूपेश सोमानी, जगदलपुर 2. श्री अंजनी पुत्र ट्रेडर्स, जगदलपुर 3. सिद्धार्थ सीमेंट मार्केटिंग, जगदलपुर 4. आर.एन.वी. इंटरप्राइजेस, जगदलपुर 5. ऋषभ ऐजेसी, नगरी 6. ललित जैन, नगरी 7. जय किसान कृषि केंद्र, जगदलपुर 8. अरोरा सीमेंट मार्केटिंग, जगदलपुर 9. मे. शशिकांत कंवर, जगदलपुर 10. एस.एस.एगो इंटरप्राइजेस, रायपुर 11. ओकाशू इंजीनियर्स कार्पो., रायपुर 12. साक्षी कार्पो., धमतरी 13. हैप्पी स्टील ट्रेडर्स, जगदलपुर 14. पोशन राम साहू, धमतरी 15. जब्बार खान, जगदलपुर 16. राजा सेल्स, जगदलपुर 17. जोशी इंटरप्राइजेस, जगदलपुर
2.	ट्रेस पर्लिन, प्रोफाइल शीट, रीज डोर विंडो.	28-07-2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. कारबिड्स सिविल लाईन वार्ड, जगदलपुर 2. हैप्पी स्टील, जगदलपुर 3. मे. अनिरुद्ध कुमार यदु, जगदलपुर 4. आशीष इंजीनियरिंग, जगदलपुर 5. एस. के. इंटरप्राइजेस, दुर्ग 6. रमनलाल जैन, राजनांदगांव 7. जे. के. कन्सट्रक्शन, जगदलपुर 8. राजा सेल्स, जगदलपुर.

अकलतरा तहसील में डोलोमाईट खनन की अनुमति

14. (*क्र. 35) श्री सौरभ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चाम्पा जिले के अकलतरा तहसील अंतर्गत ग्राम दर्राटांड और ग्राम रसेड़ा में किस-किस व्यक्तियों ने कब-कब डोलोमाईट खदान का आवेदन किसी निजी और सरकारी जमीन के खसरा पर आवेदन कब-कब दिया था ? (ख) उपरोक्त आवेदकों में से किस-किस व्यक्तियों को दिनांक 30.07.2020 तक कितनी अवधि के लिए डोलोमाईट खनन का पट्टा प्रदान किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) एवं (ख) जांजगीर-चाम्पा जिले के अकलतरा तहसील अंतर्गत ग्राम दर्राटांड में प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत डोलोमाईट उत्खननपट्टों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. ग्राम रसेड़ा, तहसील अकलतरा में खनिज डोलोमाईट आवेदनों की जानकारी निरंक है.

जिला गरियाबंद में वनों की अवैध कटाई के दर्ज प्रकरण

15. (*क्र. 347) **श्री अमितेश शुक्ला** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले में वनों की अवैध कटाई के कितने प्रकरण 01.01.2020 से 31.07.2020 की अवधि में दर्ज किये गये है परिक्षेत्रवार जानकारी देवे ? (ख) कंडिका "क" अनुसार दर्ज प्रकरणों में किन-किन दोषियों/अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई परिक्षेत्रवार जानकारी देवे ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) गरियाबंद जिले में वनों की अवैध कटाई के कुल 718 प्रकरण 01.01.2020 से 31.07.2020 की अवधि में दर्ज किये गये है. परिक्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) कंडिका "क" अनुसार दर्ज प्रकरणों में 12 दोषी कर्मचारी/अधिकारियों तथा अन्य पर की गई कार्यवाही की परिक्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

बिलासपुर में नवीन 132 के.वी. विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति

16. (*क्र. 71) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर में 132 के.वी. का नया विद्युत सब स्टेशन बनाने का क्या शासन से कोई प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है ? (ख) बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में 132 के.वी. के कितने विद्युत सब स्टेशन हैं ? और उनका लोड कितना है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी नहीं. (ख) बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 132 के.वी. के तीन विद्युत सब स्टेशन विद्यमान है. इन सबस्टेशनों में भार (लोड) निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विद्युत सब स्टेशन का नाम	पॉवर ट्रांसफार्मरों में भार (मेगावॉट में लोड)
1.	220/132/33 के.वी. मोपका	50
2.	132/33 के.वी. बिलासपुर (तिफरा)	69
3.	132/33 के.वी. कोनी (बिरकोना)	34

डी.एम.एफ. (distric mineral fund) में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि

17. (*क्र. 11) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डी.एम.एफ. (distric mineral fund) में राज्यांश एवं केन्द्रांश राशि कितनी-कितनी होती हैं ? (ख) 1 जनवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक डी.एम.एफ. की राशि किन-किन मदों में उपयोग की गई है ? जिलावार बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) डी.एम.एफ. मद से राज्य या केन्द्र को राशि प्राप्त नहीं होती है, अपितु जिले में गठित जिला खनिज संस्थान न्यास में राज्य में स्वीकृत खनिरियायतधारियों से निर्धारित राशि जमा करायी जाती है. (ख) 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा मदवार उपयोग की गई डी.एम.एफ. राशि की जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

विकासखण्ड पामगढ़ अंतर्गत नल-जल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण

18. (*क्र. 233) **श्रीमती इन्दू बजारे** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर-चाम्पा के विकासखण्ड पामगढ़ अंतर्गत नल-जल योजना के तहत कितने ग्राम-पंचायतों में पानी टंकी का निर्माण हुआ है ? कुल कितने ग्रामों में पानी टंकी का उपयोग किया जा रहा है ? कितने ग्रामों की टंकी खराब होने के कारण उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : जिला-जांजगीर चाम्पा के विकासखण्ड पामगढ़ अंतर्गत नल-जल योजना के तहत 20 ग्राम-पंचायतों में पानी टंकी का निर्माण हुआ है. कुल 15 ग्रामों में पानी टंकी का उपयोग किया जा रहा है. 01 ग्राम पंचायत की टंकी के बाटम डोम से पानी सीपेज होने के कारण उपयोग नहीं किया जा रहा है शेष 04 ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी ठीक है किन्तु पंचायत द्वारा सीधे पंपिंग से जलप्रदाय किया जा रहा है.

केन्द्र शासन से राज्य शासन को प्राप्त राशि

19. (*क्र. 175) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में केन्द्र शासन से राज्य शासन को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है व कितनी खर्च हुई है व कितनी शेष है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन विभागों के द्वारा कितनी-कितनी राशि केन्द्र सरकार को वापस की गई है या लेप्स हो गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नांश (क) की जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ रु. में)

प्राप्त राशि	वर्ष 2019-20		प्राप्त राशि	वर्ष 2020-21	
	व्यय राशि	शेष राशि		व्यय राशि	शेष राशि
33,604.03	31,834.23	2,607.89	11,629.33	9,853.20	2,907.64

(ख) प्रश्नांश (ख) की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष 2019-20 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा राशि रु. 51.00 लाख केन्द्र को वापस की गई है. इसके अतिरिक्त केन्द्र से प्राप्त कोई राशि वापस या लेप्स नहीं हुई है.

वित्त विभाग द्वारा नवीन पदों पर भर्ती हेतु प्रदत्त अनुमति

20. (*क्र. 242) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर, 2018 से वित्त विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभागों को कितने-कितने नवीन पदों पर भर्ती हेतु सहमति/अनुमति प्रदान की गयी है तथा इस अवधि में कितने-कितने पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग की सहमति/अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? (ख) उक्त अवधि में उक्त विभागों में कितने पदों पर नवीन भर्ती की गयी है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) स्कूल शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से क्रमशः 17,183 एवं 15,478 विभिन्न पदों पर भर्ती की सहमति/अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. जिसमें से स्कूल शिक्षा विभाग को 14,632 तथा स्वास्थ्य विभाग को 5,929 पदों को सहमति/अनुमति दी गई है. (ख) भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है.

क्रेशर एवं रेत खदानों का संचालन, पट्टा नवीनीकरण एवं पर्यावरण स्वीकृति

21. (*क्र. 403) **श्री देवव्रत सिंह**: क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा क्रेशर खदानों की पट्टे (लीज) के नवीनीकरण हेतु क्या नीति निर्धारित की गई है तथा पर्यावरण विभाग के लीज हेतु अनापत्ति पत्र लिया जाना आवश्यक है अथवा नहीं ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार जिला राजनांदगांव में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 तथा 2020-21 में 31.07.2020 तक कुल कितने क्रेशर खदानों को पट्टे का नवीनीकरण किया गया है ? कुल कितनी पत्थर खदानें संचालित हो रही है ? कितनी वर्तमान में बंद है तथा कितने क्रेशर खदानों की पर्यावरण विभाग से स्वीकृति लंबित है ? (ग) जिला राजनांदगांव में कितनी खदानों का संचालन निविदा आबंटन के द्वारा किया जा रहा है ? तथा कितनी रेत खदानों को पट्टा नवीनीकरण तथा पर्यावरण विभाग से स्वीकृति हेतु प्रकरण लंबित हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में दिनांक 23.03.2016 को उत्खनन पट्टों के नवीनीकरण को समाप्त करते हुए, खदानों के विस्तारीकरण का प्रावधान किया गया है. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 18.05.2012 अनुसार सभी लीज के प्रकरणों में पर्यावरण सम्मति लिया जाना अनिवार्य है. (ख) जिला राजनांदगांव में प्रश्नाधीन अवधि

में किसी भी क्रेडर खदानों का नवीनीकरण नहीं किया गया है। वर्तमान में 14 पत्थर खदानें संचालित हैं। 98 पत्थर खदानें पर्यावरण सम्मति की अवधि समाप्त होने के कारण बंद हैं। 33 आवेदन पर्यावरण अनापत्ति/सहमति हेतु लंबित हैं। (ग) जिला राजनांदगांव में निविदा के माध्यम से गौण खनिजों के कुल 20 उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया जा संचालित है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 में रेत खदानों के नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान नहीं है। पर्यावरण सम्मति स्वीकृति हेतु खनिज रेत के 04 प्रकरण राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण छत्तीसगढ़ में लंबित हैं।

वन्य प्राणियों की मौत एवं उसके संरक्षण संवर्धन पर व्यय

22. (*क्र. 366) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2019 की स्थिति में प्रदेश में कितने शेर, तेन्दुआ, हाथी की संख्या थी ? (ख) कंडिका “क” के कितने वन्य प्राणियों की मौतें 1.1.2019 से 31.7.2020 के मध्य हुई हैं ? (ग) कंडिका “क” के वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन एवं संख्या वृद्धि के लिए प्रस्तावित अवधि में किन-किन मदों पर कितना-कितना खर्च किया गया ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) 01 जनवरी, 2019 की स्थिति में प्रदेश में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा अखिल भारतीय बाघ आंकलन वर्ष 2018 के अनुसार वनक्षेत्रों में 19 शेर (बाघ) आंकलित हैं। प्रदेश के तीन चिड़ियाघरों में कैप्टिव शेर (बाघ) की संख्या 36 है। अखिल भारतीय बाघ आंकलन रिपोर्ट वर्ष 2014 के अनुसार प्रदेश में तेन्दुओं की संख्या 846 आंकलित है तथा तीन चिड़ियाघरों में कैप्टिव तेन्दुओं की संख्या 17 है। प्रोजेक्ट एलीफेंट डिवीजन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की सिंक्रोनाइज्ड एलीफेंट पापुलेशन इस्टीमेशन रिपोर्ट वर्ष-2017 के अनुसार जंगली हाथियों की संख्या 247 आंकलित है तथा अचानकमार एवं रमकोला में कैप्टिव हाथियों की संख्या 12 है। (ख) 1.1.2019 से 31.7.2020 के मध्य कंडिका “क” में दर्शाये गये वन्यप्राणियों में 4 शेर (बाघ), 23 तेन्दुआ एवं 22 हाथियों की मौतें हुई हैं। (ग) कंडिका “क” के वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्धन एवं संख्या वृद्धि के लिए 1.1.2019 से 31.7.2020 की अवधि में मदवार किये गये खर्च जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

प्रदेश में बाघों की गणना

23. (*क्र. 114) श्री अरूण चौरा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 10 वर्षों में बाघों की कब-कब गणना हुई है ? वर्तमान में प्रदेश में बाघों की कुल संख्या कितनी है ? (ख) एक जनवरी, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक प्रदेश में बाघों के संरक्षण पर कितनी राशि किन-किन योजनाओं में व्यय की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) पिछले 10 वर्षों में बाघों का आंकलन वर्ष 2010, 2014 एवं 2018 में हुई है। नेशनल टायगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा की जाने वाली बाघों की अंतिम आंकलन “अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2018” के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या 19 बताई गई है। (ख) 01 जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2020 तक प्रदेश में बाघों के संरक्षण पर 3730-प्रोजेक्ट टायगर योजना अंतर्गत राशि रु. 1386.14 लाख व्यय की गई।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये उठाये गये कदम

24. (*क्र. 51) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ? निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सौर ऊर्जा नीति के प्रमुख बिंदु क्या हैं ? (ख) सौर ऊर्जा के तहत पावर परचेस एग्रीमेंट की क्या नीति है ? वर्तमान में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा के पावर प्लांट स्थापित हो चुके हैं ? (ग) राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा के अलावा अन्य कौन-कौन से नवीनीकरण (अक्षय) ऊर्जा के पावर प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा नीति 2017-27 जारी की गई है एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेंद्रित नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत) विनियम, 2019 जारी किया गया है जिसके अनुसार घरेलू, शासकीय, व्यावसायिक एवं अन्य संस्थानों के भवनों की छतों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पॉवर प्लांट स्थापित किया जा सकेगा तथा उक्त संयंत्रों से उत्पादित विद्युत को नेट मीटरिंग प्रणाली के तहत ग्रिड में प्रवाहित कर समायोजित किया जा सकेगा। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सौर ऊर्जा नीति 2017-27 के प्रमुख बिन्दु †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) सौर ऊर्जा की नीति के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को अपनी अक्षय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता (आर.पी.ओ.) हेतु प्रतिस्पर्धात्मक खुली निविदा से निर्धारित

विद्युत दरों पर पॉवर परचेस एग्रीमेंट के अनुसार विद्युत का क्रय प्रावधानित है. वर्तमान में 18.53 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट, 33.10 मेगावाट क्षमता के केप्टिव सोलर पावर प्लांट एवं 172 मेगावाट क्षमता के स्वतंत्र सोलर पावर प्लांट, इस तरह कुल 223.63 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं. (ग) राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा अंतर्गत सौर ऊर्जा के अलावा बायोमास एवं लघु जल विद्युत उत्पादन आधारित पावर प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं.

सिहावा विधानसभा क्षेत्र के मोबाइल नेटवर्किंग की स्थिति

25. (*क्र. 305) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र में नेटवर्किंग की क्या स्थिति है ? (ख) इस क्षेत्र में नेटवर्क बढ़ाने के लिए क्या कार्य योजना है ? (ग) इस कार्य योजना को कब तक पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र में नेटवर्क के लिए कुल 64 टॉवर स्थापित किये गये हैं, जिसमें 44 टॉवर चालू हैं, और 20 टॉवर बंद हैं. (ख) मोबाइल नेटवर्क टॉवर निजी मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा स्थापित किए जाते हैं. मोबाइल टॉवर्स स्थापित करने के लिए क्षेत्रों का चयन, मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने व्यावसायिक हित के आधार पर किया जाता है और इसलिए राज्य शासन की नेटवर्क विस्तार कार्य योजना तैयार करने में कोई भूमिका नहीं है. (ग) राज्य शासन द्वारा निजी मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

धमतरी जिले वायु एवं जल प्रदूषणकारी उद्योग

1. (क्र. 2) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में वायु प्रदूषणकारी एवं जल प्रदूषणकारी कुल कितने उद्योग स्थापित हैं ? क्या सभी उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं जल उपचार संयंत्र स्थापित हैं ? यदि नहीं तो कितने उद्योगों में नहीं हैं ? (ख) वर्ष 2019-20 में पर्यावरण विभाग के द्वारा किन उद्योगों की जांच की गई है ? एवं क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) धमतरी जिले में वायु प्रदूषणकारी एवं जल प्रदूषणकारी प्रकृति के कुल 115 उद्योग स्थापित हैं. जी नहीं. सभी वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है, परन्तु 10 जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में दूषित जल उपचार व्यवस्था स्थापित नहीं है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों की जांच एवं की गई कार्यवाही बाबत जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

प्रदेश में बाघों की संख्या

2. (क्र. 12) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31 जुलाई 2020 की स्थिति में प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है ? (ख) कुल कितने टाईगर रिजर्व है तथा उनका क्षेत्रफल कितना-कितना है ? (ग) राज्य बनने के बाद इनकी संख्या में कितनी कमी या बढ़ोत्तरी हुई ? यदि कमी हुयी है तो इसके कारण क्या-क्या हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) नेशनल टायगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा की जाने वाली बाघों की अंतिम आंकलन "अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2018" के अनुसार दिनांक 31 जुलाई 2020 की स्थिति में प्रदेश में बाघों की संख्या 19 बताई गई है. (ख) प्रदेश में कुल 3 टायगर रिजर्व हैं, तीनों का क्षेत्रफल निम्नानुसार है :-

क्रमांक	टायगर रिजर्व का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
1.	अचानकमार टायगर रिजर्व	914.017
2.	उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व	1842.54
3.	इन्द्रावती टायगर रिजर्व	2799.07

(ग) राज्य बनने के बाद नेशनल टायगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा की गई प्रथम आंकलन वर्ष 2006 एवं अंतिम आंकलन वर्ष 2018 के अनुसार 07 बाघों की कमी परिलक्षित हुई है. बाघों की संख्या में कमी के निम्न कारण हैं :-

- (1) वर्ष 2018 में की गयी बाघों का आंकलन नयी तकनीक कैमरा ट्रैप पद्धति से की गई है जबकि पूर्व वर्षों में पगमार्ग एवं स्केट की गणना विधि से आंकलित किया गया था.
- (2) इन्द्रावती टायगर रिजर्व के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के कुल क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण कैमरा ट्रैप नहीं लगाया जा सका.
- (3) अचानकमार टायगर रिजर्व एवं भोरमदेव अभ्यारण्य का क्षेत्र बाघों द्वारा मुख्यतः कारीडोर के रूप में उपयोग किया जाता है. अतः बाघों की संख्या निरिचित नहीं रहती है.

प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं

3. (क. 52) **डॉ. रेणु अजीत जोशी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2015 से अब तक प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? इनमें कितनी राशि व्यय हुई वर्षवार जानकारी दें ? (ख) वर्ष 2000 से अब तक बाघों की कब-कब गणना की गयी ? इस गणना में बाघों की कितनी संख्या पायी गयी ? (ग) बाघों की संख्या में कमी आने के क्या कारण हैं ? विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जनवरी 2015 से अब तक बाघों के संरक्षण के लिये योजना 3730-प्रोजेक्ट टायगर संचालित है. इनमें वित्तीय वर्षवार व्यय राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	व्यय राशि (लाख में)
1.	2014-15	941.24
2.	2015-16	625.43
3.	2016-17	1063.92
4.	2017-18	1197.37
5.	2018-19	700.36
6.	2019-20	875.45
7.	2020-21	0.00
योग		5403.77

(ख) वर्ष 2000 से अब तक वर्ष 2006, 2010, 2014 एवं 2018 में नेशनल टायगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा बाघों की संख्या का आंकलन किया गया है. इस गणना में बाघों की आंकलित संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	बाघों की आंकलित संख्या
1.	2006	26
2.	2010	26
3.	2014	46
4.	2018	19

(ग) बाघों की संख्या में कमी आने के मुख्य कारण, वर्ष 2018 में बाघों के संख्या का आंकलन नयी तकनीक कैमरा ट्रैप पद्धति से की गई है, जबकि पूर्व वर्षों में पगमार्ग एवं मल की गणना विधि से किया गया था. इन्द्रावती टायगर रिजर्व के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण कैमरा ट्रैप नहीं लगाया जा सका. अचानकमार टायगर रिजर्व एवं मोरमदेव अभ्यारण्य का क्षेत्र बाघों द्वारा मुख्यतः कारीडोर के रूप में उपयोग किया जाता है, अतः बाघों की संख्या निश्चित नहीं रहता है. बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सुरक्षा कार्य एवं टायगर रहवास क्षेत्र विकास के कार्य अंतर्गत सुरक्षा कार्य हेतु पुलिया-रपटा, वॉच टावर निर्माण एवं मार्ग उन्नयन के कार्य कराये गये है ताकि वर्ष भर नियमित पेट्रोलिंग की जा सके. टायगर रहवास क्षेत्र विकास कार्य अंतर्गत जल की वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्टॉप डेम, एनीकट, वॉटरहोल, झिरिया, तालाब, सोलर पम्प चलित जल सॉसर निर्माण एवं तालाब गहरीकरण आदि कार्य कराने की कार्यवाही की गयी है. इसी प्रकार भोजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शाकाहारी जानवर जो टायगर का भोजन है की संख्या बढ़ाने हेतु चारागाह विकास एवं बिगड़े वनों विशेष रूप से बॉस वनों का सुधार आदि कार्य करने की कार्यवाही की गयी है.

नेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट बैकूट सीमेंट वर्क्स) के प्रस्तावित केसला लाईन स्टोन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई

4. (क. 87) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट (यूनिट बैकूट सीमेंट वर्क्स) को प्रस्तावित केसला लाईन स्टोन ब्लॉक लीज क्षेत्र 108.335 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई का क्षेत्रिय अधिकारी रायपुर द्वारा आदेश क्रमांक 772/शे.का/तक/छ.प.स.म./2020 रायपुर दिनांक 17.07.2020 को अनुमति दी गई है? यदि हाँ तो क्या उक्त आदेश में पर्यावरण से संबंधित सभी नियम शर्तों का पालन किया गया है ? (ख) क्या प्रश्नांश "क" के तहत पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक जनसुनवाई का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी नहीं. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ख) जी हां. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत लोक सुनवाई का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया.

अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, रावण द्वारा लगाये गए पौधे

5. (क. 88) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में स्थापित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट रावण द्वारा वर्ष 2019-20 में कितने पौधे लगाये गये हैं ? खसरा नंबर सहित रकबावार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश "क" के तहत लगाये गये पौधों में से कितने फलधर व अन्य प्रजाति के पौधे हैं ? लगाये गये पौधों में से कितने पौधे जीवित हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में स्थापित मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट-रावन सीमेंट वर्क्स, पोस्ट-ग्रासिम विहार, ग्राम-रावन, जिला-बलौदाबाजार-माटापारा (छ.ग.) द्वारा वर्ष 2019-20 में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) प्रश्नांश "क" के तहत लगाये गये पौधों में से फलदार व अन्य प्रजाति के पौधे की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट-1 के कॉलम 05 एवं 06 अनुसार है. जीवित पौधों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 07 एवं 08 अनुसार है.

छ.ग. विद्युत उत्पादन कंपनी में प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत अधिकारी

6. (क. 147) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से 2018 के मध्य छ.ग. विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंध संचालक के पद पर कौन-कौन अधिकारी कार्यरत थे ? (ख) उक्त अधिकारियों को किस-किस वेतनमान अथवा किस निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्ति दी गई थी ? (ग) क्या उक्त पद पर कार्यरत व्यक्ति विभागीय तौर पर पदोन्नति से पदस्थ थे ? यदि नहीं तो उनकी नियुक्ति किस आधार पर किसके द्वारा की गई थी ? (घ) क्या उक्त अधिकारियों में से के किसी के विरुद्ध वेतन निर्धारण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां तो किसके विरुद्ध एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) एवं (ख) वर्ष 2014 से 2018 के मध्य छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत अधिकारियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रबंध निदेशक का नाम	कार्यकाल		कुल मासिक वेतन (रुपये)
		दिनांक से	दिनांक तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री जनार्दन कर	21-11-2011	30-05-2014	रु. 2,32,729.00 (माह मई-2014 का कुल वेतन भत्ते सहित)
2.	श्री विजय सिंह	30-05-2014	08-09-2014	अतिरिक्त प्रभार-पृथक वेतन लागू नहीं
3.	श्री एस. बी. अग्रवाल	08-09-2014	07-09-2017	रु. 3,46,362.00 (फिक्स पे)
4.	श्री ओ. सी. कपिला	08-09-2017	03-05-2018	अतिरिक्त प्रभार-पृथक वेतन लागू नहीं
5.	श्री के. आर. सी. मूर्ति	04-05-2018	04-12-2019	रु. 5,76,950.00 (फिक्स पे)

(ग) जी नहीं. प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा की जाती है. नियुक्ति का आधार निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रबंध निदेशक का नाम	नियुक्ति का आधार
1.	श्री जनार्दन कर	एन.टी.पी.सी. से प्रतिनियुक्ति पर
2.	श्री विजय सिंह	अतिरिक्त प्रभार
3.	श्री एस. बी. अग्रवाल	खुले विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति
4.	श्री ओ. सी. कपिला	अतिरिक्त प्रभार
5.	श्री के. आर. सी. मूर्ति	खुले विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति

(घ) जी हां. श्री एस.बी. अग्रवाल एवं श्री के. आर. सी. मूर्ति के वेतन निर्धारण में कथित अनियमितता संबंधी शिकायत दिनांक 01-07-2020 को प्राप्त हुई है, जिसका परीक्षण प्रक्रियाधीन है.

स्कूली छात्रों हेतु जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु व्यवस्था

7. (क्र. 156) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना काल में विद्यार्थियों के जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनाने की क्या व्यवस्था है ? (ख) प्रमाणपत्र प्रदाय करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित है ? (ग) राजस्व कर्मियों के द्वारा क्या छात्रों के घर-घर जाकर छानबीन कर प्रमाण पत्र प्रदान करने की कोई योजना प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) कोरोना काल में विद्यार्थियों के जाति, निवास और आय प्रमाण-पत्र बनाने हेतु पृथक से कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गई है. पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार ही जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था है. (ख) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ग) राजस्व कर्मियों द्वारा छात्रों के घर-घर जाकर छानबीन कर प्रमाण पत्र प्रदान करने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है.

छ.ग. राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड द्वारा राज्य स्तरीय सौभाग्य योजना के शुभारंभ हेतु स्वीकृत राशि

8. (क्र. 160) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव जिले में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में राज्य स्तरीय सौभाग्य योजना के शुभारंभ हेतु किन-किन विभागों और मदों द्वारा कितनी राशि की स्वीकृति दी गयी थी ? (ख) उक्त कार्यक्रम हेतु क्या अन्य विभागों के द्वारा प्रस्तुत व्यय पत्रकों का भुगतान किया है ? (ग) यदि हां तो किन किन विभागों से कितनी राशि व्यय की गयी थी ? विभागवार राशिवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव जिले में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक की अवधि में राज्य स्तरीय सौभाग्य योजना के शुभारंभ हेतु राशि रुपये 63,70,336 की स्वीकृति प्रदान की गई थी. (ख) जी हां. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के राजनांदगांव संभागीय कार्यालय द्वारा अन्य विभागों यथा लोक निर्माण विभाग, राजनांदगांव एवं खाद्य विभाग, राजनांदगांव द्वारा प्रस्तुत व्यय पत्रकों का भुगतान किया गया है. (ग) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के राजनांदगांव संभागीय कार्यालय द्वारा लोक निर्माण विभाग, राजनांदगांव एवं खाद्य विभाग, राजनांदगांव से प्रस्तुत व्यय पत्रकों का विभागवार भुगतान निम्नानुसार किया गया है :-

क्रमांक	विभाग, जिनके द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि (रुपये में)
1.	लोक निर्माण विभाग, राजनांदगांव	38,65,600
2.	खाद्य विभाग, राजनांदगांव	10,41,279
3.	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, राजनांदगांव	4,97,350
4.	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, डोंगरगांव	19,600
योग		54,23,829

बिलासपुर संभाग को कैम्पा योजना के तहत उपलब्ध कराई गई राशि

9. (क्र. 176) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बिलासपुर संभाग अंतर्गत जिलों में कैम्पा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में 04.08.2020 तक विभिन्न कार्यों हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है ? यह हों तो कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्न “क” अनुसार कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण व कितने अपारंभ है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हां. बिलासपुर संभाग अंतर्गत जिलों में कैम्पा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में 04.08.2020 तक विभिन्न कार्यों हेतु जिलेवार उपलब्ध कराई गई राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “ख” की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

तेन्दुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान करने की अनुमति

10. (क्र. 183) **श्री चंदन कश्यप** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 में प्रदेश के किन-किन जिलों में तेन्दुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान किये जाने की मांग राज्य शासन/वन विभाग को प्राप्त हुई ? इनमें से कितने जिलों में नगद भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई ? (ख) किन मापदण्डों के आधार पर प्रश्नांश “क” अनुसार जिलों में नगद भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वर्ष 2020 तेन्दुपत्ता सीजन में जिला बीजापुर सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं कांकेर जिलों में तेन्दुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान किये जाने की मांग प्राप्त हुई है. इनमें से बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं कांकेर जिले के अंतर्गत पूर्व भानुप्रतापपुर जिला यूनियन में नगद भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है. (ख) तेन्दुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान करने संबंधी मापदंड निम्नानुसार है :-

- (1) जिन संग्राहकों के बैंक खाते नहीं है.
- (2) जिन ग्रामों की दूरी बैंक से 4-5 कि.मी. से अधिक है.

जिला जांजगीर-चांपा में डी.एम.एफ. समिति की आयोजित बैठक एवं स्वीकृत कार्य

11. (क्र. 209) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में डी.एम.एफ. की नव गठित समिति की किस-किस दिनांक को आयोजित की गई एवं उक्त समिति में सदस्य कौन-कौन है ? (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर में बैठक दिनांक को कितने कार्य से कितनी राशि को स्वीकृत किये गये कार्य का नाम स्वीकृत राशि एवं कार्य एजेंसी के नाम सहित बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में डी.एम.एफ. की नव गठित समिति की बैठक दिनांक 11.09.2019 एवं 02.05.2020 को आयोजित की गई तथा उक्त समिति में सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर में अंकित बैठक दिनांकों में कुल 834 कार्यों हेतु 13825.20 लाख रुपये स्वीकृत किया गया. स्वीकृत कार्य, राशि एवं कार्य एजेंसी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो के कालम क्रमांक 02,04 एवं 05 पर दर्शित है.

जिला जांजगीर-चांपा के बसाहटों में नलकूप खनन एवं हैण्ड पंप की स्थापना

12. (क्र. 210) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में बसाहटों में नलकूप खनन एवं हैण्ड पंप स्थापना का कितना लक्ष्य निर्धारित है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार 31.07.2020 तक इस कार्य में उपलब्धि क्या है ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरू रुद्र कुमार) : (क) जिला-जांजगीर-चांपा में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में राज्यमद के अंतर्गत 90 बसाहटों में नलकूप खनन एवं हैण्डपंप स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है. (ख) प्रश्नांश-“क” अनुसार दिनांक 31.07.2020 तक उपलब्धि का

विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31-07-2020 तक प्राप्त उपलब्धि का विवरण				
		कुल खनिज नलकूप	सफल नलकूप	असफल नलकूप	स्थापित हैण्डपंप	पावर पंप
1.	जांजगीर-चांपा	77	73	04	71	02

जिला जांजगीर-चांपा तथा रायगढ़ में रेत खदानों का आबंटन व अवैध रेत परिवहन के प्रकरणों पर कार्यवाही

13. (क्र. 217) **श्री नारायण चंदेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं रायगढ़ जिलों में कुल कितनी रेत खदानें हैं ? किन-किन रेत खदानों को किस-किस एजेंसी को आबंटित किया गया है ? किस माध्यम के आधार पर आबंटित किया गया है ? किस मापदण्ड व दर के आधार पर खनन हेतु दिया गया है ? (ख) प्रश्न “क” के संदर्भ में इस अवधि में 31 जुलाई 2020 तक रेत की किन-किन खदानों से बिना रायल्टी के रेत का अवैध खनन किये जाने के कितने मामले सामने आये हैं तथा इन पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई ? (ग) क्या जप्त वाहनों के राजसात की कार्यवाही की गई है तथा पेनाल्टी के रूप में किस-किस व्यक्ति से कितनी-कितनी राशि वसूली की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं रायगढ़ में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के तहत नीलामी के माध्यम से आबंटित कुल 46 रेत खदानें संचालित हैं। रेत खदानों की एजेंसीवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” के कॉलम (2) एवं (3) पर दर्शित है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 में उल्लेखित मापदण्ड के आधार पर खनन हेतु दिया गया है। सिलिंग मूल्य की खदानवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” के कॉलम (4) पर दर्शित है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेष्य में अवधि 31 जुलाई, 2020 तक केवल कोरबा जिले के 03 रेत खदानों से बिना रायल्टी के रेत का अवैध उत्खनन के सामने आये मामलों में की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है। (ग) जी नहीं। अवैध उत्खननकर्ताओं से वसूल की गई समझौता राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” के कॉलम नंबर (5) पर दर्शित है।

जिला जांजगीर-चांपा एवं कोरबा में जिला खनिज न्यास मद से आवंटित राशि एवं स्वीकृत कार्य

14. (क्र. 218) **श्री नारायण चंदेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिला एवं कोरबा जिले में अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2020 तक जिला खनिज न्यास मद से कुल कितनी राशि किन-किन विकासखण्डों में किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गयी है ? (ख) उक्त अवधि में जांजगीर चांपा जिले के तात्कालिक पूर्व कलेक्टर द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए कितनी राशि का आहरण किया गया है ? किन-किन विकासखण्डों के कौन-कौन से गांव में किस-किस कार्यों के लिए राशि दी गई है ? (ग) क्या जिला खनिज न्यास मद विभाग में राशि का वितरण शासन के मान्य नियमों के विपरीत किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इन शिकायतों पर शासन स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जांजगीर-चांपा एवं कोरबा जिले में अप्रैल, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक जिला खनिज संस्थान न्यास मद से स्वीकृत कार्यों/राशि की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) उक्त अवधि में जांजगीर-चांपा जिले के तात्कालिक पूर्व कलेक्टर द्वारा नियमों के अनुरूप कार्यों की स्वीकृति दी गई है। (ग) जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

राजनांदगांव जिले में कृषकों को प्रदत्त स्थाई पंप कनेक्शन

15. (क्र. 226) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31.07.2020 तक कितने किसानों को कृषि कार्य हेतु स्थाई पंप कनेक्शन दिया गया है ? (ख) प्रश्नांक “क” की अवधि में कितने किसानों को कृषि कार्य हेतु स्थाई पंप कनेक्शन के लिए कितनी-कितनी डिमांड राशि जमा कराई गई है तथा कितने किसानों को स्थाई पंप कनेक्शन प्रदाय किया जाना शेष है किसानों के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले के अंतर्गत 3,697 कृषकों को कृषि कार्य हेतु स्थायी पंप कनेक्शन प्रदाय किया गया है. (ख) प्रश्नांश “क” की अवधि में कृषकों द्वारा किये गये भुगतान का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में दर्शित है. 5017 कृषकों को पंप कनेक्शन प्रदाय किया जाना शेष है.

जिला रायगढ़ में खनिज पट्टाधारियों द्वारा खनन उपरांत गड्डों का समतलीकरण

16. (क. 253) **श्री प्रकाश शंकराजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कुल कितने खनिज पट्टाधारियों द्वारा खनन करने के पश्चात् गड्डों को पाटकर समतलीकरण नहीं किया गया है ? (ख) यदि समतलीकरण नहीं किया गया है तो ऐसे पट्टाधारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) एवं (ख) खनिज नियमों में खनन पश्चात् समस्त गड्डों को पाटकर समतलीकरण ही किये जाने का प्रावधान नहीं है, अपितु आई.बी.एम. अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना अंतर्गत फाईनल माईन वलोजर प्लान में निर्धारित शर्तों का पालन कराया जाता है. रायगढ़ जिले में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है. अतः जानकारी निरंक है.

परिवहन विभाग द्वारा परिवहन जांच चौकियों का प्रारंभ व प्राप्त राजस्व

17. (क. 264) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि परिवहन विभाग द्वारा परिवहन जांच चौकियां वापस प्रारंभ कर दी गई है ? यदि हां तो कब व कहा-कहां की गई है तथा किन-किन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार परिवहन चौकियों को पुनः चालू करने का क्या कारण है ? इन परिवहन जांच चौकियों से कुल कितने राजस्व की आमदनी का लक्ष्य रखा गया है ? वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कुल कितना राजस्व इन जांच चौकियों से प्राप्त हुआ है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हां. जानकारी प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” में † संलग्न है. (ख) प्रतिवर्ष लगभग 150-200 करोड़ रुपये की राजस्व हानि को रोकने एवं वाहनों द्वारा घटित अपराधों पर नियंत्रण, सड़क सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से परिवहन जांच चौकियों को पुनः प्रारंभ किया गया है. वर्ष 2020-2021 हेतु 95.91 करोड़ रु. राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है. वर्ष 2016-2017 में रु. 99,32,88,977/- (रु. नव्यानबे करोड़ बत्तीस लाख अठ्यासी हजार नौ सौ सत्तर) व 2017-2018 (दिनांक 04.07.2017 तक) में रु. 28,99,13,854/- (रु. अठाईस करोड़ नव्यानबे लाख तेरह हजार आठ सौ चौवन) का राजस्व प्राप्त हुआ.

अधिकारियों की सविदा नियुक्ति

18. (क. 265) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2019 से प्रश्न तिथि तक किन-किन प्रथम श्रेणी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को कब-कब सविदा नियुक्ति दी गई है ? (ख) सविदा नियुक्ति देने के क्या नियम हैं ? प्रश्नांक “क” अनुसार जिन अधिकारियों को सविदा नियुक्ति दी गई है क्या उनमें सविदा नियुक्ति के नियमों का पालन किया गया है ? (ग) प्रश्नांक “क” अनुसार सविदा में नियुक्ति किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस या विभागीय जांच चल रही है व कब से ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) 01 जनवरी 2019 से प्रश्न तिथि तक निम्नांकित अधिकारियों को सविदा नियुक्ति दी गई है :-

स.क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	सविदा नियुक्ति आदेश दिनांक (3)
1.	श्री एम. डी. दीवान (सेवानिवृत्त रा.प्र.से.)	27.07.2020
2.	श्री एस. एल. नायक (सेवानिवृत्त रा.प्र.से.)	23.04.2020
3.	श्री जीवन सिंह राजपूत (सेवानिवृत्त रा.प्र.से.)	15.06.2020
4.	श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.)	01.06.2019

(1)	(2)	(3)
5.	श्री हेमन्त कुमार पहारे (सेवानिवृत्त मा.प्र.से.)	30.09.2019
6.	श्री डॉ. आलोक शुक्ला (सेवानिवृत्त मा.प्र.से.)	30.05.2020
7.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त मा.व.से.)	07.08.2020
8.	श्री नटवर लाल वर्मा (सेवानिवृत्त मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी)	28.05.2020
9.	श्री आई. एल. टाकुर (सेवानिवृत्त रा.प्र.से.)	29.05.2020

(ख) सविदा नियुक्ति देने का नियम, छ.ग. सिविल सेवा (सविदा नियुक्ति) नियम, 2012 है। प्रश्नांक “क” के अधिकारियों को सविदा नियुक्ति के नियमों/प्रावधानों के तहत सविदा नियुक्ति प्रदान की गई है। (ग) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है।

जिला राजनांदगांव में ट्रांसफार्मर क्रय

19. (क्र. 277) श्री मुचनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में कुल कितने विद्युत वितरण सब स्टेशन हैं ? (ख) वर्ष 2017-2018 से 31 मार्च 2020 तक कुल कितने वितरण ट्रांसफार्मर किस-किस क्षमता को क्रय किये गये ? क्षमतावार ट्रांसफार्मर की संख्या बतावें। (ग) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2017-18 से 31 मार्च 2020 तक वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने तथा नये ट्रांसफार्मर लगाने में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ? किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी क्षमता में ट्रांसफार्मर वितरण किया गया ? सब वितरण स्टेशनवार गांव का नाम बतावें। कितने शेष हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव जिले में 11/0.4 के.व्ही. के 11,212 विद्युत वितरण सबस्टेशन हैं। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में विषयांतर्गत “जिला राजनांदगांव में ट्रांसफार्मर क्रय” की जानकारी निरंक है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा जिलेवार ट्रांसफार्मर का क्रय नहीं किया जाता है, अपितु प्रदेश स्तर पर ट्रांसफार्मर क्रय किये जाते हैं। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के 98 तथा नये ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु 79 के कुल 177 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से 96 ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि एवं 25 नये ट्रांसफार्मर स्थापना के कुल 121 कार्य पूर्ण किये गये। सबस्टेशनवार, ट्रांसफार्मर के क्षमतावार एवं ग्रामवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के 02 आवेदन शेष हैं जिनके कार्य किये जाने हैं तथा नये ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु शेष 54 आवेदनों के परीक्षण करने पर उक्त ग्रामों में ट्रांसफार्मर लगाया जाना तकनीकी रूप से आवश्यक नहीं होना पाया गया।

रायगढ़ जिले में कृषि कार्य हेतु स्थायी विद्युत कनेक्शनों की स्वीकृति

20. (क्र. 290) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कृषि कार्य हेतु कितने आवेदन विभाग में प्राप्त हुए हैं एवं कितने स्थायी कनेक्शन की स्वीकृति प्रदान की गई ? जून 2020 की स्थिति में विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) कितने प्रकरण लंबित हैं, कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ? (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 में आबंटन बढ़ाने हेतु क्या कार्य योजना बनायी गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रायगढ़ जिले में विद्युत सिंचाई पंप हेतु दिनांक 31.03.2020 एवं दिनांक 30.06.2020 की स्थिति में स्थायी कनेक्शन के प्राप्त, स्वीकृत एवं जारी किये गये आवेदनों की संख्या की विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) लंबित प्रकरणों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। कार्यपूर्णाता की समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है। (ग) वित्तीय वर्ष 2020-2021 में कृषि पंपों के ऊर्जाकरण हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शेष पंपों का कार्य पूर्ण किया जावेगा।

रायगढ़ जिले में कैम्पा मद से स्वीकृत राशि

21. (क्र. 291) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वन विभाग के धरमजयगढ़ एवं रायगढ़ वन मंडल में वर्ष 2019-20 में कैम्पा मद से किन-किन कार्यों के कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई परिक्षेत्रवार जानकारी देवें ? (ख) प्राप्त राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई है, कितनी राशि शेष है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रायगढ़ जिले में वन विभाग के धरमजयगढ़ एवं रायगढ़ वन मंडल में वर्ष 2019-20 में कैम्पा मद से विभिन्न कार्यों के लिए प्राप्त राशि की परिक्षेत्रवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला गरियाबंद को कैम्पा योजना अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त राशि

22. (क्र. 310) **श्री डमरूधर पुजारी :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले में कैम्पा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 व इस वित्तीय वर्ष में प्रश्न दिनांक तक विभिन्न कार्यों हेतु कुल कितनी राशि किन कार्यों हेतु उपलब्ध कराई गई है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण व कितने अप्रारंभ है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाक्सार्ड कृशिंग एवं मंडारण की प्रदत्त अनुज्ञा

23. (क्र. 317) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बेमेतरा के ग्राम बसनी में किस-किस फर्म/व्यक्ति को बाक्सार्ड के कृशिंग एवं मंडारण करने हेतु कृषि भूमि में किस आधार पर अनुज्ञा प्रदान की गई ? डायवर्सन अनुमति कब किस नियम के अंतर्गत प्रदान की गई ? (ख) क्या किसी संस्था/व्यक्ति के द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से बाक्सार्ड का कृशिंग प्लांट संचालित किये जाने की शिकायत वर्ष 2019 से 3.2.2020 तक प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ? (ग) कंडिका “क” के संचालित प्लांट का निरीक्षण किस अधिकारी के द्वारा कब कब किया गया ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बेमेतरा (छ.ग.) से प्राप्त जानकारी अनुसार बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बेमेतरा के ग्राम बसनी में श्री नवीन प्रसाद कंदोई फर्म मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट को प.ह.नं. 34 खसरा नं. 154/1 एवं 155 रकबा 1.132 हेक्टेयर क्षेत्र में मात्रा 21130 मीट्रिक टन के लिये खनिज बाक्सार्ड अस्थायी मंडारण अनुज्ञा हेतु खनिज निरीक्षक, बेमेतरा दिनांक 12.09.2018 तथा न्यायालय नायब तहसीलदार बेमेतरा के पत्र क्रमांक 64/प्र.क्र. त./2018 दिनांक 14.09.2018 को प्राप्त स्थल जांच प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 10.09.2018 से 09.09.2028 तक 10 वर्ष के लिये छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा मंडारण) नियम, 2009 के प्रावधानों के तहत नवीनीकरण कर अस्थायी मंडारण अनुज्ञापत्र प्रदान की गई है. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ग्राम बसनी तहसील एवं जिला बेमेतरा में बाक्सार्ड के कृशिंग एवं बाक्सार्ड के मंडारण हेतु मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को कृशिंग कार्य हेतु स्टोन क्रशर क्षमता-5,00,000 मी.टन/वर्ष एवं बाक्सार्ड मंडारण क्षमता-31,130 मीट्रिक टन (एक समय पर) हेतु पृथक-पृथक जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति सभी संबंधित शासकीय विभागों से स्वीकृति/अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्त के अधीन प्रदान की गई है, जिसमें संबंधित जिला कलेक्टर से कृषि भूमि के डायवर्सन प्राप्त करने का आशय भी सम्मिलित है. कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि अनुसार) बेमेतरा के पत्र क्रमांक 131/भू अभि/राअभूअ/202 दिनांक 11.02.2020 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार प.ह.नं. 34 के ग्राम बसनी के खसरा क्रमांक 154/1 कलेक्टर बेमेतरा के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. 15/अ-2/वर्ष 2014-15 के आदेश दिनांक 16.09.2015 के अनुसार व्यावसायिक (गोदाम) प्रयोजनार्थ तथा खसरा क्रमांक 155 में कलेक्टर बेमेतरा के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. 15/अ-2/वर्ष 2014-15 के आदेश दिनांक 02.05.2016 के अनुसार आवासीय सह-व्यावसायिक (गोदाम) प्रयोजनार्थ हेतु कलेक्टर बेमेतरा द्वारा डायवर्सन किया गया है. (ख) जी हां. जानकारी प्रपत्र “अ” पर ‡ संलग्न है. (ग) कंडिका “क” के संचालित प्लांट मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट को दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 10.09.2020 तक की अवधि में किये गये निरीक्षण का विवरण प्रपत्र “ब” पर ‡ संलग्न है.

लुण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाथियों से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति

24. (क्र. 326) **डॉ. प्रीतम राम :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लुण्डा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से 31.07.2020 तक हाथियों से जनहानि मकान क्षति और फसल हानि के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं ? कितनी-कितनी क्षतिपूर्ति राशि शासन के द्वारा प्रदाय की गयी है ? कर्नाटक से कुम्की हाथी कब लाया गया है, उनके द्वारा कितने उत्पाती हाथियों को तैमोर पिंगला हाथी रहवासी क्षेत्र में रख कर नियंत्रित किया गया ? (ख) शासन के द्वारा हाथी समस्या के स्थायी समाधान के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) लुण्डा विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2019 से (31.07.2020 तक की अवधि) में जनहानि का कोई प्रकरण नहीं है. मकान क्षति के 67 प्रकरण घटित हुये हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि शासन द्वारा रु. 7,99,588/- तथा फसल हानि के 440 प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि रु. 17,50,433/- प्रदाय की गयी है. कर्नाटक से कुमकी हाथी माह जनवरी 2018 में छत्तीसगढ़ लाये गये. कुमकी हाथियों द्वारा बिलासपुर वन वृत्त अंतर्गत धरमजयगढ़ वनमंडल में कुमकी हाथी तीरथराम की मदद से गणेश एवं कोरबा वनमंडल के कुदमुरा परिक्षेत्र में प्रथम नामक जंगली हाथी को नियंत्रित कर कॉलर आईडी लगाया गया है, तथा सरगुजा वन वृत्त के बलरामपुर वनमंडल के राजपुर परिक्षेत्र में बहरादेव जंगली हाथी को कुमकी हाथी की मदद से कॉलर आईडी लगाया गया है. किसी भी उत्पाती हाथी को तमोर पिंगला रहवास क्षेत्र में नहीं रखा गया है.(ख) शासन द्वारा हाथी समस्या के समाधान हेतु निम्नानुसार उपाय किये जा रहे हैं :-

- (1) रहवास क्षेत्र में जल एवं चारा विकास उपलब्धता हेतु हाथी रहवास क्षेत्र का विकास.
- (2) हाथी-मानव द्वंद को कम करने के लिए हाथी मित्र दल का गठन किया गया है, जिनके द्वारा हाथियों से सुरक्षित रहने हेतु जागरूकता उत्पन्न करना, हाथियों के विचरण के समय स्थानीय निवासियों को सजग कराना आदि है.
- (3) वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों की बैठक लेकर हाथियों से सजग रहने हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाता है.
- (4) ग्रामवासियों को हाथियों से सजग रहने बाबत रेडियो के माध्यम से “हमर हाथी हमर गोठ” का प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से कर हाथियों के प्रतिदिन के विचरण की जानकारी दी जा रही है.
- (5) विषय विशेषज्ञों द्वारा हाथी दलों के व्यवहार का अध्ययन कर समय-समय पर समाधान कारक उपाय यथा-रेडियो कॉलरिंग करना चलित हाथी विकर्षण बेरीकेड, ब्लिंकिंग लाइट, हाई-बीम टार्च इत्यादि के द्वारा विचरणरत हाथियों को रिहायशी इलाकों से दूर रखा जाता है.
- (6) गजराज परियोजना के अंतर्गत सुरक्षा उपकरणों से लैस गजराज वाहन, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में प्रदाय किया गया है, जिसका उपयोग जनहानि की घटनाओं को रोकने हेतु उपयोग किया जा रहा है.

लुण्डा वि. स. क्षेत्र में नलकूप खनन की स्वीकृति

25. (क्र. 327) डॉ. **प्रीतम राम** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र लुण्डा अन्तर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कितने नलकूप खनन के कार्य स्वीकृत किए गए थे ? (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने प्रकरण में नलकूप खनन का कार्य फेल हो गया ? (ग) पूर्ण किए गए नलकूप खनन कार्यों में से कितने जगहों का पानी पीने योग्य नहीं है ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) विधान सभा क्षेत्रवार नलकूप खनन स्वीकृत नहीं किये जाते हैं, अपितु जिले में स्वीकृत नलकूप खनन कार्य में से लुण्डा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों क्रमशः वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में 232 नग नलकूप खनन कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है. (ख) खनित कराये गये कार्यों में से 14 नलकूप खनन का कार्य फेल (असफल) हो गये हैं. (ग) पूर्ण किये गये 218 सफल नलकूप/हैण्डपम्प का जल परीक्षण उपरांत कोई भी जगह ऐसा नहीं है, जहां का पानी पीने योग्य नहीं है.

वन मण्डल गरियाबंद परिक्षेत्र में वृक्षारोपण

26. (क्र. 348) श्री **अमितेश शुक्ला** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वनमण्डल गरियाबंद के परिक्षेत्र गरियाबंद के कक्ष-522-541 में वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 315 हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े वनों का सुधार कार्य (अतिव्यापी वृक्षारोपण) के तहत कितने नग पौधे रोपित किया जाना था ? कितने पौधे रोपित किए गए ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : वनमंडल गरियाबंद, वन परिक्षेत्र गरियाबंद (सा.) के कक्ष क्रमांक 522, 541 में रकबा 315 हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े वनों का सुधार कार्य के तहत वर्ष 2015-16 में 125000 नग पौधों के रोपण लक्ष्य के विरुद्ध 125000 नग पौधों का रोपण किया गया था. तथा 2016-17 से 2019-20 तक रखरखाव तथा सुरक्षा आदि कार्य कराये गए हैं.

बिलासपुर संभाग में वृक्षों की अवैध कटाई की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

27. (क्र. 357) डॉ. **कृष्णामूर्ति बांधी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जनवरी 2019 से प्रश्नांकित तिथि तक बिलासपुर संभाग में वृक्षों की अवैध कटाई की शिकायत/प्रकरण सामने आए हैं ? यदि हां तो कहां-कहां कितने-कितने व किस प्रजाति के कितने मूल्य के वृक्षों की अवैध कटाई के प्रकरण/शिकायतें आई हैं ? इन पर क्या कार्यवाही की गई ? वन मंडलवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वृक्षों की अवैध कटाई हेतु कौन जिम्मेदार है व इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जनवरी 2019 से प्रश्नांकित तिथि तक बिलासपुर संभाग में कुल 5841 प्रकरण वृक्षों की अवैध कटाई की शिकायत/प्रकरण प्रकाश में आए हैं, तथा इन पर की गई कार्यवाही की वनमंडलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक एवं दो में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश क के अनुसार वृक्षों की अवैध कटाई हेतु जिम्मेदार एवं उन पर की गई कार्यवाही से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक में दर्शित है.

प्रदेश में रेत घाटों से अवैध उत्खनन परिवहन के दर्ज प्रकरण

28. (क्र. 367) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 फरवरी 2020 से 31.07.2020 तक प्रदेश की रेत घाटों से अवैध उत्खनन परिवहन एवं संग्रहण के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किए गए ? जिलेवार, स्थानवार बतावें ? (ख) कंडिका "क" के मामलों में रेत माफियाओं द्वारा जनप्रतिनिधियों/विभागीय अधिकारियों से दुर्व्यवहार मारपीट करने के मामले कहां-कहां दर्ज किए गए, और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) कंडिका "क" के मामलों में कितनी-2 मात्रा में रेत की जप्ती बनाई गई, क्या अर्थदण्ड भी वसूला गया ? हां तो कितना-2 ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) 01 फरवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन परिवहन/मंडारण के प्रकरणवार, जिलेवार एवं स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर दर्शित है. (ख) कंडिका "क" के मामलों में अवैध उत्खननकर्ताओं द्वारा जनप्रतिनिधियों/विभागीय अधिकारियों से दुर्व्यवहार मारपीट करने के मामलों एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर दर्शित है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर दर्शित है.

बस्तर संभागान्तर्गत संचालित हाथकरघा बुनकर समितियों

29. (क्र. 381) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत संचालित कुल कितनी हाथकरघा बुनकर समितियां पंजीकृत एवं संचालित हैं ? वर्तमान में इनमें से कितनी समितियां संचालित हैं और कितनी बंद हो चुकी हैं ? (ख) बंद हो चुकी बुनकर समितियों के बंद हो जाने के कारण सहित इनके पुनः प्रारंभ करने विभाग के द्वारा क्या कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत कुल 41 बुनकर सहकारी समितियां पंजीकृत हैं एवं 19 बुनकर सहकारी समितियां संचालित हैं. वर्तमान में इसमें से 19 समितियां संचालित हैं, और 22 बुनकर समितियां बंद हैं. (ख) बंद हो चुकी बुनकर समितियों के बुनकरों को बुनाई कार्य के इच्छुक नहीं होने के कारण बंद है. बंद बुनकर समितियों को पुनः प्रारंभ करने हेतु विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है. बंद समितियों के बुनकर, बुनाई कार्य में इच्छुक होने पर हाथकरघा संघ के उत्पादन कार्यक्रम से जोड़कर समिति को कार्यशील किया जाता है.

बस्तर संभागान्तर्गत वनोपज का क्रय-विक्रय

30. (क्र. 382) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कौन-कौन से वनोपज का कुल क्रय-विक्रय कितनी मात्रा में किन-किन एजेंसियों/समितियों के द्वारा किया गया ? (ख) उक्त कार्य अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या सहित उन्हें भुगतान की गई राशि की जानकारी वर्षवार बतावें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2018-19 में विभिन्न प्रजातियों के 161.303 घ.मी. ईमारती काष्ठ तथा वर्ष 2019-20 में 435.691 घनमीटर इस प्रकार कुल 596.994 घ.मी. काष्ठ का क्रय किया गया है. वन विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में नीलाम एवं निविदा के माध्यम से विक्रय किये गये वनोपज का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	ईमारती काष्ठ (घ.मी.)	बहली (नग)	डेगरी (नग)	जलाऊ चट्टा	व्यापारिक बांस (नो.टन)	औद्योगिक बांस (नो.टन)	कुल मूल्य (लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2018-19	10405.047	7854	7259	3389	35.679	335.855	2740.98

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019-20	5920.452	968	1280	145	29.249	182.290	1485.06
योग	16325.499	8822	8539	3534	64.928	518.145	4226.04

वर्षवार विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक (अ), 01(ब), 01(स) एवं 01(द), 01(ई) में दर्शित है. (ख) उक्त कार्य अंतर्गत लाभान्वितों को वर्षवार भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-दो” एवं “तीन” में दर्शित है.

जिला राजनांदगांव में मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी कार्यालय के द्वारा निर्माण कार्यों हेतु आमंत्रित निविदाएं

31. (क्र. 404) श्री देवव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव के मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी कार्यालय के अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कुल कितने निर्माण कार्यों की निविदा बुलाई गई ? इनमें से कितने निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार निर्माणकर्ता ठेकेदारों द्वारा कितने निर्माण योजनाओं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि एवं ग्रामीण लाईन को अलग कर कृषि पम्प उर्जाकरण, ट्रांसफार्मर का उन्नयन तथा 33 के.व्ही. एवं 11 के.व्ही. लाईन के सुदृढीकरण के कार्य पूर्ण हुये हैं ? कुल कितना भुगतान हुआ है ? कृपया संभावित योजनाओं, निविदा स्वीकृति, भुगतान तथा अपूर्ण कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में विषयांतर्गत “जिला राजनांदगांव के मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी कार्यालय के द्वारा निर्माण कार्यों हेतु आमंत्रित निविदाएं” की जानकारी निरंक है. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता कार्यालय के क्षेत्रांतर्गत अधीन विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में जारी किये गये निविदा एवं स्वीकृति की जानकारी निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	निविदा की संख्या		
	आमंत्रित	स्वीकृत	निरस्त
2017-18	1961	1684	277
2018-19	2189	2075	114
2019-20	1528	1413	115
योग	5678	5172	506

(ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार मुख्य अभियंता राजनांदगांव क्षेत्रांतर्गत विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में ठेकेदारों को जारी 5,172 कार्यदेशों में से 4,598 कार्य पूर्ण किया गया है. जिनमें ट्रांसफार्मर का उन्नयन, 33 के.व्ही. एवं 11 के.व्ही. लाईन विस्तार एवं कंडक्टर क्षमता वृद्धि 33 के.व्ही. एवं 11 के.व्ही. व्हीसीबी स्थापना, 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन रिनोवेशन से संबंधित कार्य है. कुल राशि रुपये 127 करोड़ 75 लाख 69 हजार का भुगतान हुआ है. स्वीकृत कार्यों में से 4,598 पूर्ण कार्यों की संभावित, योजना का नाम, कार्यपूर्णता दिनांक एवं भुगतान की गयी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं 574 अपूर्ण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दर्शित है.

बिजली बिल हाफ योजना के लाभ से वंचित घरेलू उपभोक्ता

32. (क्र. 420) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजली बिल हाफ योजना के तहत फरवरी, 2019 से लेकर जून 2020 तक की अवधि के दौरान कुल कितने घरेलू उपभोक्ताओं में से कितने उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया ? कृपया माहवार जानकारी देने का कष्ट करें. (ख) उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना के लाभ नहीं दिए जाने के क्या-क्या कारण थे ? कृपया माहवार जानकारी दें ? (ग) बिजली बिल हाफ योजना के तहत राज्य बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कितनी राशि सब्सिडी के रूप में देय हुई ? और उसमें से कितनी राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बिजली कंपनी को किया गया ? कृपया माहवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बिजली बिल हॉफ योजना मार्च 2019 से लागू हुई है. योजना के अंतर्गत मार्च 2019 से लेकर जून 2020 तक की अवधि के दौरान लाभान्वित एवं लाभ से वंचित उपभोक्ताओं एवं कुल घरेलू उपभोक्ताओं के संख्या की माहवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) उपभोक्ताओं को बिजली बिल हॉफ योजना के लाभ नहीं दिए जाने का कारण उपभोक्ताओं का विद्युत देयक के विरुद्ध बकाया राशि होना है. योजना की पात्रता केवल ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, जिनके विरुद्ध बिजली बिल की राशि दो माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है. तथापि बकाया राशि भुगतान के उपरांत ऐसे उपभोक्ता योजना का लाभ लेने हेतु पात्र हो जाते हैं. घरेलू उपभोक्ताओं के संख्या की माहवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ग) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को बिजली बिल हॉफ योजना के तहत सब्सिडी के रूप में देय राशि तथा राज्य शासन से प्राप्त राशि की माहवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

जिला जांजगीर चाम्पा में लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु हितग्राहियों को प्रदत्त अनुदान

33. (क्र. 460) **श्री रामकुमार यादव** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा के अंतर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 तथा 2019-20 में गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक विकास हेतु कितने लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये गये तथा इस हेतु कितनी-कितनी राशि, उद्योग लगाने हेतु दी गई ? (ख) प्रदत्त ऋणों में हितग्राहियों के लिए कितना कितना अनुदान स्वीकृत किया गया ? क्या सभी व्यक्तियों को अनुदान की राशि दे दी गयी ? (ग) यदि नहीं तो कितना अनुदान दिया जाना शेष है ? सत्रवार अलग अलग जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक विकास हेतु कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए दी गई अनुदान राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रु. लाख में)			
क्र.	वर्ष	इकाई संख्या	अनुदान राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2016-17	213	82.632
2.	2017-18	136	171.534
3.	2018-19	120	288.227
4.	2019-20	141	253.335
योग		610	795.728

(ख) प्रदत्त ऋणों में कुल 610 हितग्राहियों के लिए राशि रु. 795.728 लाख रु. का अनुदान स्वीकृत किया गया है. सभी व्यक्तियों को अनुदान राशि दे दी गई है. (ग) निरंक.

जिला जांजगीर चांपा में संचालित आरामशीन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

34. (क्र. 461) **श्री रामकुमार यादव** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा के अंतर्गत कहां-कहां कितनी वैध (लायसेंस) आरामशीन संचालित है ? (ख) कुल कितनी आरामशीन संचालकों के विरुद्ध 1.1.2019 से 31.7.2020 के मध्य शिकायतें प्राप्त हैं, तथा कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है, एवं कितने प्रकरण लंबित है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जिला जांजगीर चाम्पा के अंतर्गत परिक्षेत्र बलौदा में 56, परिक्षेत्र चाम्पा में 20 एवं परिक्षेत्र सक्ती में 27, इस प्रकार कुल 103 वैध आरामशीन संचालित है. (ख) जिला जांजगीर चाम्पा के अंतर्गत संचालित किसी भी आरामशीन के विरुद्ध 01.01.2019 से 31.07.2020 के मध्य कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई. अतः शिकायत पर निराकरण करने एवं लंबित होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

अताराकित प्रश्नोत्तर

जिला धमतरी में रेत खनन हेतु आमंत्रित निविदा

1. (क. 7) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में नई रेत खनन नीति के तहत कितनी खदानों की निविदा निकाली गई है ? एवं कितनी खदानों को राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण छत्तीसगढ़ द्वारा खदानों को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी उपरांत निविदा की शर्तों के अधीन रेत उत्खनन हेतु जिला खनिज विभाग द्वारा जारी की गई है ? (ख) क्या निविदा की शर्तों से संबंधित रेत खदानों की जांच विभाग के द्वारा की गई है ? यदि हां तो कब कब ? निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने पाये जाने पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) रेत उत्खनन से विभिन्न रेत घाटों से कितनी राशि रायल्टी के रूप में प्राप्त हुई है ? प्राप्त रायल्टी को क्या ग्राम पंचायतों को वापस कर दी गई है यदि हां तो कितनी राशि एवं नहीं तो कब तक वापस कर दी जावेगी अलग-अलग जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) धमतरी जिले में नई रेत खनन नीति के तहत कुल 31 रेत खदानों की निविदा जारी की गई है। राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी उपरांत निविदा की शर्तों के अधीन 27 रेत खदानों में उत्खनन की अनुमति प्रदान की गई है। (ख) जी हां। जांच दिनांक एवं की गई कार्यवाही की जानकारी का विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ग) धमतरी जिले में प्रश्नांश “क” की खदानों से कुल 80,60,000/- रुपये रायल्टी राशि के रूप में प्राप्त हुई है। जी नहीं। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत पात्रता अनुसार राशि वितरित किया जावेगा। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

राज्य द्वारा विभिन्न संस्थाओं से लिया गया कर्ज

2. (क. 26) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 नवंबर 2018 की स्थिति में राज्य सरकार पर कितना कर्ज था ? (ख) 01 दिसंबर, 2018 के बाद राज्य सरकार ने किन-किन संस्थाओं से किस दर पर कर्ज लिया है ? (ग) सरकार प्रति महीने कितनी राशि का ब्याज भुगतान करती है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रुपये 41.239 करोड़। (ख) 01 दिसंबर, 2018 के बाद राज्य सरकार ने निम्नलिखित संस्थाओं से कर्ज लिया है, जिनकी औसत ब्याज दर संस्था के सामने अंकित है :-

क्र.	संस्था का नाम	औसत ब्याज दर
1.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण (बाजार उधार)	7.51
2.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	4.21
3.	केन्द्रीय सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट/विश्व बैंक से ऋण	2.53

(ग) प्रश्नांकित अवधि में प्रति महीने औसतन 360.80 करोड़ का ब्याज भुगतान किया है।

रायगढ़ जिले में कोल का उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व

3. (क. 43) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में पूर्व में तहसील घरघोड़ा और वर्तमान तहसील तमनार में गरे IV/4 कोल ब्लॉक हिनाडालको इंडस्ट्रीज मुंबई को कब प्रदान किया गया है ? उपरोक्त कंपनी ने कब उत्पादन प्रारंभ किया है ? (ख) उत्पादन प्रारंभ करने के उपरान्त दिनांक 30 जुलाई, 2020 तक प्रति माह कितने कोयले का उत्पादन हुआ है ? (ग) उपरोक्त उत्पादन पर राज्य सरकार को किस दर से कितना खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के वेस्टिंग आदेश क्रमांक 104/16/2015/NA, दिनांक 23-03-2015 के अनुपालन में राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 3-20/2015/12, दिनांक 24-07-2015 द्वारा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को गारेपेलमा-IV/4 कोल ब्लॉक के रकबा 884.846 हेक्टर क्षेत्र पर 20 वर्ष की कालावधि के लिए खनिज कोयला खनिजपट्टा स्वीकृत किया गया है, जिसमें कंपनी द्वारा दिनांक 03-12-2015 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है। (ख) उत्पादन प्रारंभ तिथि से दिनांक 30-07-2020 तक 3463977.426 मिट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ है। माहवार विवरण †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ग) राज्य सरकार को, प्रतिटन, कोयले के विक्रय मूल्य

पर 14 प्रतिशत रायल्टी एवं 3001 रुपये प्रीमियम राशि (डब्ल्यू. पी. आई. के अनुसार परिवर्तनशील) की दर से कुल राशि 11 अरब, 28 करोड़, 88 लाख, 94 हजार, 47 रुपये प्राप्त हुआ है।

मस्तूरी तहसील में चूना पत्थर उत्खनन का प्रदत्त खनिज पट्टा

4. (क्र. 44) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील में ग्राम गोड़ाडीह में मेसर्स जिन्दल स्टील एवं पावर को कितने वर्ष के लिए चूना पत्थर खनन का खनिज पट्टा कब प्रदान किया गया है ? (ख) उपरोक्त खदान से उत्पादन कब प्रारंभ हुआ है ? (ग) उत्पादन प्रारंभ होने के उपरांत दिनांक 30-7-2020 तक प्रति वर्ष कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील में मेसर्स जिन्दल एवं स्टील पावर लिमिटेड को अनुबंध निष्पादन दिनांक 07-01-2017 से 50 वर्ष के लिए खनिज चूना पत्थर का खनिज पट्टा स्वीकृत किया गया है। (ख) उपरोक्त खनिज पट्टा में दिनांक 04-03-2020 से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत खनिज पट्टा क्षेत्र से खनिज चूनापत्थर का प्रेषण नहीं किया गया है। अतः खनिज राजस्व प्राप्ति की जानकारी निरंक है।

बिलासपुर में R.T.O. ऑफिस खोलने का प्रस्ताव

5. (क्र. 79) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिलासपुर शहर में नये आर. टी. ओ. ऑफिस खोलने का शासन का क्या कोई प्रस्ताव है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : बिलासपुर शहर में आर.टी. ओ. ऑफिस पूर्व में स्थापित है। वहा और आर. टी. ओ. खोले जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिलासपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नलकूप खनन

6. (क्र. 80) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष कितने नल कूप शासन द्वारा प्रदान किये गये हैं। (ख) बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में शासन द्वारा कितने नलकूप खनन किये गये।

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) विधानसभा क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। (ख) बिलासपुर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा 02 नग नलकूप खनन किये गये हैं।

कोण्डागांव व कांकेर जिले में पेयजल व्यवस्था/नल जल योजना अंतर्गत कार्यों की स्थिति

7. (क्र. 106) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोण्डागांव तथा कांकेर जिले में केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था/नल जल योजना के लिये वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-2020 में 31 जुलाई 2020 तक विकासखण्डवार कितनी-कितनी लागत में कौन-कौन से कार्य कराए गए ? वर्षवार विवरण प्रदान करेंगे ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : कोण्डागांव तथा कांकेर जिले में केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था/नल जल योजना के लिये वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-2020 में 31 जुलाई 2020 तक कराये गये कार्यों एवं लागत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 4 एवं 7 में दर्शित है। वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 2 में दर्शित अनुसार है।

केशकाल विधानसभा क्षेत्र में सोलर सिंचाई से लाभान्वित कृषक

8. (क्र. 107) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केशकाल विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2018 से जून 2020 तक सोलर आधारित योजना अंतर्गत कितने किसानों को लाभ पहुंचाया गया है विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : केशकाल विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2018 से जून 2020 तक सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर सिंचाई पंप स्थापित कर 992 किसानों को लाभ पहुंचाया गया है. विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन दर्ज प्रकरण

9. (क्र. 122) **श्री अरूण वीरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक प्रदेश में रेत के अवैध परिवहन/उत्खनन के कितने प्रकरण जिलेवार दर्ज किए गए ? कितने वाहन मालिकों व वाहनों पर कार्यवाही की गई ? (ख) दुर्ग जिले में रेत उत्खनन के लिए कुल कितनी रेत खदानें आबंटित की गई हैं ? रेत की दरे निर्धारण करने की क्या प्रक्रिया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) 01 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक प्रदेश में रेत के अवैध परिवहन के कुल 2320 प्रकरण तथा अवैध उत्खनन के कुल 47 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के जिलेवार दर्ज प्रकरणों की संख्या एवं इनमें सलिप्त वाहन मालिकों एवं वाहनों पर की गई कार्यवाही की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) दुर्ग जिले में रेत उत्खनन के लिए कुल 07 खदानें आबंटित की गई हैं. रेत खदानों का आबंटन नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया द्वारा सीलिंग प्राईस की दर पर किया गया है. सीलिंग प्राईस का निर्धारण जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया गया है.

दुर्ग संभाग में CSPDCL अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के बिजली उपभोक्ता

10. (क्र. 123) **श्री अरूण वीरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग संभाग के गरीबी रेखा के नीचे CSPDCL में कितने उपभोक्ता हैं ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) दुर्ग, मिलाई, चरोदा एवं रिसाली नगर सीमा में कितने घर बिजली कनेक्शन से विहीन हैं ? कितने आवासों के बिजली कनेक्शन प्रदान करने हेतु आवेदन लंबित हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के लाइसेंसी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व संभाग दुर्ग में गरीबी रेखा के नीचे (बी. पी. एल. श्रेणी) के कुल 2,85,708 उपभोक्ता हैं. जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जिले का नाम	बी.पी.एल श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या
1.	दुर्ग	32,263
2.	बालोद	32,966
3.	बेमेतरा	53,907
4.	राजनांदगांव	86,833
5.	कबीरधाम	79,739
योग		2,85,708

मिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप में विद्युत सप्लाई मिलाई स्टील प्लांट, जो स्वयं डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी है, के द्वारा की जाती है, अतः उक्त तालिका में मिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप के अंतर्गत गरीबी रेखा नीचे के उपभोक्ता सम्मिलित नहीं हैं. (ख) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के लाइसेंसी क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग, मिलाई, चरोदा एवं रिसाली नगर सीमा में वर्तमान में गरीबी रेखा के आवासों के बिजली कनेक्शन प्रदाय करने हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है.

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत फ्लोराईड व आयरन युक्त पानी से प्रभावित गांव

11. (क्र. 133) **श्री राजमन बेजाम** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत किन-किन गांवों में फ्लोराईड व आयरन युक्त पानी की समस्या है ? विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ब्लॉकवार ग्रामों की जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक “क” के संदर्भ में इस समस्या के समाधान के लिए विभाग की क्या कार्ययोजना है और तदनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 07 ग्रामों के 13 हैण्डपम्पों के जल प्लोरार्ड व 200 ग्रामों के 732 हैण्डपम्पों के जल में आयरन युक्त पानी की समस्या पाई गई है. विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ब्लॉकवार ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में दर्शित अनुसार है. (ख) प्लोरार्ड युक्त पानी एवं आयरन युक्त पानी की समस्या के समाधान हेतु प्रभावित ग्राम/बसाहटों में विभाग द्वारा सुरक्षित हैण्डपम्पों, नलजल योजनाओं, स्थल जल योजनाओं एवं सोलर पंपों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है. विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में दर्शित अनुसार है.

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिंता और हरकोडेर में मोबाईल टॉवर की स्थापना

12. (क. 134) **श्री राजमन बेजाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिंता और हरकोडेर में किस कंपनी के द्वारा मोबाईल टॉवर स्थापित किये जा रहे हैं ? (ख) प्रश्नांक “क” के संदर्भ में मोबाईल टॉवर कब तक काम शुरू कर देंगे ? इसमें विलंब होने का कारण क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) चित्रकोट विधानसभा के अंतर्गत बिंता और हरकोडेर में टॉवर लगाने का कार्य वर्तमान में रिलायंस जियो द्वारा किया जा रहा है. (ख) टॉवर निजी मोबाईल सेवा प्रदाता द्वारा स्थापित किया जा रहा है, इसलिए इसके काम शुरू होने की समय सीमा राज्य शासन द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती है. निजी मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा कनेक्टिविटी का कार्य पूर्ण नहीं करने से मोबाईल टॉवर शुरू होने से विलंब हो रहा है.

धमतरी विधान सभा क्षेत्र में वन समितियों के माध्यम से संपादित कार्य

13. (क. 137) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग में कितनी वन समितियां है समिति के नाम एवं वर्तमान में उन समितियों के पास कितनी राशि जमा है ? (ख) उक्त वन समितियों के माध्यम से विगत तीन वर्षों में वन समितियों द्वारा कितने कार्य किये गये है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 43 वन प्रबंधन समितियां है. उक्त वन प्रबंधन समितियों में वर्तमान में कुल राशि रु. 50.91 लाख जमा है. समितिवार जमा राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से विगत तीन वर्षों (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) में कुल 33 कार्य किये गये है.

मड़वा ताप विद्युत परियोजना की लागत

14. (क. 148) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1000 मेगावाट के मड़वा थर्मल पॉवर प्लांट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार लागत कितनी है ? और वास्तविक लागत कितनी आई ? (ख) वास्तविक लागत अधिक आने के कारणों की समीक्षा के लिए गठित समिति के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर क्या किसी अधिकारी पर कार्यवाही की गई ? (ग) क्या विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रोजेक्ट की पूरी वास्तविक लागत को स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि नहीं तो कितनी लागत/खर्च को अमान्य कर दिया है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (2010) के अनुसार 2x500 मेगावाट मड़वा थर्मल पॉवर प्लांट की अनुमानित लागत रुपये 6,318 करोड़ थी, जो कालांतर में पुनरीक्षित होकर रुपये 8,999 करोड़ हो गई. वर्तमान में उक्त परियोजना के कुछ कार्य लंबित है, अतः वर्तमान में कुल वास्तविक लागत बताया जाना संभव नहीं है, तथापि जुलाई 2020 की स्थिति में परियोजना की व्यय राशि रुपये 8,754 करोड़ है. (ख) वास्तविक लागत अधिक आने के कारणों की समीक्षा हेतु अलग से किसी भी प्रकार की समिति का गठन नहीं किया गया है, तथापि महालेखाकार (लेखापरीक्षक) के परफॉरमेंस ऑडिट (वर्ष 2004-05 से 2017-18) रिपोर्ट की कंडिकाओं पर समीक्षा एवं जांच हेतु चार सदस्य समिति गठित की गयी है. उक्त समिति के द्वारा जांच जारी है जांच पूर्ण होने के पश्चात समुचित कार्यवाही की जावेगी. (ग) उक्त प्रोजेक्ट के कुछ कार्य लंबित होने के कारण वास्तविक लागत का निर्धारण नहीं किया जा सका है. तथापि उक्त प्रोजेक्ट की अनुमानित पूंजीगत लागत के अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा उक्त अनुमानित पूंजीगत लागत में से राशि रुपये 162.55 करोड़ के खर्च को अमान्य कर दिया गया है. उपरोक्त उत्तर “ख” में उल्लेखित गठित समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जा सकेगी. अतः शेष प्रश्नांश वर्तमान में उद्भूत नहीं होता है.

सिंचाई पंपों के विद्युत कनेक्शन के लाइनों के विस्तार पर प्रतिबंध

15. (क्र. 149) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सिंचाई पंपों के विद्युत कनेक्शन में लाइनों के विस्तार पर प्रतिबंध लगाया है ? (ख) यदि हां तो विद्युत कनेक्शन प्रदाय नहीं करने का क्या कारण है ? (ग) सिंचाई पंपों के कनेक्शन के कितने आवेदन 31 जुलाई की स्थिति में लंबित है ? इसे कब तक निराकृत किया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में उद्भूत नहीं होता. (ग) प्रदेश में दिनांक 31-07-2020 की स्थिति में सिंचाई पंपों के 32,781 औपचारिकतापूर्ण आवेदन विद्युत लाइन विस्तार कार्य हेतु लंबित है. निराकृत किये जाने का समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

दुर्ग वनवृत्त के अंतर्गत राजनांदगांव व खैरागढ़ वनमंडलों में संपादित फेंसिक कार्य

16. (क्र. 167) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016 से प्रश्नावधि तक दुर्ग वनवृत्त के अंतर्गत राजनांदगांव व खैरागढ़ वनमंडलों में किन-किन परिक्षेत्र में चैन लिंक फेंसिंग व अन्य फेंसिंग कार्य किए गए हैं ? किन किन एजेंसियों/ फर्म से कौन-कौन सी सामग्रियों की खरीदी की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-एक एवं दो ” में दर्शित है.

छ. ग. राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा राईस मिलर्स को निम्नदाब/उच्चदाब विद्युत कनेक्शन का प्रदाय

17. (क्र. 168) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छ. ग. राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव जिले में वर्ष 2018 से प्रश्नावधि तक कितने राईस मिलर्स को किस किस फर्म या प्रोपराइटर के नाम से निम्नदाब/ उच्चदाब विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया है ? उक्त अवधि में फर्म द्वारा कितने युनिट विद्युत खपत किया गया है ? वर्षवार, माहवार, यूनिटवार खपत की जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव जिले में वर्ष 2018 से दिनांक 07-08-2020 तक निम्नदाब के 13 तथा उच्चदाब के 04 कुल 17 राईसमिल के विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये गये हैं. उक्त अवधि में जारी किये गये विद्युत कनेक्शन के फर्म का नाम एवं विद्युत खपत की मात्रा (यूनिट में) का वर्षवार माहवार विवरण निम्नदाब के उपभोक्ता हेतु † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं उच्चदाब के उपभोक्ता हेतु † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

बिलासपुर जिले में खनन कार्य का लक्ष्य एवं पूर्ति

18. (क्र. 179) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में 2019-20 व 2020-21 में कुल कितने खनन कार्य का लक्ष्य रखा गया था ? (ख) कुल कितने खनन हुए विधानसभाक्षेत्र वार बताएं ? (ग) वर्ष 2020-21 में बेलतरा विधानसभा में कितने का लक्ष्य था व कुल कितना खनन हुआ ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) अविभाजित बिलासपुर जिले में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में कुल 481 खनन कार्य का लक्ष्य रखा गया. (ख) वर्ष 2019-20 व वर्ष 2020-21 में कुल 360 नलकूप खनन किये गये हैं. विधानसभा क्षेत्र वार विवरण † † संलग्न में दर्शित अनुसार है. (ग) विधानसभा क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है. अपति वर्ष 2020-21 में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 10 नलकूप खनन किया गया है.

वन विभाग में सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित निविदा

19. (क्र. 180) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4-8-2020 तक वनमंडल अधिकारी बीजापुर, जगदलपुर, धमतरी व उपनिदेशक टाईगर रिजर्व द्वारा सामग्री क्रय व अन्य कार्यों

हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी ? (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार निविदाएं किन समाचार पत्रों में कब-कब प्रकाशित की गईं तथा प्रकाशित विज्ञापन में निविदा फार्म बिक्री की प्रारंभिक तिथि जमा करने की अंतिम तिथि क्या थी ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रश्नांकित अवधि के दौरान बस्तर वनमंडल (जगदलपुर मुख्यालय), बीजापुर वनमंडल, धमतरी वनमंडल, इन्द्रावती टाईगर रिजर्व बीजापुर, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी बिलासपुर एवं उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद के अंतर्गत सामग्री क्रय एवं अन्य कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की गईं थीं। विस्तृत विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) प्रश्नांक (क) में आमंत्रित निविदाओं (किन समाचार पत्रों में कब-कब प्रकाशित की गईं तथा प्रकाशित विज्ञापन में निविदा फार्म बिक्री की प्रारंभिक तिथि जमा करने की अंतिम तिथि क्या थी ?) का विस्तृत विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र में फ्रेडा द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण

20. (क्र. 189) **श्री चंदन कश्यप** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018 से 31 जुलाई 2020 तक फ्रेडा विभाग द्वारा किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य किया गया है ? उक्त ग्रामों में कितने परिवारों को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया ? (ख) कितने परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया जाना शेष है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2018 से 31 जुलाई 2020 तक फ्रेडा द्वारा ग्रामों का नहीं अपितु 67 मजराटोलों में 1,539 परिवारों का सोलर होम लाईट संयंत्र स्थापित कर विद्युतीकरण किया गया है। विद्युतीकृत किए गए उक्त मजराटोलों में लाभान्वित परिवारों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 256 परिवारों को सोलर होम लाईट संयंत्रों के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाना शेष है।

नारायणपुर विधान सभा के कृषकों को विद्युत पंप कनेक्शन का प्रदाय

21. (क्र. 190) **श्री चंदन कश्यप** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने कृषकों द्वारा स्थाई/अस्थाई विद्युत पंप कनेक्शन के कितने आवेदन वर्ष 2018 से 31 जुलाई 2020 तक प्राप्त हुए ? उक्त में से कितने में कनेक्शन प्रदान किया गया एवं कितने किन-किन कारणों से लंबित है ? जानकारी दें ? (ख) लंबित आवेदनों को स्वीकृत कर कब तक कनेक्शन प्रदान कर दिया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन के 66 एवं अस्थायी के 50 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें से 23 आवेदकों को स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन एवं सभी 50 आवेदकों को अस्थायी कनेक्शन प्रदाय किया गया है। स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन के शेष 43 आवेदनों में से 21 आवेदनों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने पर विद्युत विस्तार कार्य प्रक्रियाधीन है, 18 आवेदन औपचारिकताओं हेतु लंबित है एवं 4 आवेदन औपचारिकताएं पूर्ण नहीं होने के कारण निरस्त किये गये हैं। (ख) सभी 39 लंबित आवेदन स्वीकृत हैं। कार्यपूर्णा हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला जांजगीर -चांपा में कलेक्टर जन दर्शन में प्राप्त आवेदनों का निराकरण

22. (क्र. 213) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कलेक्टर जन दर्शन में वर्ष 2020 में 1-1-2020 से 31-07-2020 तक कितने आवेदन प्राप्त हुआ है ? (ख) प्राप्त आवेदनों में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई और कितने हितग्राहियों का आवेदन प्राप्त हुआ विकासखण्डवार बतायें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में प्रश्नावधि में जिला कलेक्टर को जन चौपाल में कुल 109 आवेदन प्राप्त हुए हैं। (ख) प्राप्त आवेदनों पर की गयी कार्यवाही की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	लंबित आवेदन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवागढ़	29	21	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	अकलतरा	11	10	1
3.	बलौदा	27	26	1
4.	पामगढ़	7	7	0
5.	बम्हनीडीह	11	11	0
6.	सवती	5	4	1
7.	जैजैपुर	6	3	3
8.	मालखरौदा	4	4	0
9.	डमरा	9	7	2
	योग	109	93	16

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में अनियमित बिजली बिल भेजने की प्राप्त शिकायत

23. (क्र. 214) **श्री केशव प्रसाद चंदा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के उपभोक्ताओं को स्पॉट बिलिंग में अधिक बिल भेजे जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है, यदि हां तो कितने उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सुधार किया गया है ? (ख) अनियमित लाईन कटौती का क्या कारण है बतायें ? इस संबंध में कितनी शिकायत प्राप्त हुई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हाँ. विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को वर्ष 2020 में दिनांक 01-01-2020 से 31-07-2020 तक अवधि में स्पॉट बिलिंग वाले 589 उपभोक्ताओं से अधिक विद्युत बिल दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है. प्राप्त सभी 589 उपभोक्ताओं के विद्युत बिल में सुधार कर शिकायतों को निराकृत कर दिया गया है. (ख) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा अनियमित विद्युत कटौती नहीं की जा रही है. माह जनवरी 2020 से जुलाई 2020 की अवधि में आपातकालिक विद्युत प्रबंधन से संबंधित 2,445 शिकायतें प्राप्त हुई जिनका निराकरण किया गया है.

जर्जर वाहनों व ओव्हर लोड वाहनों पर कार्यवाही

24. (क्र. 221) **श्री नारायण चंदेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिला, कोरबा जिला एवं रायगढ़ जिले में 1 जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2020 तक विभाग द्वारा मोटर एवट के तहत कितने जर्जर, जीर्ण-शीर्ण एवं ओव्हरलोड ट्रक, हाईवा एवं अन्य वाहनों को पकड़ा गया है ? (ख) प्रश्न “क” के संदर्भ में परिवहन विभाग द्वारा इन वाहन मालिकों के विरुद्ध एवं वाहनों के जर्जर व क्षमता से अधिक (ओव्हरलोड) माल के ढुलाई किये जाने के कारण कितने वाहनों को उवत जिले में राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या उवत जिलों में जर्जर वाहनों व क्षमता से अधिक (ओव्हरलोड) सामग्री ले जाने एवं प्रदूषण युक्त सामग्री की ढुलाई को रोकने हेतु कार्य योजना विभाग द्वारा बनाई गई है ? एवं उवत जिलों में क्षमता से अधिक (ओव्हरलोड) को रोकने एवं जांच करने हेतु कितने धरमकांटा कहां-कहां पर लगाये गये है ? (घ) प्रश्न “ख” एवं “ग” के अनुसार ट्रकों एवं हाईवा के अवैध क्षमता से अधिक (ओव्हरलोड) परिवहन किये जाने हेतु कौन जिम्मेदार है ? दोषियों के विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं रायगढ़ जिले में 01 जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2020 तक विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194 के तहत कुल 1420 ओव्हरलोड वाहनों को पकड़ा गया है. जर्जर, जीर्ण-शीर्ण वाहनों की जानकारी निरंक है. (ख) वाहनों की राजसात किये जाने की कार्यवाही निरंक है. (ग) विभाग में पृथक से कोई कार्ययोजना नहीं है, जर्जर वाहनों एवं प्रदूषणयुक्त सामग्री की ढुलाई को रोकने हेतु, मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है. वाहनों के ओव्हरलोड के संबंध में कार्यवाही उत्तर “क” अनुसार की गई है. विभाग द्वारा कोई धरमकांटा स्थापित नहीं किया गया है, सुविधानुसार निजी क्षेत्र के धरमकांटा से नाप-तौल कर कार्यवाही की जाती है. (घ) ओव्हरलोड परिवहन के लिए वाहन स्वामी/वाहन चालक जिम्मेदार है. दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है.

बुनकर सहकारी समितियों को धागा व मजदूरी का प्रदाय

25. (क्र. 222) **श्री नारायण चंदेल** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. प्रदेश में कुल कितनी बुनकर सहकारी समितियां हैं ? इन्हें कब से बुनाई हेतु धागा प्राप्त नहीं हुआ है ? धागा नहीं मिलने का क्या कारण है ? शासन द्वारा किन

शर्तों व नियमों के तहत बुनकरों को धागा प्रदाय किया जाता है ? (ख) प्रदेशों में बुनकरों की कितनी माह की बुनाई की मजदूरी शेष है, जिसका भुगतान नहीं हो पाया है ? किन-किन जिलों में अब तक भुगतान नहीं हुआ है, तथा कितनी राशि है जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? (ग) बुनकरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने हेतु कौन-कौन जिम्मेदार व दोषी है ? शेष राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा ? क्या शासन द्वारा प्रदेश में बुनकरों का शेष कर्ज माफ करने की कोई योजना है ? यदि हां तो कब तक की जायेगी ? (घ) क्या शासन द्वारा प्रदेश के बुनकरों को आर्थिक पैकेज देने की कोई योजना है ? यदि हां तो सम्पूर्ण जानकारी के साथ अवगत कराये ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यरत बुनकर सहकारी समितियों को बुनाई हेतु धागा निरंतर दिया जा रहा है. छ. ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ के माध्यम से वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 231 बुनकर सहकारी समितियों को 49.91 करोड़ रुपये का धागा वस्त्र उत्पादन हेतु प्रदाय की गया है एवं वर्ष 2020-21 में 140 बुनकर सहकारी समितियों को अबतक 6.74 करोड़ रुपये का धागा उत्पादन हेतु प्रदाय किया गया है. शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना के तहत शासकीय विभागों से वस्त्र क्रय आदेश प्राप्त होने पर बुनकर समितियों के उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्पादन हेतु धागा प्रदाय किया जाता है. (ख) राज्य हाथकरघा संघ के उत्पादन में संलग्न बुनकर सहकारी समितियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 10-08-2020 तक 12.52 करोड़ रुपये का बुनाई पारिश्रमिक भुगतान किया गया है. वस्त्र उत्पादन में संलग्न बुनकर सहकारी समितियों का बुनाई पारिश्रमिक भुगतान लंबित नहीं है. (ग) चूंकि मजदूरी भुगतान लंबित नहीं है इसलिए इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता. शासन द्वारा कर्जमाफी की कोई योजना नहीं है. (घ) शासन द्वारा बुनकरों को आर्थिक पैकेज देने हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है.

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित सब स्टेशन पावर प्लांट

26. (क्र. 229) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष जुलाई 2020 की स्थिति में कहीं-कहीं सब स्टेशन पावर प्लांट लगाए जाने की योजना प्रस्तावित है ? और उसका क्रियान्वयन कब तक होगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : विधानसभा क्षेत्र खुज्जी के अंतर्गत जुलाई 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा किसी भी जगह 33/11 के. व्ही. सबस्टेशन प्रस्तावित नहीं है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

राजनांदगांव जिले में किसानों से स्थाई पंप कनेक्शन के प्राप्त आवेदन

27. (क्र. 230) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2018 से 31 जुलाई तक स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी बतावे ? (ख) प्रश्नांक "क" में प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदकों को स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन प्रदाय किया गया है एवं कितना शेष है तथा शेष लंबित स्थायी विद्युत कनेक्शन के कारण क्या है ? कृपया वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी बतावे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि तक राजनांदगांव जिले में स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन हेतु कुल 10,829 आवेदन प्राप्त हुए हैं. प्राप्त आवेदनों के संख्या की वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश "क" में प्राप्त 10,829 आवेदनों में से 3,697 कृषकों को कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है तथा 5,017 आवेदन विद्युत विस्तार कार्य हेतु लंबित है तथा शेष 2,115 आवेदकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण नहीं करने के कारण उनके आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन आवेदनों के विस्तार कार्य पूर्ण होने पर विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जावेगा. प्रदाय किये गये कनेक्शन एवं लंबित आवेदनों के संख्या की वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला जांजगीर चांपा में हैण्डपंप खनन का लक्ष्य

28. (क्र. 235) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में हैण्डपंप खनन के लिये वर्ष 2020-21 में कितने हैण्डपंप खनन का लक्ष्य मिला था लक्ष्य के विरुद्ध कितना खनन किया गया ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : जांजगीर-चांपा जिले में हैण्डपंप खनन के लिये वर्ष 2020-21 में 150 नलकूप (हैण्डपंप) खनन का अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है. लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 31-07-2020 तक 88 नलकूपों का खनन कार्य पूर्ण करा दिया गया है.

जिला जांजगीर-चाम्पा में जन शिकायतों का निवारण

29. (क्र. 236) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर-चाम्पा से मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम (जन-चौपाल) के माध्यम से सत्र 2019-20 में कितने लोगों की समस्या सुनी गयी व कितने प्राप्त आवेदन का निराकरण हुआ, और कितने लंबित है ? ब्लाकवार जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : प्रश्नावधि में जिला जांजगीर-चांपा में मुख्यमंत्री जन-चौपाल में 229 आवेदकों की समस्या सुनी गई। कुल प्राप्त, निराकृत व लंबित आवेदनों की ब्लॉकवार जानकारी निम्नानुसार है -

क्र. (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	प्राप्त आवेदन (3)	निराकृत आवेदन (4)	लंबित आवेदन (5)
1.	नवागढ़	45	45	0
2.	अकलतरा	23	23	0
3.	बलौदा	39	39	0
4.	पामगढ़	32	31	1
5.	बम्हनीडीह	36	36	0
6.	सवती	8	7	1
7.	जैजैपुर	10	10	0
8.	मालखरौदा	23	23	0
9.	डमरा	13	13	0
योग		229	227	2

सविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

30. (क्र. 247) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सविदा के माध्यम से अधिकारी एवं कर्मचारी कितने समय से कार्यरत हैं ? (ख) उक्त कर्मचारियों को नियमित करने हेतु शासन की क्या कार्ययोजना है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सविदा नियुक्ति) नियम, 2004 छत्तीसगढ़ राज्य में 28 जुलाई 2004 से लागू है। लागू दिनांक से विभिन्न विभागों में अलग-अलग समय में अलग-अलग समयावधि हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती रही है। (ख) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सविदा नियुक्ति) नियम, 2004 में नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

रामवन गमन पथ का चयन एवं उक्त मार्गों में पौधारोपण

31. (क्र. 260) **श्री प्रकाश शंकाजीत नायक** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रामवन गमन पथ के अंतर्गत राज्य में किन-किन सड़कों का चयन कर उसे पहचान दिलाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही वन विभाग द्वारा की गई है ? (ख) उक्त मार्गों में हरियाली योजना के अंतर्गत कितनी-कितनी लागत की कितने-कितने नग तथा किस प्रकार के पौधों का रोपण किया गया है ? (ग) रोपित पौधों की लागत की जानकारी उपलब्ध करावें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रामवन गमन पथ अंतर्गत राज्य के चयनित मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है। उक्त मार्गों को पहचान दिलाने हेतु वन विभाग द्वारा चयनित मार्गों में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। (ख) उक्त मार्गों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत रोपण कार्य किया गया है। चयनित मार्गों पर रोपित पौधों की प्रजाति, पौधों की संख्या एवं लागत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है।

जिला रायगढ़ में खनिज पदार्थों के अवैध खनन एवं भंडारण के दर्ज प्रकरण

32. (क्र. 261) **श्री प्रकाश शंकरजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 में रायगढ़ जिले में खनिज विभाग द्वारा कोयले, रेत तथा गिट्टी के अवैध खनन तथा भंडारण करने वाले खनिज पट्टाधारियों के विरुद्ध कुल कितने प्रकरण दर्ज किए गए ? (ख) अवैध खनन तथा भंडारण करने वाले कुल कितने पट्टा धारियों का खनिज पट्टा निरस्त किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2019-20 में खनिज कोयला, रेत एवं गिट्टी के किसी भी खनिरियायतधारी के विरुद्ध अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है, अपितु स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने के 07 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें 05 लाख समझौता अर्थदण्ड वसूल किया गया है. (ख) किसी भी पट्टाधारी का खनिज रियायत निरस्त नहीं किया गया है.

अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना हेतु जारी दिशा निर्देश

33. (क्र. 270) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के संदर्भ में सहकारिता विभाग व वित्त विभाग के द्वारा ऋण माफी हेतु अलग-अलग निर्देश जारी किए गए थे ? यदि हां तो कब-कब जारी किए गए थे व दोनों निर्देशों में ऋण माफी की पात्रता क्या थी ? (ख) क्या यह सही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों के द्वारा 1 नवम्बर, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 के मध्य लिफ्टिंग या नगद के रूप में चुकाए गए ऋणों की राशि को माफ नहीं किया गया है और जिन किसानों के द्वारा ऋण पटा दिया गया है उसे वापस नहीं किया गया है ? यदि हां तो क्यों व उन्हें कब तक पटाई गई राशि वापस की जावेगी ? (ग) इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र क्रमांक 1000/ने. प्र. वि. स./2020, रायपुर दिनांक 20-02-2020 पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. ऋण माफी हेतु सहकारिता विभाग द्वारा दिनांक 21-12-2018 तथा यथासंशोधित दिनांक 16-07-2020 एवं वित्त विभाग द्वारा दिनांक 01-03-2019 को निर्देश जारी किए गए हैं.

सहकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देश में ऋण माफी की पात्रता :-

- (i) प्रदेश के सभी कृषकों का ऐसा अल्पकालीन कृषि ऋण/स्थगित ऋण/मध्यकालीन परिवर्तित ऋण एवं मध्यकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो दिनांक 30 नवंबर, 2018 पर बकाया हो, ऐसी बकाया राशि माफ की जाएगी.
- (ii) प्रदेश दिनांक 01 नवंबर, 2018 से दिनांक 30 नवंबर, 2018 के मध्य लिफ्टिंग या नगद के रूप में चुकाये गये ऋणों की राशि भी माफी योग्य रहेगी, जो कृषकों को वापसी योग्य होगी.
- (iii) परफार्मिंग खातों (भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा अनुसार) में फसलवार ऋण माफी की सीमा हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए धान की फसल हेतु निर्धारित ऋण मान अथवा फसल विशिष्ट के लिए निर्धारित ऋण मान (Scale of Finance) में जो भी राशि न्यून हो, वहीं ऋण माफी हेतु पात्र होगी.

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश में ऋण माफी की पात्रता :-

- (i) प्रदेशों के सभी कृषकों का ऐसा अल्पकालीन कृषि ऋण/स्थगित ऋण/मध्यकालीन परिवर्तित ऋण एवं मध्यकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो दिनांक 30 नवंबर, 2018 पर बकाया हो, ऐसी बकाया राशि माफ की जाएगी.
- (ii) फसलवार ऋण माफी की सीमा हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए धान की फसल के लिए निर्धारित ऋण मान अथवा फसल विशिष्ट के लिए निर्धारित ऋण मान (Scale of Finance) में जो भी राशि न्यून हो, वहीं ऋण माफी हेतु पात्र होगी.

(ख) जी हां. राज्य शासन द्वारा “सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों के लिये अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना-2019” दिनांक 01-03-2019 की कंडिका (i) के अनुसार 30 नवंबर 2018 को बकाया राशि ही ऋण माफी योग्य है. (ग) इस संबंध में दिनांक 12-12-2019 को आवेदकों को सूचित किया जा चुका है.

पत्रों पर की गई कार्यवाही

34. (क्र. 271) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रमुख सचिव, वन विभाग को प्रेषित पत्र क्र. V 945/ने. प्र./2020, दिनांक 06-01-2020 पर क्या कार्यवाही की गई है तथा कृत कार्यवाही से कब अवगत कराया गया है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को प्रेषित माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पत्र क्र. V 945/ने. प्र./2020, दिनांक 06-01-2020 के संबंध में तत्समय तक की गयी कार्यवाही की जानकारी प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 984/03/2020/10-2, दिनांक 22-02-2020 के द्वारा मान. नेता प्रतिपक्ष को प्रेषित की गयी थी. तदोपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सत. शिका./शा.-228/677, दिनांक 13-03-2020 के माध्यम में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज./सम.) को जांच का कार्य सौंपा गया. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के उक्त पत्र के पालन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज./सम.) द्वारा अपने पत्र क्रमांक/नि. सहा./2020/4878, दिनांक 15-07-2020 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया. कृत कार्यवाही से माननीय नेता प्रतिपक्ष को प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 3080/03/ VIP/2020 दिनांक 05-08-2020 द्वारा अवगत कराया गया है.

कैम्पा मद से राज्य शासन को प्राप्त राशि

35. (क्र. 273) **श्री विद्यारतन मसीन** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए कैम्पा मद से राज्य सरकार को कितने रुपये प्राप्त हुये है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए कैम्पा मद से राज्य सरकार को निम्नानुसार राशि प्राप्त हुये है :-

अनु. क्र.	वित्तीय वर्ष	कैम्पा मद से प्राप्त राशि (रु. करोड़ में)
1.	2019-20	848.51
2.	2020-21	964.54

राजनांदगांव में क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

36. (क्र. 284) **श्री मुनेश्वर शोभाराम बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव में क्रेडा के क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु किस वर्ष में कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? (ख) प्रश्नांश “क” के क्षेत्रीय कार्यालय भवन हेतु निविदा कब आमंत्रित की गई ? निर्माण हेतु क्या-क्या शर्त निर्धारित की गई थी, क्या निर्माण हेतु नगर निवेश से अनुमति ली गई ? कार्यादेश किस फर्म ठेकेदार को दिया गया ? (ग) निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कब-कब किस अधिकारी द्वारा किया गया ? तिथिवार निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम बतावें. निर्माण में क्या-क्या खामियां पायी गई हों तो ठेकेदार नोटिस दिया गया ? जानकारी दें. (घ) भवन निर्माण के संबंध में किस-किस व्यक्ति द्वारा कब-कब शिकायत पर क्या कार्यवाही गई ? शिकायत एवं निराकरण का विवरण दें.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राजनांदगांव में क्रेडा के क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु वर्ष 2011-12 में राशि रुपये 89.77 लाख स्वीकृत किया गया है. (ख) उत्तरांश “क” अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय भवन हेतु निविदा दिनांक 19-04-2011 को आमंत्रित की गई. निर्माण हेतु निर्धारित शर्त की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. उक्त भवन निर्माण हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, नया रायपुर से अनुमति प्राप्त की गई है. उक्त भवन के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर निविदा में न्यूनतम दर प्राप्त सफल निविदाकार इकाई मेसर्स श्री राम बिल्डर्स, रायपुर के कार्यादेश जारी किया गया. (ग) निर्माणाधीन भवन के निरीक्षण की तिथिवार निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. कार्यालय भवन के निर्माण के प्रारंभ में ही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता एवं अनुपात में खामी पाए जाने पर ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया था. तदुपरांत निर्माण पूर्ण होने पर कोई खामी नहीं पायी गई. (घ) भवन निर्माण के संबंध में श्री रूपेश दुबे, जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02-04-2013 को नगर निवेश तथा नगर निगम की अनुमति नहीं होने एवं भवन की लागत बढ़ने के संबंध में शिकायत की गई थी. भवन निर्माण की स्वीकृति आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर ली गई है तथा शिकायत में सम्मिलित बिन्दुओं यथा निर्माण लागत में वृद्धि, कार्यों के मापदण्ड एवं कार्यों की मात्रा में परिवर्तन आदि की स्वीकृति समय-समय पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई थी.

जिला राजनांदगांव में कृषकों को स्थाई कनेक्शन प्रदाय का लक्ष्य

37. (क्र. 286) श्री मुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2017-18 से 31 जुलाई 2020 तक कुल कितने कृषकों को सिंचाई हेतु स्थाई विद्युत पंप कनेक्शन प्रदाय का लक्ष्य रखा गया ? संभागवार/वितरण केन्द्रवार संख्या बतावें। (ख) प्रश्नांश “क” अवधि में स्थाई पंप कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? (ग) प्रश्नांश “ख” अनुसार कितने किसानों को स्थाई कनेक्शन प्रदाय किया जाना शेष है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कृषि कार्य हेतु स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन प्रदाय करने हेतु राजनांदगांव जिले के लिये आवंटित लक्ष्य निम्नानुसार है :-

क्रमांक	संभाग	वर्षवार लक्ष्य			
		2017-18	2018-19	2019-2020	2020-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राजनांदगांव			600	340
2.	खैरागढ़			500	230
3.	डोंगरगढ़	निरंक	निरंक	450	250
4.	डोंगरगांव			450	180
राजनांदगांव जिला योग				2000	1000

(ख) प्रश्नांश “क” की अवधि में स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन प्रदाय करने हेतु राजनांदगांव जिले में कुल 10,871 आवेदन प्राप्त हुए। (ग) प्राप्त कुल 10,871 आवेदनों में से स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन प्रदाय करने हेतु 5,017 कृषकों के आवेदन लंबित है।

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हाथियों से जनहन की हानि के दर्ज प्रकरण

38. (क्र. 298) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017 से जून 2020 तक हाथियों से कितनी जनहानि, मकान क्षति फसल हानि के प्रकरण दर्ज हुए हैं, कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा प्रदान की गई है ? (ख) शासन द्वारा स्थायी समाधान के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017 से जून 2020 तक हाथियों से जनहानि के 57 प्रकरण घटित हुये हैं, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि राज्य शासन द्वारा रु. 2,54,25,000/-का भुगतान किया गया है। मकान हानि के 779 प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि रु. 2,76,50,898/- का भुगतान एवं फसल हानि के 10032 प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि रु. 8,85,81,557/- का भुगतान किया गया है। (ख) शासन द्वारा हाथी समस्या के समाधान हेतु निम्नानुसार उपाय किये जाकर योजना बनाई गई है :-

- (1) रहवास क्षेत्र में जल एवं चारा विकास उपलब्धता हेतु हाथी रहवास क्षेत्र का विकास।
- (2) हाथी-मानव द्वंद को कम करने के लिए हाथी मिल दल का गठन किया गया है, जिनके द्वारा हाथियों से सुरक्षित रहने हेतु जागरूकता उत्पन्न करना, वर्तमान में जंगली हाथियों के गतिविधियों के मॉनिटरिंग आदि का कार्य वन अमले द्वारा किया जा रहा है।
- (3) इसके अलावा वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों की बैठक लेकर हाथियों से सजग रहने हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विभागीय स्तर पर हाथी मित्र दल, हुल्ला पार्टी, वन प्रबंधन समिति एवं वन कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास से क्षेत्र में हाथी आने पर रिहायशी क्षेत्रों में हूटर से अनाउसमेंट कराकर ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने एवं जंगल की ओर न जाने हेतु सूचित किया जाता है।

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित वन समितियों

39. (क्र. 299) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितनी वन समितियाँ संचालित हैं ? (ख) उन समितियों में कितनी राशि वर्तमान में जमा है ? (ग) उक्त राशि से कौन-कौन से कार्य कराने का प्रावधान है ? (घ) बीते 3 वर्ष में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ? समितिवार जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 241 वन प्रबंधन समितियाँ संचालित हैं। (ख) उक्त वन

प्रबंधन समितियों में वर्तमान में रु. 309.65 लाख की राशि जमा है. (ग) वन प्रबंधन समितियों को प्राप्त लाभार्थ राशि का उपयोग मुख्यतः वनों के विकास, लघुवनोपज तथा औषधि पौधों के उत्पादन, संरक्षण, प्रशिक्षण, विपणन एवं प्रसंस्करण तथा ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार विकास कार्यों में किये जाने का प्रावधान है. (घ) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र की वन प्रबंधन समितियों में विगत 03 वर्षों में किये गये कार्य की संख्या एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्षवार किये गये कार्य की संख्या एवं व्यय राशि (रु. लाख)					
2017-18		2018-19		2019-20	
कार्य संख्या	व्यय राशि	कार्य संख्या	व्यय राशि	कार्य संख्या	व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
148	121.97	124	95.94	118	46.23

जिला गरियाबंद में निर्माण कार्य की स्थिति

40. (क्र. 312) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला गरियाबंद के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितने निर्माण कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण है ? (ख) गरियाबंद जिले के अंतर्गत नल-जल योजना के तहत कितनी पानी टंकी संचालित है ? इनमें से कितनी उपयोग में है व कितनी खराब है ? खराब हुए पानी टंकी को कब तक उपयोग में लाया जा सकता है ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) जिला गरियाबंद के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 325 निर्माण कार्य पूर्ण तथा 617 निर्माण कार्य अपूर्ण एवं वर्ष 2020-21 में 124 निर्माण कार्य पूर्ण एवं 49 निर्माण कार्य अपूर्ण है. (ख) गरियाबंद जिले के अंतर्गत नलजल योजना के तहत 74 पानी टंकी संचालित योजनाएं हैं. इनमें से 73 योजनाओं में टंकी का उपयोग हो रहा है व 01 योजना की पानी टंकी खराब (जर्जर स्थिति) में होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा रहा है अपितु उसके स्थान पर आवर्धन जल प्रदाय योजनांतर्गत नवीन पानी टंकी का निर्माण हो चुका है, जिसके माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है.

जिला बेमेतरा अधिक बिजली बिल की प्राप्त शिकायतें

41. (क्र. 318) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा जिले में जनवरी 2019 से जुलाई 2020 के दौरान अधिक विद्युत बिल की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? बेमेतरा डिविजन अंतर्गत रांका फीडर अंतर्गत प्राप्त अधिक बिल की कितनी शिकायतें दर्ज की गई ? (ख) प्रश्नांश “क” अंतर्गत रांका फीडर में अधिक बिजली बिल शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी दें.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में बेमेतरा जिले में अधिक विद्युत बिल दिये जाने की 3,582 उपभोक्ताओं की शिकायतें जिले के विभिन्न वितरण केन्द्र कार्यालयों में प्राप्त हुई. उक्त अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के संभागीय कार्यालय बेमेतरा के अंतर्गत, रांका वितरण केन्द्र में अधिक विद्युत बिल दिये जाने की 441 उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त हुई. (ख) उत्तरांश “क” के रांका वितरण केन्द्र में प्राप्त सभी 441 शिकायतों के बिल सुधार की कार्यवाही की गयी.

प्रदेश में तैदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य

42. (क्र. 323) **डॉ. रमन सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में तैदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य क्या था तथा लक्ष्य के विरुद्ध कितना तैदूपत्ता संग्रहण वर्षवार किया गया ? (ख) प्रदेश में तैदूपत्ता संग्रहकों को वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 में कितना तैदूपत्ता बोनास कितने संग्रहकों को प्रदान किया गया ? (ग) प्रश्नांश “ख” के अंतर्गत तैदूपत्ता संग्रहकों के लिये वर्तमान में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा कोई बीमा की योजना संचालित है ? यदि हां तो पूर्व में कौन सी बीमा योजना के तहत तैदूपत्ता संग्रहकों को लाभ मिल रहा था ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रदेश में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में तैदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य क्रमशः

16,71,800.000 मानक बोरा, 16,71,700.000 मानक बोरा तथा 16,71,700.000 मानक बोरा था. लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में क्रमशः 14,90,609.330 मानक बोरा, 15,04,812.490 मानक बोरा तथा 9,72,868.140 मानक बोरा का संग्रहण किया गया है. (ख) तैदूपत्ता संग्रहकों को बोनस राशि के वितरण का प्रावधान नहीं है. (ग) तैदूपत्ता संग्रहक परिवार के मुखिया के लिए वर्ष 2019 में मई 2019 तक बीमा संबंधी (i) अभिसारित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा (ii) अभिसारित आम आदमी बीमा योजना संचालित थी. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपने पत्र दिनांक 10-10-2019 से अभिसारित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अभिसारित आम आदमी बीमा योजनाओं के नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान नहीं दिये जाने के कारण उक्त योजनाएं वर्तमान में संचालित नहीं है. तैदूपत्ता संग्रहक परिवार के अन्य सदस्यों हेतु वर्ष 2019 एवं 2020 में मार्च 2020 तक समूह बीमा योजना के अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराया गया है. दिनांक 01-04-2020 से वर्तमान तक इसका संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थान पर छ. ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाकर सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है.

लुण्डा विधान सभा क्षेत्र में पौधा रोपण

43. (क्र. 332) डॉ. **प्रीतम राम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र लुण्डा अंतर्गत कितने क्षेत्र में कितने पौधों का पौधा रोपण किया गया ? वर्षवार पिछले पांच वर्षों की जानकारी दें. (ख) रोपित पौधों में से कितने पौधे जीवित रहे ? वर्षवार/क्षेत्रवार पिछले पांच वर्ष की जानकारी दें.

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

लुण्डा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामोद्योग योजना के तहत केशर की स्वीकृति

44. (क्र. 333) डॉ. **प्रीतम राम** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र लुण्डा अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में कितने केशर की स्वीकृति ग्रामोद्योग योजना के तहत प्रदाय की गई ? (ख) स्वीकृत प्रकरणों पर क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु क्या मापदण्ड/शर्तें हैं ? (ग) उक्त मापदण्ड/शर्तों के पालन सुनिश्चित कराने हेतु विभाग की क्या व्यवस्था है ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) विधान सभा क्षेत्र लुण्डा अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में एक भी केशर की स्वीकृति प्रदाय नहीं की गयी है. (ख) स्वीकृत प्रकरणों पर क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु ग्रीन ट्रीब्यूनल की नियमों एवं शर्तों का पालन कराया जाता है, जैसे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, पानी का छिड़काव करना, आबादी से दूर केशर स्थापित करना आदि. (ग) विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं अन्य शर्तों का पालन करने हेतु केशर मालिकों को सलाह दी जाती है.

रेरा में बिल्डरों के विरुद्ध दर्ज शिकायत

45. (क्र. 364) डॉ. **कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में जुलाई, 2020 की स्थिति में किन-किन बिल्डरों के विरुद्ध प्रकरण किन-किन शिकायतों के आधार पर दर्ज है ? विगत 02 वर्षों में किन-किन बिल्डरों को कौन-कौन सी अनियमितता के कारण क्या-क्या दण्ड/जुर्माना/अन्य आदेश दिये गये हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन बिल्डरों द्वारा दण्ड/जुर्माना/अन्य आदेश की पूर्ति कर दी गई है तथा किन-किन बिल्डरों द्वारा नहीं की गई व क्यों ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण को जुलाई, 2020 की स्थिति में प्राप्त शिकायत की जानकारी एवं विगत 02 वर्षों में प्रकरणों में दण्ड/जुर्माना/आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. शिकायतकर्ता द्वारा (1) प्रमोटर्स बिल्डर्स के अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय में कार्यपूर्ण नहीं किये जाने. (2) निर्धारित समयावधि में अधिपत्य नहीं सौंपे जाने. (3) ब्रोशर/अनुबंध के अनुसार प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण नहीं कर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने. (4) निर्माण की गुणवत्ता में कमी आदि शिकायतों के आधार पर प्रकरण दर्ज किये गये हैं. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-7 एवं 9 अनुसार है. जिला रायपुर के 19 बिल्डरों के 48 जिला दुर्ग के 06 बिल्डरों के 09 एवं जिला बिलासपुर के 02 बिल्डरों के 04 प्रकरणों में अपील किए जाने एवं प्रकरणों के आदेश में निष्पादन की कार्यवाही किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

मुंगेली जिले के वनमण्डलों में आवर्ती चराई योजना के अन्तर्गत चिन्हित गौटान

46. (क्र. 370) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली जिले के वनमंडलों में आवर्ती चराई योजना के अन्तर्गत कितने-कितने गौटान कहां-कहां चिन्हित किए गए हैं ? मण्डलवार क्षेत्रफल सहित बतावें ? (ख) कंडिका “क” के किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के प्रारंभ किए गए हैं ? (ग) क्या आवर्ती चराई योजना के तहत गौटान निर्माण का प्रावधान है ? यदि हां तो कब से ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) मुंगेली जिले के मुंगेली वनमण्डल के आवर्ती चराई इकाई हेतु वन क्षेत्र में 15 स्थल चिन्हांकित किये गये हैं। चिन्हांकित वन क्षेत्र एवं क्षेत्रफल का विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है। (ख) चिन्हांकित 15 स्थलों में से 10 स्थलों पर कार्य प्रारंभ किये गये हैं। कार्य प्रारंभ स्थल, कार्य का नाम एवं लागत का विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है। (ग) वन क्षेत्रों में जैविक दबाव कम करने के साथ-साथ अनियंत्रित चराई को नियंत्रित करने का प्रावधान कार्य आयोजना में है। इसकी पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों में आवर्ती चराई इकाई चिन्हांकित किये गये हैं।

तेन्दूपत्ता खरीदी लक्ष्य एवं लामांश का भुगतान

47. (क्र. 371) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में तेन्दूपत्ता खरीदी का क्या लक्ष्य रखा गया था ? कितना खरीदा गया ? (ख) कंडिका “क” की खरीदी के लिए कितनी-2 राशि की स्वीकृति जारी की गई, उसके विरुद्ध कितना-कितना खर्च किया गया ? (ग) कंडिका “क” के वर्षों में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को लामांश राशि का भुगतान कितने संग्राहकों को किस दर पर किया गया, कितना भुगतान लंबित है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-एक” में दर्शित है। (ग) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को लामांश राशि के वितरण का प्रावधान नहीं है, अपितु तेन्दूपत्ता के व्यापार से शुद्ध लाभ में से 80 प्रतिशत राशि संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण किये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की समितिवार दर एवं संग्राहक संख्या पुस्तकालय में रखे “परिशिष्ट-दो” में दर्शित है। भुगतान हेतु कोई राशि लंबित नहीं है।

रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय रेत खदानों का आबंटन

48. (क्र. 379) **श्री ननकौराम कंवर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला के रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन शासकीय रेत खदानों का आबंटन किया गया है ? उक्त रेत खदानों में प्रतिघन मीटर कितना दर निर्धारित किया गया है ? (ख) अनुसूची-5 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को अपने उपयोग के लिये रेत खनन के लिए क्या अधिकार है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) कोरबा जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 05 रेत खदाने क्रमशः ग्राम चोरमट्टी, बंजारी, बगदर, तरदा एवं मैसामुडा में आबंटन किया गया है। उक्त सभी रेत खदानों में प्रति घन मीटर 86/-रुपये सिलिंग मूल्य निर्धारित किया गया है। (ख) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 3 (तीन) के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए शासकीय भूमि से गौण खनिजों को निकालने के लिये छूट प्राप्त है।

बस्तर जिले में संचालित पंजीकृत रेत खदानें

49. (क्र. 385) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में जिला बस्तर अंतर्गत कुल कितनी पंजीकृत रेत की खदानें कहां-कहां संचालित हैं ? (ख) क्या जिला बस्तर में रेत खदान आबंटन हेतु निविदा इत्यादि की कार्यवाही प्रचलन में है ? यदि हां तो कहां-कहां व इससे संबंधित कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ग) जिला बस्तर में पंजीकृत रेत खदानों से संबंधित वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में प्राप्त रायल्टी राशि की जानकारी उपलब्ध करावें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) वर्तमान में जिला बस्तर अंतर्गत कुल 05 पंजीकृत रेत खदानें ग्राम कलचा, बनियागांव, गुमडेल, बड़ेआमाबाल एवं रेटावण्ड में संचालित हैं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में जिला बस्तर अंतर्गत संचालित रेत खदानों से कुल रुपये 29 लाख 21 हजार 650 रायल्टी राशि के रूप में प्राप्त हुई है।

जिला बस्तर में स्थापित नल जल योजना की स्थिति

50. (क्र. 386) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में जिला बस्तर में कुल स्थापित नल- जल योजना में से कितने चालू, बंद व मरम्मत योग्य हैं ? कृपया स्थलवार बतावें. (ख) प्रश्नांश “क” के परिपेक्ष्य में बंद एवं मरम्मत योग्य नलजल योजना के प्रारंभ करने अथवा सुधार करने विभाग के द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ? (ग) बंद पड़े नलजल योजना के बंद रहने का कारण बतावें ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) जिला बस्तर के अंतर्गत वर्तमान में कुल 118 नलजल योजना स्थापित है. जिसमें से 117 चालू व 01 बंद है जो मरम्मत (सुधार) योग्य है. स्थलवार विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है. (ख) स्थापित बंद एवं मरम्मत योग्य नलजल योजना को प्रारंभ एवं सुधार करने हेतु विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक 07 में दर्शित अनुसार है. (ग) बंद पड़े नलजल योजना के बंद रहने के कारण की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक 06 में दर्शित अनुसार है.

प्रदेश में संचालित विभिन्न तरह की यात्री वाहनों से टैक्स वसूली

51. (क्र. 392) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित विभिन्न तरह के यात्री वाहनों के ऊपर राज्य शासन द्वारा कौन-कौन सा टैक्स कितनी-कितनी राशि (मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक) का लिया जाना निर्धारित है ? कृपया अलग-अलग तरह की वाहनों की अलग-अलग पूरी जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” में वर्णित यात्री वाहनों को कोरोना संकट में वाहन नहीं चल पाने से किस-किस तरह से राहत प्रदान की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे “अ”, “ब” एवं “स” में है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “द” एवं “ई” में है.

रायपुर वन मण्डल में कैम्पा निधि से स्वीकृत राशि

52. (क्र. 397) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर वन मण्डल में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कैम्पा निधि से किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? परिक्षेत्रवार जानकारी दें ? (ख) प्राप्त राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गयी ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

घरसीवा विधानसभा क्षेत्र में हैण्डपंप खनन

53. (क्र. 398) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-2020 अंतर्गत घरसीवा विधानसभा क्षेत्र में कितने नये हैण्डपंप का खनन कहा-कहा किया गया है ? (ख) खोदे गये हैण्डपंप में कितने सफल एवं असफल हुए हैं ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) वर्ष 2019-2020 अंतर्गत घरसीवा विधानसभा क्षेत्र में 66 नये हैण्डपंप (नलकूप) खनन किया गया है. ग्रामवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नं. 03 में दर्शित अनुसार है. (ख) खोदे गये 66 हैण्डपंप (नलकूप) खनन में से 43 सफल एवं 23 असफल हुए हैं.

राजनांदगांव अंतर्गत पेयजल, नलजल, स्पाट सोर्स तथा अन्य विभागीय मद से कराए गए निर्माण

54. (क्र. 411) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य यात्रिकी संभाग, राजनांदगांव के अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 तथा 1-1-2020 से 31-7-2020 तक कुल कितने पेयजल, नलजल, स्पाट सोर्स तथा अन्य विभागीय तथा कलेक्टर सेक्टर मद की योजनाओं के निर्माण कराए गए हैं ? (ख) इन कार्यों की निविदा स्वीकृति के उपरांत कितनी निर्माणाधीन योजनाएं अभी तक अपूर्ण हैं ? कृपया जानकारी दें कि कुल कितने प्रतिशत का निर्माण भौतिक सत्यापन के आधार पर विभाग की

जानकारी में है तथा इन वर्षों में कितना भुगतान किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) लोक स्वास्थ्य यात्रिकी संभाग, राजनांदगांव के अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 31 दिसंबर 2019 तक तथा 01-01-2020 से 31-07-2020 तक की अवधि में स्वीकृत हैण्डपंप, नलजल, स्पॉट सोर्स एवं अन्य विभागीय तथा कलेक्टर सेक्टर मद की कुल 1104 पेयजल योजनाओं के निर्माण कराए गए हैं। कार्यों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है। (ख) इन कार्यों की निविदा स्वीकृति के उपरांत 122 निर्माणाधीन योजनाएं अभी तक अपूर्ण हैं। पूर्ण योजनाओं के वर्तमान कार्य प्रतिशत का भौतिक सत्यापन के आधार पर जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार है। प्रश्नांश अवधि में स्वीकृत कार्यों के सम्पादन में कुल रुपये 2451.834 लाख का भुगतान किया गया है।

छ. ग. हाउसिंग बोर्ड द्वारा जिला राजनांदगांव में निर्माणाधीन कार्यों का भुगतान

55. (क्र. 412) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. हाउसिंग बोर्ड द्वारा जिला राजनांदगांव के अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में किन-किन निर्माण कार्यों का निविदा उपरांत कार्य कराया जा रहा है इन कार्यों में कुल कितना भुगतान निर्माणकर्ता एजेंसी को दिया जा चुका है तथा कुल राशि का जानकारी देवें तथा कुल कितने प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? (ख) छ. ग. विद्युत मंडल द्वारा खुईखदान स्थित अधिकारी/कर्मचारियों के निर्माणाधीन स्टाफ व्वाटर में घटिया निर्माण सामग्री की उपयोग के संबंध में की गई शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा जिला राजनांदगांव के अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-2020 में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण एवं विकास कार्य में सबमर्शिनल पम्प, मोनो ब्लॉक पेनल बोर्ड प्रदाय एवं फिटिंग कार्य निविदा उपरांत कार्यदिश दिनांक 14-01-2019 को दिया जाकर कराया जा रहा है। उपरोक्त कार्य की अनुबंधित राशि रुपये 26.13 लाख है तथा इन कार्यों में राशि रुपये 3.79 लाख का भुगतान निर्माणकर्ता एजेंसी को किया गया है। वर्तमान में 14.50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। (ख) खुईखदान स्थित अधिकारी/कर्मचारियों के निर्माणाधीन स्टाफ व्वाटर में घटिया निर्माण सामग्री की उपयोग के संबंध में मंडल को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेंदूपता संग्राहकों को बीमा योजना का बोनस एवं लाभान्श वितरण

56. (क्र. 423) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019 व 2020 में प्रदेश के तेंदूपता संग्राहकों को बीमा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि हां तो किन योजना के तहत ? यदि नहीं तो क्यों ? (ख) वर्ष 2019 व 2020 में सामान्य व दुर्घटना से मृत संग्राहकों की संख्या कितनी है ? बीमा नहीं होने के कारण शासन ने उन्हें क्या-क्या सहायता उपलब्ध कराई है ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या 2019 व 2020 के तेंदूपता संग्राहकों को बोनस, लाभान्श व छात्रवृत्ति की राशि वितरित की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ? हां तो कब-कब कितनी-कितनी राशि वितरित की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) तेंदूपता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए वर्ष 2019 में मई 2019 तक बीमा संबंधी (i) अभिसारित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा (ii) अभिसारित आम आदमी बीमा योजना संचालित थी। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपने पत्र दिनांक 10-10-2019 से अभिसारित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अभिसारित आम आदमी बीमा योजनाओं के नवीनीकरण के स्वीकृति प्रदान नहीं दिये जाने के कारण उक्त योजनाएं वर्तमान में लागू नहीं हैं। तेंदूपता संग्राहक परिवार के अन्य सदस्यों हेतु वर्ष 2019 एवं 2020 में मार्च 2020 तक समूह बीमा योजना के अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 01-04-2020 से वर्तमान तक इसका संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थान पर छ. ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाकर सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। (ख) तेंदूपता संग्राहकों के सामान्य व दुर्घटना मृत्यु की जानकारी का संकलन जिला यूनिन और वनोपज संघ के द्वारा नहीं किया जाता है। मृत्यु दावा प्राप्त करने हेतु बीमित संग्राहकों के नामांकित सदस्यों द्वारा बीमा दावा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तेंदूपता संग्राहक परिवार के मुखिया हेतु मई 2019 तक प्रचलित बीमा योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2019 में सामान्य मृत्यु के 2158 प्रकरण व दुर्घटना मृत्यु के 110 प्रकरण तथा वर्ष 2020 में सामान्य मृत्यु के 290 प्रकरण व दुर्घटना मृत्यु के 17 प्रकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित किया गया है। मई 2019 के पश्चात् जिन संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है, उनके बीमा पॉलिसी लागू नहीं होने के कारण सहायता राशि प्रदान किया जाना संभव नहीं था। तेंदूपता संग्राहक परिवार के सदस्यों हेतु लघु वनोपज संघ द्वारा वित्त पोषित समूह बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में सामान्य मृत्यु के 1056 प्रकरण व दुर्घटना मृत्यु के 48 प्रकरण एवं वर्ष 2020 में सामान्य मृत्यु के 234 प्रकरण व दुर्घटना मृत्यु के 12 प्रकरणों हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन प्रकरणों में नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। (ग) तेन्दूपता संग्राहकों को बोनस व लाभान्श वितरण किये जाने

को कोई प्रावधान नहीं है, अपितु तेदूपता व्यापार से हुए शुद्ध लाभ की 80 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित किये जाने को प्रावधान है. वर्ष 2019 में संग्रहित पत्तों का आंशिक विक्रय ही हुआ है, तथा वर्ष 2020 में संग्रहित पत्तों के विक्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. विक्रय उपरांत शुद्ध लाभ की गणना संभव है, अतः प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण नहीं किया गया है. शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. कोविड-19 के कारण शैक्षणिक वर्ष 2019-20 की अंक सूची अभी वितरित नहीं हुई है, न ही उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश प्रारंभ हुआ है, अतः छात्रवृत्ति का निर्धारण एवं वितरण नहीं किया जा सका है.

राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी को पावर ट्रांसफार्मर के फेल होने व टॉवर गिरने से हुई क्षति

57. (क्र. 424) श्री **बृजमोहन अग्रवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2019 से जून 2020 की अवधि में कितनी क्षमता के कुल कितने पावर ट्रांसफार्मर फेल हुए तथा और कितने टावर कहां-कहां गिरे ? (ख) फेल हुए पावर ट्रांसफार्मरों को बदलने में तथा टावरों को खड़ा कर लाइनों को दुरुस्त करने में कुल कितना खर्च आया ? अलग-अलग विवरण दें. (ग) क्या ट्रांसफार्मर के फेल होने तथा टावरों के गिरने के कारणों की जांच के लिए कोई कमेटी बनाई गई थी ? यदि हां तो क्या उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? रिपोर्ट के अनुसार दोषी कौन है ? यदि जांच कमेटी नहीं बनाई या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जनवरी 2019 से जून 2020 की अवधि में विभिन्न क्षमता के फेल पावर ट्रांसफार्मर एवं क्षतिग्रस्त टावर की जानकारी क्रमशः †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” में उल्लेखित फेल ट्रांसफार्मरों को बदलने तथा टावरों को खड़ा कर लाइनों को दुरुस्त करने में आये खर्च का विवरण क्रमशः †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” में पृथक-पृथक दर्शित है. (ग) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित समयावधि में फेल पावर ट्रांसफार्मर एवं टावर गिरने के कारणों की जांच के लिये बनायी गयी कमेटी एवं जांच रिपोर्ट की जानकारी क्रमशः †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” में दर्शित है.

जिला जांजगीर-चांपा में हैण्डपंप एवं बोर खनन

58. (क्र. 462) श्री **रामकुमार यादव** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कुल कितने शासकीय हैण्ड पंपों एवं बोर खुदाई किया गया ? (ख) पंप एवं बोर की खनन का कार्य किन-किन पंजीकृत एवं और गैर पंजीकृत ठेकेदारों को दिया गया ? तथा शासकीय मशीनों से कितना पाईट खनन किया गया ? (ग) हैण्ड पंपों एवं बोर खनन एवं सामग्री में कुल कितनी राशि खर्च की गई ? खर्च की अलग-अलग सत्रवार जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2018-19 में 254 नग एवं वर्ष 2019-20 में 208 नग कुल 462 नग शासकीय हैण्डपंपों एवं बोर खुदाई किया गया. (ख) पंप एवं बोर के खनन का कार्य किसी भी पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत ठेकेदारों को नहीं दिया गया. शासकीय रिंग मशीनों से सभी 462 नलकूप खनन किया गया है. (ग) हैण्डपंपों एवं बोर खनन एवं सामग्री में कुल 406.75 लाख की राशि खर्च की गई है. किये गये खर्च की राशि का सत्रवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	कुल खनित नलकूप	हैण्डपंपों एवं बोर खुदाई एवं सामग्री में किये गये खर्च (रु. लाख में)		
			नलकूप खनन पर व्यय	सामग्री पर व्यय	कुल व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2018-19	254	135.97	91.14	227.11
2.	2019-20	208	104.50	75.14	179.64
योग		462	240.47	166.28	406.75

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत मत्स्य विभाग द्वारा तालाबों का निर्माण

69. (क. 1103) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बलौदा बाजार भाटापारा में वर्ष 2016-17 से जनवरी 2020 के मध्य मत्स्य विभाग द्वारा कितने तालाबों का निर्माण कराया गया ? वर्षवार लागत सहित ब्यौरा दें ? (ख) प्रश्नांश “क” में संचालित योजनाओं से कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ? विकासखंडवार ब्यौरा उपलब्ध करावें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला बलौदा बाजार भाटापारा में वर्ष 2016-17 से जनवरी 2020 के मध्य मत्स्य विभाग द्वारा कुल 7 (सात) तालाबों का निर्माण कराया गया. वर्षवार निर्मित तालाब एवं लागत राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	निर्मित तालाबों की संख्या	लागत राशि लाख रु.
1.	2016-17	3	39.953
2.	2017-18	4	35.718
3.	2018-19	निरंक	निरंक
4.	2019-20 जनवरी 20 तक	निरंक	निरंक
योग		7	75.671

(ख) प्रश्नांश “क” में संचालित योजनाओं से 7 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया जिसका विकासखंडवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखंड का नाम	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1.	बलौदा बाजार	1
2.	सिमगा	2
3.	कसडोल	2
4.	पलारी	2
योग		7

बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र में पशुपालन/मछली पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

70. (क. 1104) **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में पशुपालन एवं मछलीपालन से संबंधित कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? (ख) इन योजनाओं हेतु वर्ष 2018-19 में कितना बजट शासन से प्राप्त हुआ ? (ग) इन योजनाओं हेतु वर्ष 2018-19 में कितना अंश केन्द्र सरकार का व कितना राज्य सरकार का है ? (घ) प्राप्त बजट में कितनी-कितनी राशि किस-किस योजनाओं के लिए खर्च हुई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में पशुपालन से संबंधित योजनाओं की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” तथा मछलीपालन से संबंधित योजनाओं की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है. (ख) वर्ष 2018-19 में पशुपालन से संबंधित योजनाओं हेतु कुल रु. 58.187 लाख तथा मछली पालन से संबंधित योजनाओं हेतु कुल 15.735 लाख का बजट शासन से प्राप्त हुआ था. (ग) वर्ष 2018-19 में पशुपालन से संबंधित योजनाओं हेतु रु. 9.643 लाख केन्द्रांश तथा रु. 48.544 लाख राज्यांश के रूप में एवं मछलीपालन से संबंधित योजनाओं हेतु रु. 1.68 लाख केन्द्रांश तथा रु. 14.055 लाख राज्यांश के रूप में प्राप्त हुआ. (घ) प्राप्त बजट में से पशुपालन से संबंधित योजनावार खर्च की गई जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” तथा मछलीपालन से संबंधित योजनावार खर्च की गई जानकारी † संलग्न प्रपत्र “द” में है.

रायपुर शहर में जल संरक्षण हेतु व्यय राशि

71. (क. 1112) **श्री विकास उपाध्याय** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बीते 3 साल में रायपुर शहर के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन में कितनी राशि खर्च की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : नगर पालिक निगम रायपुर से प्राप्त कर संकलित जानकारी के अनुसार बीते 3 वर्ष में रायपुर शहर के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन में कुल रु. 4835.64 लाख राशि खर्च की गई है. विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

रायपुर शहर में नवीन राशन दुकानों का प्रारंभ

72. (क. 1113) **श्री विकास उपाध्याय** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 में रायपुर शहर में कितनी नई राशन दुकान शुरू की गई है ? (ख) रायपुर शहर में नए राशन कार्ड के लिए कितने प्रकरण लंबित हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) वर्ष 2019 में रायपुर शहर में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान प्रारंभ नहीं की गयी है. (ख) वर्तमान में रायपुर शहर में नवीन राशनकार्ड हेतु 1914 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन है.

मानसून सत्र

मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त, 2020

परिशिष्ट



तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 252) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र	जिले का नाम	वन मंडल का नाम	उद्योग का नाम ...	आवेदन दिनांक	रकबा (हे.)	रिमार्क
1	रायगढ़	रायगढ़	महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमि. गारे पेलमा सेक्टर II कोल ब्लॉक	20.02.18	214.869	वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण लंबित है
2			गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कार्पो. लिमि. गारे पेलमा सेक्टर I कोल ब्लॉक	19.06.18	114.411	वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण लंबित है
3			हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लिमि. गारे पेलमा सेक्टर IV/4 कोल ब्लॉक (कोयला खनन)	23.09.19	472.410	वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण लंबित है
4			हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लिमि. गारे पेलमा सेक्टर V/5 कोल ब्लॉक (कोयला खनन)	21.11.19	319.730	वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण लंबित है
				योग:-	1121.420	
5	धरमजयगढ़	एस.ई.सी.एल. रायगढ़, छाल ओपन कॉस्ट कोल ब्लॉक (कोयला खनन)	13.05.19	55.850	वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण लंबित है	
				महायोग:-	1177.270	

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 01) के भाग (क) की जानकारी]

धमतरी जिले में विद्युत सिंचाई पंप हेतु स्थायी एवं अस्थायी कनेक्शन के प्राप्त, जारी किये गये एवं लंबित आवेदनों के संख्या की अवधिवार जानकारी

25 अगस्त, 2020]

A-2

क्रमांक	अवधि	प्राप्त आवेदनों की संख्या			कनेक्शन प्रदान किये गये			लंबित आवेदनों की संख्या			लंबित होने के कारण
		स्थायी	अस्थायी	योग	स्थायी	अस्थायी	योग	स्थायी	अस्थायी	योग	विस्तार कार्य हेतु
1	01.01.2019 से 31.03.2019 तक	729	2432	3161	0	2432	2432	729	0	729	729
2	01.04.2019 से 31.03.2020 तक	807	2101	2908	513	2101	2614	294	0	294	294
(अ)	01.01.2019 से 31.03.2020 तक का योग	1536	4533	6069	513	4533	5046	1023	0	1023	1023
3	(ब) 01.04.2020 से 04.07.2020 तक	261	1005	1266	40	1005	1045	221	0	221	221
योग (अ+ब)		1797	5538	7335	553	5538	6091	1244	0	1244	1244

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 309) के भाग (क) की जानकारी]

गरियाबंद जिले में 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक जिला खनिज न्यास निधि (डी.एम.एफ.) फंड से राशि, विभाग, कार्यवार, शासी परिषद की स्वीकृति दिनांक, विभाग द्वारा किये गये व्यय एवं भुगतान हेतु शेष राशि की जानकारी

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	विभाग का नाम	कार्य का नाम	स्वी.राशि	शासी परिषद से स्वीकृति दिनांक	विभाग द्वारा व्यय की गई राशि	भुगतान किये जाने हेतु शेष राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद	सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु एम्बुलेंस क्रय वायत 20 हजार गर्भवती महिलाओं हेतु हिमोग्लोबिन स्टीप जिला अस्पताल गरियाबंद में 02 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्ति करने हेतु पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति (मैनपुर एवं देवमोग) जिला अस्पताल गरियाबंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य लाग हेतु गर्मीन क्रय करान एवं रिएजेंट रेबीज इंजेक्शन हेतु राशि	50.00 6.00 12.00 20.00 21.91 5.00	24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019 24/09/2019	49.75 6.00 0.00 4.54 13.03 1.15	0.00 3.00 12.00 0.00 10.96 0.00
2	कार्यपालन अभियंता लो. नि.वि. गरियाबंद	जिला अस्पताल मर्चुरी में अतिरिक्त कक्षा निर्माण	3.45	24/09/2019	3.38	0.97
3	कार्यपालन अभियंता ग्रा.यां.सेवा गरियाबंद	जिला अस्पताल गरियाबंद में बाउण्ड्रीवाल(152 मीटर अनुमानित)	6.88	24/09/2019	4.86	0.05
4	कार्यपालन अभियंता ग्रा.यां.सेवा गरियाबंद	ग्राम कोकडी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (दिव्यांग) के लिए आवासीय प्रशिक्षण केंद्र संचालन हेतु - 01 हॉल, 02 कक्षा, 02 यूनिट टॉयलेट एवं बाथरूम निर्माण	17.79	24/09/2019	0.00	0.00
5	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास	सुपोषण व्यवस्था (3644 गंभीर कुपोषित बच्चे हेतु) राशि प्रदाय	52.47	24/09/2019	19.77	26.24
6	जिला शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद	प्रभावित क्षेत्र के शाला में टिकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना	10.00	24/09/2019	0.00	0.00
7	पाचार्य आई.टी.आई देवमोग	प्रशिक्षण संस्था हेतु 30 बैच एवं अन्य सामग्री	2.00	24/09/2019	1.60	0.00
8	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग	विभाग में संचालित कच्चा छात्रावास/आश्रमों में सी.सी.टी.वी कैमरा सिस्टम स्थापित करने हेतु (जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड मुख्यालयों हेतु।)	9.10	24/09/2019	9.10	0.00

5/11/20

क्र.	विभाग का नाम	कार्य का नाम	स्वी.राशि	शासी परिषद से स्वीकृति दिनांक	विभाग द्वारा व्यय की गई राशि	भुगतान किये जाने हेतु शेष राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	सहायक अभियंता क्रेडा विभाग	मुख्यालयों हेतु। ग्राम कुल्हाडीघाट के उपस्वारथ्य केन्द्र एवं कन्या छात्रावास में सौर संयंत्र की स्थापना	7.74	24/09/2019	7.74	0.00
10	सहायक अभियंता क्रेडा विभाग	नरवा, गरुवा, घुरवा, एवं बाड़ी के तहत गौठान विकास हेतु सोलर पंप की स्थापना	6.70	24/09/2019	0.00	0.00
11	सहायक अभियंता क्रेडा विभाग	नरवा, गरुवा, घुरवा, एवं बाड़ी के तहत ग्राम पंचायत फुलकरा में गौठान विकास हेतु बायोसंयंत्र की स्थापना	6.71	24/09/2019	0.00	6.72
12	समस्त मु.का.अ. जनपद पंचायत	नरवा, गरुवा, घुरवा, एवं बाड़ी के तहत गौठान विकास हेतु ट्रेविस की क्रय करने हेतु	7.80	24/09/2019	0.00	7.80
13	सहायक संचालक रेशम विभाग	रेशम केन्द्र किरवई में धागाकरण कार्य प्रारंभ हेतु रीलिंग कार्य/प्रशिक्षण हेतु राशि	3.56	24/09/2019	2.85	0.00
14	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (वि/या) संभाग- रायपुर	सेन्टर मॉनिटरिंग यूनिट (सीएमयू) लार्ज डिस्प्ले एवं सीसीटीवी के साथ (जिला कोविड अस्पताल (जिला लाईवलीहुड कॉलेज) गरियाबंद)	3.91	10/05/2020	2.74	1.17
15	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (वि/या) संभाग- रायपुर	पेसेन्ट एनाउन्समेंट सिस्टम स्पीकर के साथ (जिला कोविड अस्पताल, जिला लाईवलीहुड कॉलेज गरियाबंद)	3.68	10/05/2020	2.58	1.10
16	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (वि/या) संभाग- रायपुर	कोविड-19 अस्पताल (भूतल) लाईवलीहुड कॉलेज गरियाबंद	6.27	31/05/2020	4.39	1.88
17	कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग गरियाबंद	जिला कोविड -19 (पेडमिक)- संक्रमित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था (जिला कोविड अस्पताल, जिला लाईवलीहुड कॉलेज गरियाबंद)	4.23	10/05/2020	4.23	1.27
योग-			267.21		137.70	73.14

अनुष्ठाप अधिकारी

जनित साक्षर विभाग

मंत्रालय, अटल 2002

131
4

22

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 99) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जाति प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु छानबीन समिति/न्यायालय अथवा अन्य समितियों के समक्ष लंबित, अधिकारियों के नाम, पदनाम, वर्तमान पद पर स्थापना की स्थिति तथा संबंधितों की सेवानिवृत्ति की तिथि एवं संबंधितों की उक्त प्रकरण जाति सत्यापन हेतु तिथिवार भेजे जाने की जानकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	सेवानिवृत्ति की तिथि	जाति सत्यापन हेतु छानबीन समिति को प्रेषण दिनांक	मान. न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों की स्थिति	अभियुक्ति
1.	श्री शंकर धकाते	सहायक अभियंता	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोस्वायांवि, नवा रायपुर	31.03.2023	विभाग द्वारा दिनांक 08.02.2008 को प्रेषित।	-	-
2.	श्री वीर बहादुर सिंह	सहायक अभियंता		30.06.2030	विभाग द्वारा दिनांक 23.06.2006 को प्रेषित।	उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, रायपुर के आदेश दिनांक 26.11.2007 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में <u>W.P.S. No. 1849/2008</u> याचिका प्रस्तुत किया है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक आदेश दिनांक 28.03.2008 कर दिनांक 26.11.2007 को खारिज कर उच्च स्तरीय छानबीन समिति को न्यायिक प्रक्रिया के तहत पुनर्परीक्षण कर आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।	मृत्यु दिनांक 17.05.2019
3.	श्री अनिल कुमार बच्चन	प्रभारी कार्यपालन अभियंता (सहायक अभियंता)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परियोजना खण्ड, कोरबा	31.07.2031	विभाग द्वारा दिनांक 08.02.2008 को प्रेषित।	उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, रायपुर के आदेश दि. 23.08.2019 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में <u>W.P.S. No. 5894/2019</u> याचिका प्रस्तुत किया है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.08.2019 को स्थगन दिया गया है।	-

4.	श्री श्यामराव सोनकुसरे	प्रभारी कार्यपालन अभियंता (सहायक अभियंता)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड, धमतरी	30.06.2022	विभाग द्वारा दिनांक 08.02.2008 को प्रेषित।	उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, रायपुर के आदेश दि. 07.09.2019 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में W.P.S. No. 4571/2019 याचिका प्रस्तुत किया है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा स्थगन दिया गया है।	-
5.	श्री डी.सी. नारनौरे	सहायक अभियंता	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपखण्ड कोण्डागांव	30.04.2025	विभाग द्वारा दिनांक 08.06.2018 को प्रेषित एवं दिनांक 08.01.2019 को प्रेषित।	-	-
6.	श्री कीर्ति कुमार लिमजे	सहायक अभियंता	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपखण्ड बालोद	30.06.2024	विभाग द्वारा दिनांक 08.06.2018 को प्रेषित एवं दिनांक 08.01.2019 को प्रेषित।	-	-
7.	श्री जी.एस. राउत	सहायक अभियंता	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपखण्ड पाटन	30.06.2024	विभाग द्वारा दिनांक 08.06.2018 को प्रेषित एवं दिनांक 08.01.2019 को प्रेषित।	-	-
8.	श्री प्रियलेश प्रसाद	सहायक अभियंता	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपखण्ड जनकपुर	31.05.2025	विभाग द्वारा दिनांक 08.06.2018 को प्रेषित एवं दिनांक 08.01.2019 को प्रेषित।	-	-

प्रपत्र "ब"

प्रश्नांक "क" के अनुसार फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा में होने अथवा शासकीय सेवा का लाभ प्राप्त करने की पुष्टि होने के पश्चात् की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति/न्यायालय अथवा अन्य समितियों के समक्ष प्रकरण की अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1.	श्री शंकर धकाते	सहायक अभियंता	प्रकरण उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति में लंबित है।	-
2.	श्री वीर बहादुर सिंह	सहायक अभियंता	उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, रायपुर के आदेश दि. 16.08.2019 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है। श्री वीर बहादुर सिंह का आकस्मिक निधन दिनांक 17.05.2019 को हो गया है, जिसकी सूचना विभागीय ज्ञाप दिनांक 27.07.2019 द्वारा उच्च स्तरीय छानबीन समिति तथा पत्र दिनांक 28.12.2019 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है।	मृत्यु दिनांक 17.05.2019
3.	श्री अनिल कुमार बच्चन	प्रभारी कार्यपालन अभियंता (सहायक अभियंता)	उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, रायपुर के आदेश दि. 23.08.2019 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP(S) No. 5894 /2019 याचिका प्रस्तुत किया है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है। विभागीय ज्ञाप दिनांक 26.12.2019 द्वारा अधीक्षण अभियंता (नोडल अधिकारी) को महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर से संपर्क कर स्थगन समाप्त करने हेतु लेख किया गया है।	-
4.	श्री श्यामराव सोनकुसरे	प्रभारी कार्यपालन अभियंता (सहायक अभियंता)	उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, रायपुर के आदेश दि. 07.09.2019 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP(C) No. 4571 /2019 याचिका प्रस्तुत किया है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है। विभागीय ज्ञाप दिनांक 17.02.2020 द्वारा नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी को महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर से संपर्क कर स्थगन समाप्त करने हेतु लेख किया गया है।	-
5.	श्री डी.सी. नारनौरे	सहायक अभियंता	प्रकरण उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति में लंबित है।	-
6.	श्री कीर्ति कुमार लिमजे	सहायक अभियंता	प्रकरण उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति में लंबित है।	-
7.	श्री जी.एस. राउत	सहायक अभियंता	प्रकरण उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति में लंबित है।	-
8.	श्री प्रियलेश प्रसाद	सहायक अभियंता	प्रकरण उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति में लंबित है।	-

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 316) के भाग (क) की जानकारी]

मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट, ग्राम बसनी, विकासखण्ड एवं जिला बेमेतरा को जारी खनिज बाँक्साइट की भंडारण अनुज्ञप्ति संबंधी विवरण

भण्डारकर्ता का नाम	खसरा / रकबा	मात्रा	अनुज्ञप्ति अवधि
श्री नवीन प्रसाद कंदोई फर्म मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट, बसनी	154 / 1 एवं 155 रकबा 1.132 हेक्टेयर	10050 मीट्रिक टन	10 / 09 / 2012 से 09 / 09 / 2015
श्री नवीन प्रसाद कंदोई फर्म मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट, बसनी	154 / 1 एवं 155 रकबा 1.132 हेक्टेयर	11130 मीट्रिक टन	10 / 09 / 2015 से 09 / 09 / 2018
श्री नवीन प्रसाद कंदोई फर्म मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट, बसनी	154 / 1 एवं 155 रकबा 1.132 हेक्टेयर	21130 मीट्रिक टन	10 / 09 / 2018 से 09 / 09 / 2028

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 35) के भाग (क) एवं (ख)की जानकारी]

जांजगीर-चाम्पा जिले के अकलतरा तहसील अन्तर्गत ग्राम दर्सीटांड में प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत डोलोमाईट उत्खननपट्टो की जानकारी

क्र.	आवेदन दिनांक	आवेदक का नाम एवं पता	ग्राम/ तहसील	खसरा	रकबा (हेक्टेयर)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	27.10.1994	श्री श्रीराम केडिया पिता स्व. श्री गजानंद केडिया निवासी अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	दर्सीटांड	469/2 निजी भूमि	3.710	मेसर्स श्रीराम केडिया को ग्राम दर्सीटांड (राजस्व ग्राम दर्सी) में आवेदित क्षेत्र रकबा 3.170 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 11.03.2002 से 10.03.2022 तक 20 वर्ष के लिए खनिज डोलोमाईट हेतु उत्खननपट्टा स्वीकृति किया गया है तथा छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 38क के तहत उत्खननपट्टे में मूल स्वीकृति दिनांक 11.03.2002 से 10.03.2052 तक के लिए अवधि विस्तार की गई है।
2	05.05.2015	मेसर्स गणेश मिनरल्स प्रो. श्री संजय केडिया निवासी अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	दर्सीटांड (राजस्व ग्राम दर्सी)	468/2 शासकीय भूमि	4.654	उक्त क्षेत्र हेतु दिनांक 10.07.2008 द्वारा पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किया गया है। तदुपरांत दिनांक 05.05.2015 को नवीन नियमों के अनुसार खनिजपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 27.07.2017 को पर्यावरण सम्मति जारी की गई है। खनिजपट्टा स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है।

25 अगस्त, 2020]

A-10

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 11) के भाग (ख) की जानकारी]

1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक मदवार उपयोग की गई डी.एम.एफ. राशि की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	कार्य क्षेत्र	कार्य का मद/विभाग	कार्यों की संख्या	(राशि लाख रुपये में)		
					स्वीकृत राशि	व्यय राशि	
1	2	3	4	5	6	7	
1	रायपुर	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	स्वास्थ्य	2	21.29	0	
			शिक्षा	7	78.00	0	
			महिला एवं बाल विकास	15	279.92	122.40	
			कृषि	12	251.90	109.10	
2	बलोदाबाजार -भाठापारा	निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधासरचना	5	42.00	0	
			उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पयजल आपूर्ति	2	76.76	30.70
		उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	शिक्षा	27	109.73	0	
			महिला एवं बाल विकास	1	22.93	7.64	
			कृषि	15	38.20	21.76	
			वृद्ध और नि:शक्तजन कल्याण	1	43.68	43.68	
		निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	स्वच्छता	5	27.50	11.00	
			भौतिक अधासरचना	88	517.39	0	
			उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पयजल आपूर्ति	01	4.23	2.96
				स्वास्थ्य	03	13.86	9.70
3	गरिधावद	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पर्यावरण संरक्षण/प्रदूषण नियंत्रण	5	151.97	46.78	
			स्वास्थ्य	4	25.80	23.93	
			शिक्षा	14	284.60	27.12	
			महिला एवं बाल विकास	2	56.70	1.00	
			कृषि	6	208.98	3.98	
			वृद्ध और नि:शक्तजन कल्याण	2	29.47	0.00	
			काशल विकास एवं राजगार	1	5.00	0.00	
			भौतिक अधासरचना	34	213.09	78.21	
			निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	सिंचाई	1	15.20	6.08
				उर्जा एवं जल विभाजक विकास	1	6.64	6.640
युवा गतिविधियों का बढ़ावा	1	5.00		0.00			
पयजल आपूर्ति	03	39.13		25.42			
4	भमतरी	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	स्वास्थ्य	01	80.00	10.00	
			कृषि	01	25.86	12.93	
			पयजल आपूर्ति	21	62.00	47.50	
			स्वास्थ्य	17	117.37	5.23	
5	महाराजपुर	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	शिक्षा	1	5.00	2.50	
			कृषि	6	192.81	0	
			निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधासरचना	6	20.84	11.67
			उर्जा एवं जल विभाजक विकास	4	11.49	2.79	
			स्वास्थ्य	7	140.63	118.715	
6	राजनादगांव	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	शिक्षा	3	37.91	27.265	
			महिला एवं बाल कल्याण	1	23.91	11.955	

क्र.	जिले का नाम	कार्य क्षेत्र	कार्य का मद/विभाग	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि			
1	2	3	4	5	6	7			
			कृषि	1	1.59	0.795			
			कौशल विकास एवं रोजगार	1	10.75	5.37			
		निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधोसंरचना	5	37.92	0			
			पेयजल आपूर्ति	42	170.18	84.09			
8	दुर्ग	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	स्वास्थ्य	13	557.13	143.85			
			शिक्षा	18	153.44	85.52			
			महिला एवं बाल विकास	4	497.80	361.70			
			कृषि	30	653.10	435.18			
			कौशल विकास एवं रोजगार	1	14.79	11.83			
			भौतिक अधोसंरचना	21	215.73	79.20			
			निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत						
9	बालोद	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	स्वास्थ्य देखभाल	4	58.98	34.86			
			शिक्षा	9	117.12	108.12			
			कृषि	5	119.64	0.00			
			कौशल विकास एवं रोजगार	6	119.01	118.99			
			स्वच्छता	1	62.42	62.42			
			सतत जीविकोपार्जन	11	191.43	19.75			
			निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत						
			उर्जा एवं जल विभाजक विकास	2	20.00	10.00			
			सार्वजनिक परिवहन	1	62.00	62.00			
			अन्य	5	82.00	82.00			
10	बेमंतरा	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पेयजल आपूर्ति	02	6.00	2.99			
			स्वास्थ्य	08	76.92	27.88			
			शिक्षा	01	15.00	15.00			
			महिला एवं बाल विकास	01	13.90	13.90			
			कृषि	05	121.52	104.55			
			वृद्ध और निःशक्तजन कल्याण	01	48.48	48.09			
			निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत						
			भौतिक अधोसंरचना	03	31.25	24.12			
			उर्जा एवं जल विभाजक विकास	03	9.64	7.144			
			अन्य	01	2.5	1.5			
11	बस्तर	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पेयजल आपूर्ति	330	738.20	418.60			
			स्वास्थ्य	146	1629.10	1446.32			
			शिक्षा	134	955.60	634.80			
			महिला एवं बाल विकास	29	846.30	560.20			
			कृषि	76	163.40	80.00			
			वृद्ध और निःशक्तजन कल्याण	1	16.40	20.50			
			स्वच्छता	15	96.40	25.10			
			निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत						
			भौतिक अधोसंरचना	202	4006.80	536.66			
			सिंचाई	0	0	36.90			
			उर्जा एवं जल विभाजक विकास	39	927.60	48.00			
			12	नारायणपुर	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पेयजल आपूर्ति	3	49.58	24.79
						पर्यावरण संरक्षण/प्रदूषण नियंत्रण	1	12	6
स्वास्थ्य	11	241.03				114.96			
शिक्षा	9	119.20				78.23			
कृषि	13	231.82				210.16			

क्र.	जिले का नाम	कार्य क्षेत्र	कार्य का मद/विभाग	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
		निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	कौशल विकास एवं राजगार	3	21.51	21.51
			स्वच्छता	2	32.56	16.28
			भौतिक अधोसंरचना	9	58.51	32.86
			युवा गतिविधियों को बढ़ावा	2	10.22	8.99
			अन्य	1	3.05	1.53
13	सुकना	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पेयजल आपूर्ति	1	798.18	0.00
			स्वास्थ्य	23	1177.98	986.63
			शिक्षा	35	990.58	691.86
			महिला एवं बाल विकास	2	450.00	260.00
			कृषि	14	883.65	608.74
			वृद्ध और नि:शक्तजन कल्याण	1	75.00	75.00
			कौशल विकास एवं राजगार	4	90.21	75.21
		निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधोसंरचना	7	186.03	111.17
		सिंचाई	14	357.27	231.84	
		14	कांकेर	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पेयजल आपूर्ति	86
पर्यावरण संरक्षण/प्रदूषण नियंत्रण	1				13.24	6.62
स्वास्थ्य	13				183.33	160.23
शिक्षा	53				332.48	263.00
महिला एवं बाल विकास (पोषण)	2				1043.43	520.57
कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियां	45				1379.62	1231.59
स्वच्छता	1				9.45	6.27
जन कल्याणकारी योजना (उज्ज्वला योजना)	5			97.96	87.78	
सतत जीविकोपार्जन	67			579.51	328.06	
निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधोसंरचना			15	594.24	432.75
सिंचाई	6			84.84	76.36	
ऊर्जा एवं जल विभाजक विकास	10			111.08	98.75	
15	कांडागांव			उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पेयजल आपूर्ति	01
		स्वास्थ्य	03		29.10	29.10
		शिक्षा	01		99.20	99.20
		कृषि	06		190.19	57.36
		निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधोसंरचना	09	240.53	36.66
16	दत्तवाडा	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पेयजल आपूर्ति	10	522.85	82.67
			स्वास्थ्य	19	1727.99	270.35
			शिक्षा	82	2429.76	1001.46
			महिला एवं बाल विकास	13	444.70	161.52
			कृषि	40	3269.49	1358.73
			वृद्ध और नि:शक्तजन कल्याण	3	54.02	40.80
			कौशल विकास एवं राजगार	13	403.11	136.80
			स्वच्छता	25	178.22	68.90
			सतत जीविकोपार्जन	18	135.38	93.37
		निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधोसंरचना	175	1699.34	811.46

क्र.	जिले का नाम	कार्य क्षेत्र	कार्य का मद/विभाग	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
17	बीजापुर	क्षेत्र 40 प्रतिशत	उर्जा एवं जल विभाजक विकास	5	38.28	16.95
			सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण	5	22.60	13.24
			अन्य (प्रशासनिक मद व्यय राशि)	2	46.81	46.80
		उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पेयजल आपूर्ति	6	97.00	0.00
			स्वास्थ्य	3	604.37	157.37
			शिक्षा	16	377.84	93.51
			कृषि	29	325.59	123.16
			कौशल विकास एवं रोजगार	1	18.75	0.00
			स्वच्छता	3	25.00	0.00
			निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधोसंरचना	4	117.10
सिंचाई	6	91.03	30.04			
18	विलासपुर	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण	1	5.00	5.00
			पेयजल आपूर्ति	5	555.41	277.71
			शिक्षा	6	91.92	0
			महिला एवं बाल विकास	2	962.50	100.00
			कृषि	2	180.00	125.00
19	मुंगेली	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पेयजल आपूर्ति	1	10.00	0
			पेयजल आपूर्ति	21	530.08	266.33
20	कोरवा	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पर्यावरण संरक्षण/प्रदूषण नियंत्रण	19	360.66	133.86
			स्वास्थ्य	27	1198.37	75.51
			शिक्षा	52	1942.34	513.85
			महिला एवं बाल विकास	14	408.14	302.86
			कृषि	60	2200.34	327.83
			वृद्ध और नि:शक्तजन कल्याण	8	313.86	13.08
			कौशल विकास एवं रोजगार	5	40.55	20.80
			स्वच्छता	3	410.65	5.60
			जनकल्याणकारी योजना (उज्ज्वला योजना)	1	28.67	0.00
		निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधोसंरचना	69	1238.79	429.16
			सिंचाई	5	455.20	0.00
			उर्जा एवं जल विभाजक विकास	30	682.51	383.05
			पेयजल आपूर्ति	46	1322.37	384.14
21	तांजगीर-बाँसा	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पर्यावरण संरक्षण/प्रदूषण नियंत्रण	2	167.61	67.14
			स्वास्थ्य	11	184.38	47.43
			शिक्षा	18	2015.54	920.38
			महिला एवं बाल विकास	5	390.47	63.97
			कृषि	17	869.64	853.83
			कौशल विकास एवं रोजगार	1	669.00	110.60
			स्वच्छता	3	250.98	60.72
		निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधोसंरचना	229	1442.70	629.59
			उर्जा एवं जल विभाजक विकास	8	744.60	302.81
			सार्वजनिक परिवहन	1	401.92	160.67
			युवा गतिविधियों को बढ़ावा	1	210.13	105.06
		अन्य (राज्य सरकार द्वारा समय)	4	249.02	99.61	

क्र.	जिले का नाम	कार्य क्षेत्र	कार्य का मद/विभाग	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि		
1	2	3	4	5	6	7		
			समय पर निर्देशित अधोसंरचना कार्य)					
22	रायगढ़	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पेयजल आपूर्ति	2	11.36	0		
			शिक्षा	10	96.41	6.19		
			कृषि	6	801.90	116.85		
			कौशल विकास एवं रोजगार	1	23.55	21.20		
			स्वच्छता	1	22.62	14.80		
		निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधोसंरचना	20	93.00	14.60		
			उर्जा एवं जलविभाजक विकास	2	10.00	0		
23	जशपुर	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पेयजल आपूर्ति	60	383.77	230.05		
			स्वास्थ्य	14	250.76	137.13		
			शिक्षा	16	215.24	113.08		
			महिला एवं बाल विकास	3	664.17	132.84		
			कृषि	12	312.90	183.95		
			वृद्ध और निःशक्तजन कल्याण	3	21.28	13.23		
			कौशल विकास एवं रोजगार	18	334.49	226.62		
			स्वच्छता	16	161.88	58.44		
		निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधोसंरचना	5	63.03	31.15		
		सिंचाई	4	94.73	22.4			
		उर्जा एवं जल विभाजक विकास	2	16.68	16.68			
		युवा गतिविधियों को बढ़ावा	1	23.23	20.91			
अन्य (प्रशासनिक मद व्यय राशि)	5	75.85	48.32					
24	सरगुजा	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	पेयजल आपूर्ति	3	88.65	44.33		
			स्वास्थ्य देखभाल	1	2.50	2.50		
			शिक्षा	4	90.42	70.37		
			कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधिया	4	24.42	22.36		
		निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	भौतिक अधोसंरचना	15	134.32	77.08		
		सिंचाई	5	46.00	28.00			
		25	बलरामपुर	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	स्वास्थ्य	2	52.50	35.25
					शिक्षा	3	41.79	20.89
महिला एवं बाल विकास	7				427.34	18.13		
कृषि	30				30.00	0.00		
कौशल विकास एवं रोजगार	5				20.58	14.13		
निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	अन्य			4	75.240	11.640		
26	सूरजपुर	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	स्वास्थ्य	1	0.75	0.75		
7	कोरिया	उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र 60 प्रतिशत	स्वास्थ्य	07	39.91	37.41		
			कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियां	1351	154.38	57.68		
		निम्न प्राथमिकता के क्षेत्र 40 प्रतिशत	उर्जा एवं जल विभाजक विकास	01	6.90	2.50		
			सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण	01	10.00	04.00		

परिशिष्ट "आठ"

[तारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 366) के भाग (ग) की जानकारी]

क्र.	मद का नाम	व्यय की गयी राशि (राशि रूपये में)
1	2	3
1	6885-प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना	3731198
2	2899-राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र	60713718
3	2900-अभ्यारण्य क्षेत्र	185515236
4	4349-सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरस्ती	13408194
5	2965-बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित	25711950
6	3943-वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	100857688
7	6723-संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढीकरण एवं विकास	3151323
8	6724-बांस वनों का पुनरोद्धार	8918943
9	7887-हाथी प्रभावित क्षेत्रों में चलित सुरक्षा दस्ता का गठन	10214866
10	6539- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	82479821
11	6699-वन विकास उपकर निधि से व्यय	26543981
12	5502-प्रोजेक्ट एलीफेंट	8453349
13	6540-चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन	92593254
14	6993-नैसर्गिक पर्यटन का विकास	14754521
15	6886-वनमार्गों पर रपटा/ पुलिया निर्माण	38878714
16	5090-जैव विविधता संरक्षण	131813990
17	6991-हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	201435391
18	7459-वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतवास का समन्वित विकास	62393376
19	3730-प्रोजेक्ट टायगर	148107067
20	4342-सड़कें तथा मकान निर्माण	39592561
21	8912-वन्यप्राणी बचाव पुर्नवास एवं हेल्थकेयर प्रबंधन	2776173
22	कैम्पा मद	331918764
	योग :-	1,59,39,64,078

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 51) के भाग (क) की जानकारी]

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सौर ऊर्जा नीति के प्रमुख बिन्दु

1. छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन :-

- (अ) छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा समय-समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत अपरंपरागत स्रोत आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की पात्रता रहेगी।
- (ब) विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट।
- (स) औद्योगिक नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन/रियायतें सौर ऊर्जा नीति की तुलना में निम्नतर होने पर सौर ऊर्जा नीति के प्रावधान लागू रहेंगे।

2. अतिरिक्त प्रोत्साहन :-

- (अ) तृतीय पक्ष विक्रय हेतु खुली पहुँच (ओपन एक्सेस)
यदि किसी विकासकर्ता को खुली पहुँच की अनुमति प्रदान की जाती है तो वह राज्य के बाहर तृतीय पक्ष को विद्युत के विक्रय हेतु राज्य विद्युत नियामक आयोग या केन्द्रीय नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर ओपन एक्सेस चार्जस (प्रयोज्य खुली छूट प्रभार) और हानियों का भुगतान ओपन एक्सेस आवेदक द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन लाईसेन्सी जो भी लागू हो को करेगा।
- (ब) व्हीलिंग और पारेषण प्रभार
विक्रय हेतु व्हीलिंग और पारेषण प्रभार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार होंगे।
- (स) क्रॉस सब्सिडी प्रभार
राज्य के भीतर किसी तीसरी पार्टी को बिजली विक्रय पर क्रॉस सब्सिडी के चार्जस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचित रेग्यूलेशन के अंतर्गत देय होगा।
- (द) राज्य के सोलर प्लांट्स को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शतप्रतिशत बैंकिंग की सुविधा।
- (इ) अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आर.ई.सी.) के लाभ की पात्रता।
- (फ) ग्रिड संयोजकता और उसमें ग्रिड संयोजन की सुविधा।
- (ब) ग्रिड संयोजित परियोजना के लिए राज्य के नियम के तहत परियोजना विकासकर्ता को शासकीय भूमि का आबंटन (भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में)।
- (ग) विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक खुली निविदा से निर्धारित विद्युत दरों के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता (आर.पी.ओ.) हेतु परियोजना विकासकर्ता से विद्युत क्रय की जा सकेगी।

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "दस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 02) के भाग (ख) की जानकारी]

दिनांक 01-04-2019 से 31-03-2020 की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों की गई जांच एवं की गई कार्यवाही बाबत जानकारी

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स जय अंबे राईस मिल, कुरुद, जिला-धमतरी	30.01.2020	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
2.	मेसर्स मंगलमूर्ति एग्रो, ग्राम-भोधली, कुरुद, जिला-धमतरी	11.02.2020	परिसर के बाहर दूषित जल का जमाव पाया गया एवं उद्योग परिसर में राखड का भण्डारण अधिक मात्रा में पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 20.02.2020 को नोटिस जारी किया जाकर सुधार की कार्यवाही करवाई गई।
		19.03.2020	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
3.	मेसर्स श्री साई एग्रोटेक, ग्राम- नवागांव (खुर्द) बस्तर रोड, जिला-धमतरी	03.05.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
4.	मेसर्स विजय राईस मिल, ग्राम-श्यामतराई, जगदलपुर रोड, जिला-धमतरी	14.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
5.	मेसर्स शाकम्बरी राईस मिल, औद्योगिक वार्ड धमतरी, जिला-धमतरी	10.02.2020	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
6.	मेसर्स देवश्री एग्रोटेक प्रा.लि., यूनिट नं -2 अर्जुनी, जिला-धमतरी	10.12.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
7.	मेसर्स मीरा राईस इण्डस्ट्रीज ग्राम-गुडपार, जिला-धमतरी	25.07.2019	दूषित जल उपचार संयंत्र संचालित नहीं पाया गया और दूषित जल का जमाव उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 26.07.2019 को नोटिस जारी किया जाकर सुधार की कार्यवाही करवाई गई।
		25.09.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

8.	मेसर्स महावीर ट्रेडर्स, सिहावा रोड, जिला-धमतरी	10.12.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
9.	मेसर्स इंडियन राईस मिल, रायपुर रोड, जिला-धमतरी	19.03.2020	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
10.	मेसर्स श्री राईस मिल, चरमुड़िया रोड कुरुद, धमतरी	03.05.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
		13.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
11.	मेसर्स श्री गणपति राईस मिल, कुरुद, जिला- धमतरी	13.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
12.	मेसर्स श्री बालाजी राईस मिल, भोथली रोड कुरुद, जिला-धमतरी	03.05.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
		13.06.2019	दूषित जल उपचार संयंत्र कार्यरत नहीं पाया गया एवं दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 20.06.2019 को नोटिस जारी किया जाकर सुधार की कार्यवाही करवाई गई।
		25.07.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
13.	मेसर्स पूनम राईस इण्डस्ट्रीज, भोथली रोड, कुरुद, जिला-धमतरी	03.05.2019	दूषित जल उपचार संयंत्र संचालित नहीं पाया गया एवं दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 04.05.2019 को नोटिस जारी किया जाकर सुधार की कार्यवाही करवाई गई।
		13.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
14.	मेसर्स श्याम राईस मिल, ग्राम-कुरुद, जिला-धमतरी	03.05.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
15.	मेसर्स शिवनाथ इण्डस्ट्रीज, भोथली रोड, कुरुद, जिला-धमतरी	03.05.2019	दूषित जल उपचार संयंत्र संचालित नहीं पाया गया एवं दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर से बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 04.05.2019 को नोटिस जारी किया जाकर सुधार की कार्यवाही करवाई गई।
		13.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

16.	मेसर्स श्री साई राईस मिल, भोथली रोड, कुरुद, जिला-धमतरी	13.06.2019	उद्योग से जनित दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 20.06.2019 को नोटिस जारी किया जाकर सुधार की कार्यवाही करवाई गई।
		23.07.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
17.	मेसर्स सिद्धार्थ एग्रो प्रोडक्ट्स सिंहाभाटा मेघा कुरुद, जिला-धमतरी	23.07.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
18.	मेसर्स अजय राईस प्रोडक्ट्स, ग्राम-सरसोपुरी, जिला-धमतरी	03.05.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
19.	मेसर्स बजाज एग्रो इण्डस्ट्रीज, भोथली रोड, कुरुद, जिला-धमतरी	13.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
		19.03.2020	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
20.	मेसर्स प्रतीक राईस इण्डस्ट्रीज, चरमुढिया रोड, कुरुद, जिला- धमतरी	03.05.2019	दूषित जल उपचार संयंत्र कार्यरत नहीं पाया गया एवं उद्योग परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 04.05.2019 को नोटिस जारी किया जाकर सुधार की कार्यवाही करवाई गई।
		13.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
21.	मेसर्स केला राईस इण्डस्ट्रीज, चरमुढिया रोड, कुरुद, जिला- धमतरी	03.05.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
		13.06.2019	उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
22.	मेसर्स ओम ट्रेडिंग कंपनी, कुरुद, जिला-धमतरी	03.05.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
		13.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
23.	मेसर्स मूर्ति एग्रो इण्डस्ट्रीयल राईस मिल, ग्राम- कुरुद, जिला-धमतरी	03.05.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
24.	मेसर्स गीतालक्ष्मी माडर्न राईस मिल, ग्राम- सोनपुर, कोडबोड, कुरुद.	14.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

	जिला-धमतरी			
25.	मेसर्स कवीर राईस मिल, ग्राम-भोथली, कुरुद, जिला- धमतरी	13.06.2019	दूषित जल उपचार संयंत्र कार्यरत नहीं पाया गया एवं दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 20.06.2019 को नोटिस जारी किया जाकर सुधार की कार्यवाही करवाई गई।
		23.07.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
26.	मेसर्स जयश्री राईस मिल, ग्राम - दरगहन, जिला-धमतरी	03.05.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
27.	मेसर्स महेश्वरी राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कुरुद, चरमुडिया रोड, जिला- धमतरी	03.05.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
		13.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
		20.06.2020	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
28.	मेसर्स श्री अतुल राईस मिल, ग्राम-भुसरेगा, कुरुद, जिला-धमतरी	10.12.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
29.	मेसर्स सिद्धी गणेश राईस इण्डस्ट्रीज, चरमुडिया रोड, कुरुद, जिला-धमतरी	25.10.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
30.	मेसर्स मूर्ति राईस मिल चरमुडिया रोड कुरुद, जिला-धमतरी	03.05.2019	दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 04.05.2019 को नोटिस जारी किया जाकर सुधार की कार्यवाही करवाई गई।
		13.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
31.	मेसर्स अमृत एग्रोटेक, चरमुडिया रोड कुरुद, जिला- धमतरी	03.05.2019	निरीक्षण दिवस उद्योग में स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्र संचालित नहीं पाया गया एवं दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 04.05.2019 को नोटिस जारी किया गया।

		13.06.2019	दूषित जल उपचार संयंत्र सक्षम रूप से कार्यरत नहीं पाया गया एवं दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 20.06.2019 के माध्यम से उत्पादन बंद करने / विद्युत विच्छेदन के निर्देश जारी किये गये।
		08.07.2019	निरीक्षण दिवस उद्योग बंद पाया गया तथा दूषित जल उपचार संयंत्र में सुधार कार्य कराया जाना पाया गया।	सुधार की कार्यवाही करने के उपरांत मंडल के पत्र दिनांक 10.07.2019 के माध्यम से उत्पादन आरम्भ करने / विद्युत संयोजन बाबत पत्र प्रेषित किया गया।
		11.02.2020	उद्योग परिसर में राखड का भण्डारण खुले में पाया गया एवं उद्योग परिसर के बाहर दूषित जल का जमाव पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 20.02.2020 को नोटिस जारी किया जाकर सुधार की कार्यवाही करवाई गई।
		19.03.2020	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
32.	मेसर्स भगवती पैडडी प्रोसेसिंग, कुरुद, जिला-धमतरी	10.12.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
33.	मेसर्स अनमोल एग्रोटैक, मेधारोड, कुरुद, जिला-धमतरी	25.10.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
34.	मेसर्स माँ वण्डी राईस इण्डस्ट्रीज, कुरुद, जिला-धमतरी	13.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
		25.09.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
35.	मेसर्स महामाया फूड्स, भोथली रोड, कुरुद, जिला- धमतरी	13.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
36.	मेसर्स अरुणोदय फूड्स प्रा० लि०, ग्राम-दरगहन, जिला- धमतरी	25.09.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
37.	मेसर्स एच. श्याम राईस मिल, ग्राम-करेली (छोटी), तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी	08.07.2019	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

154

38.	मेसर्स गुरुदेव स्टोन कशर, ग्राम- जोगीडीह, जिला- धमतरी	14.06.2019	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
39.	मेसर्स सूर्या राईस मिल ग्राम-देवपुर, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी	30.01.2020	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
40.	मेसर्स अरिहत कशर, कोकडी, कुरुद, जिला-धमतरी	10.02.2020	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
41.	मेसर्स वैभव मिनरल्स, ग्राम- अछोली, तहसील- नगरी, जिला- धमतरी	19.03.2020	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
42.	मेसर्स विकास राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम- मुकुन्दपुर, तहसील- नगरी, जिला- धमतरी	10.02.2020	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
43.	मेसर्स उत्तम फूड्स, चरमुढिया रोड, कुरुद, जिला- धमतरी	13.06.2019	उद्योग में स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्र कार्यरत नहीं पाया गया तथा उद्योग से जनित दूषित जल का जमाव उद्योग परिसर के अंदर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 20.06.2019 को नोटिस जारी किया जाकर सुधार की कार्यवाही करवाई गई।
		23.07.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
44.	मेसर्स साक्षी गोपाल राईस मिल, ग्राम- सांकरा, पोस्ट- भोथली, जिला- धमतरी	03.05.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
45.	मेसर्स अन्नपूर्णा एग्रो ग्राम-भोथली, तहसील- कुरुद, जिला- धमतरी	13.06.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
46.	मेसर्स श्री भगवती इन्टरप्राईजेस, ग्राम- कुरुद, तहसील- कुरुद, जिला- धमतरी	13.06.2019	दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर पाया गया।	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33क' के तहत पत्र दिनांक 20.06.2019 को नोटिस जारी किया जाकर सुधार की कार्यवाही करवाई गई।
		23.07.2019	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
47.	मेसर्स मायारानी लॉजिस्टिक हब, ग्राम-बोरियाखुर्द, जिला-धमतरी	10.02.2020	स्थिति सामान्य पायी गयी।	कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 88) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट-रावन सीमेंट वर्क्स, पोस्ट-ग्रासिम विहार, ग्राम-रावन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान किये गये वृक्षारोपण का विवरण

क.	उद्योग का नाम एवं पता	खसरा/क्षेत्र का विवरण	वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (एकड़ में)	रोपित फलदार प्रजाति के वृक्षों की संख्या	रोपित अन्य प्रजाति के वृक्षों की संख्या	जीवित फलदार प्रजाति के वृक्षों की संख्या	जीवित अन्य प्रजाति के वृक्षों की संख्या	कुल वृक्षारोपण की संख्या	कुल जीवित वृक्षारोपण की संख्या
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट -रावन सीमेंट वर्क्स, पोस्ट-ग्रासिम विहार, ग्राम-रावन, जिला-बलौदाबाजार - भाटापारा (छ.ग.)	खसरा क्रमांक. 112/2, 721/18, 114/6, 98/3 (खदान क्षेत्र में)	5	50	6750	50	6750	6800	6800
		उद्योग परिसर के भीतर (क्षेत्र-खपराडीह गेट एवं विजन गार्डन)	0.011	निरंक	130	निरंक	110	130	110
		कॉलोनी परिसर में (क्षेत्र-ओवर हेड टैंक, रंगमंच, म्यूजिकल गार्डन, मंदिर रोड साईड, मंदिर परिसर के अंदर)	0.057	415	निरंक	352	निरंक	415	352

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 156) के भाग (ख) की जानकारी]

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मई 2013—ज्येष्ठ 7, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-124/सात-3/2011/दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 के संलग्न अनुसूची के सरल क्रमांक-06 के नीचे निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/अधिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	तहसील कार्यालय	अस्थाई जाति प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर
8.	तहसील कार्यालय	स्थाई जाति प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर	कमिश्नर

428

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 मई 2013

15/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	तहसील कार्यालय	निवास प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर
10.	तहसील कार्यालय	आय प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट "तेरह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 176) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	वित्तीय वर्ष	संभाग का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	स्वीकृत कार्य का विवरण		कार्य की स्थिति		
					कार्य की संख्या	उपलब्ध कराई गई राशि (लाख रु. में) (04.08.2020 तक)	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2018-19	बिलासपुर	गौरेला-पेण्डा-मरवाही	मरवाही	67	725.926	5	62	0
2	2018-19	बिलासपुर	कोरबा	कोरबा	23	757.210	5	17	1
3	2018-19	बिलासपुर	कोरबा	कटघोरा	158	1212.325	137	21	0
4	2018-19	बिलासपुर	कोरबा	अनु. एवं विस्तार वनमंडल बिलासपुर	6	168.800	6	0	0
5	2018-19	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	17	299.013	16	1	0
6	2018-19	बिलासपुर	बिलासपुर	अनु. एवं विस्तार वनमंडल बिलासपुर	2	56.200	2	0	0
7	2018-19	बिलासपुर	बिलासपुर	कोटा परियोजना मंडल (वन विकास निगम)	2	29.460	1	1	0
8	2018-19	बिलासपुर	मुंगेली	मुंगेली	4	46.634	2	2	0
9	2018-19	बिलासपुर	मुंगेली	उप निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व	76	548.990	58	15	3
10	2018-19	बिलासपुर	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	8	217.430	7	1	0
11	2018-19	बिलासपुर	रायगढ़	धरमजयगढ़	34	522.010	33	1	0
12	2018-19	बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	152	2134.348	109	24	19
योग - वित्तीय वर्ष 2018-19					549	6718.346	381	145	23

क्र.	वित्तीय वर्ष	संभाग का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	स्वीकृत कार्य का विवरण		कार्य की स्थिति		
					कार्य की संख्या	उपलब्ध कराई गई राशि (लाख रु. में) (04.08.2020 तक)	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	2019-20	बिलासपुर	गौरेला पेंड्रा मरवाही	मरवाही	218	4953.251	197	21	0
14	2019-20	बिलासपुर	कोरबा	कोरबा	24	836.227	6	18	0
15	2019-20	बिलासपुर	कोरबा	कटघोरा	211	3635.828	17	189	5
16	2019-20	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	37	1223.810	9	27	1
17	2019-20	बिलासपुर	बिलासपुर	अनु. एवं विस्तार वनमंडल बिलासपुर	16	226.494	16	0	0
18	2019-20	बिलासपुर	मुंगेली	मुंगेली	13	246.660	9	4	0
19	2019-20	बिलासपुर	मुंगेली	उप निदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व	41	1182.600	1	11	29
20	2019-20	बिलासपुर	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	11	918.100	6	5	0
21	2019-20	बिलासपुर	रायगढ़	धरमजयगढ़	24	1135.572	14	10	0
22	2019-20	बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	139	2043.325	49	36	54
योग - वित्तीय वर्ष 2019-20 (04/08/2020 तक)					734	16401.867	324	321	89
महायोग बिलासपुर संभाग - वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 (04/08/2020 तक)					1283	23120.213	705	466	112

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 217) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला जांजगीर, कोरबा एवं रायगढ़ अंतर्गत संचालित रेत खदानें एवं सीलिंग प्राईज की जानकारी

क्रमांक	स्वीकृत रेत खदान का नाम	पट्टेधारी का नाम	सीलिंग प्राईस
(1)	(2)	(3)	(4)
जिला - जांजगीर-चांपा			
1	देवरघटा	पिताम्बर अग्रवाल	98
2	तनौद	पिताम्बर अग्रवाल	
3	खोरसी-1	मधुरिमा पाण्डेय	
4	खोरसी-2	मधुरिमा पाण्डेय	
5	देवरी	अर्जुन सिंह	
6	महन्तपारा	श्री अर्जुन सिंह	
7	भोगहापारा	अभिषेक अग्रवाल	
8	मिरौनी	दिलाराम कष्यप	
9	सुलौनी	श्रीकान्त चन्द्रा	
10	हथनेवरा	राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	
11	जुनाडीह (सोनाईडीह)	बाबूलाल जायसवाल	
12	हरदी	बिसाहुराम चन्द्रा	
13	बरहागुडा	घनध्याम प्रसाद चन्द्रा	
14	चोरिया	प्रकाश सिघानिघा	
15	पीथमपुर	चित्रकुमार जायसवाल	
16	गाढापाली	चित्रकुमार जायसवाल	
17	केराकछार	भावना शर्मा	
18	देवरी	शशिकपूर उपाध्याय	
19	खुरघट्टी	सुनील कुमार चन्द्रा	
20	मांजकुंद	सुनील कुमार चन्द्रा	
21	भादा	निकिता गुम्बर	
22	नवापारा	निकिता गुम्बर	
23	बरगढी	कविता मिश्रा	
24	बरबसपुर	कविता मिश्रा	
जिला - कोरबा			
25	गेरवा	गगनदीप सिंह भाटिया	86
26	मोतीसागर	जय कुमार सोनी	

क्रमांक	स्वीकृत रेत खदान का नाम	पट्टेधारी का नाम	सीलिंग प्राईस
(1)	(2)	(3)	(4)
27	कसनिया	सुशील कुमार गर्ग	92
28	छूरीकला	अभिषेक मोदी	
29	पोडी	लेख राम पटेल	
30	चोरभट्टी	प्रमोद कुमार राठौर	
31	सिरी	मॉ शारदा ट्रेडर्स प्रो. मधु अग्रवाल	
32	धवईपुर	अनूप त्रिपठी	
33	तेलसरा	हरिशंकर साहू	
34	बंजारी	सैय्यद हिसामुद्दीन	
35	बगदर	पवन जायसवाल	
36	बैरा	सागर कुमार साहू	
37	भैंसामुडा	विवेक जॉन	
38	कसरेंगा	अभय कुमार गर्ग	
39	दुल्लापुर	अशोक कुमार पाण्डे	
जिला - रागगढ़			
40	जसरा	बलबीर सिंह आहूजा	92
41	गोलाबुड़ा	अभिषेक शर्मा	
42	पुसल्दा	अभिषेक शर्मा	
43	साल्हेपाली	ध्रुव कुमार अग्रवाल	
44	सुरजगढ़	गगन अग्रवाल	
45	पड़िगांव	गगन अग्रवाल	
46	बैहामुडा	आर्यन अग्रवाल	

प्रपत्र "ब"

स्वीकृत रेत खदान से अवैध रूप से खनन की जानकारी

क्र.	स्वीकृत रेत खदान का नाम जहां अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया	अवैध उत्खननकर्ता का नाम	प्रकरण दर्ज किये जाने का दिनांक	वसूल किया गया समझौता राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जिला - कोरबा				
निरंक				
जिला - रायगढ़				
निरंक				
जिला - जांजगीर-चांपा				
1	ग्राम हथनेवरा	राजेन्द्र कुमार	02.03.2020	1,25,000
2	ग्राम खोरसी-2	मधुरिमा पाण्डेय	02.03.2020	1,25,000
3	ग्राम सोनाईडीह	बाबूलाल जायसवाल	03.03.2020	1,25,000

परिशिष्ट "पंद्रह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 264) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

// आदेश //

कार्यालय परिवहन आयुक्त

अवर परिवहन आयुक्त
संयुक्त परिवहन आयुक्त
शारदा
आवक पत्र क्रमांक
दिनांक

नया रायपुर दिनांक 04 जुलाई, 2020

क्रमांक एफ 1-5/आठ-परि./2020: छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2307/परि.वि./टीसी/2017, दिनांक 10 अगस्त, 2017 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं पर स्थापित परिवहन जाँच चौकियों, को दिनांक 04 जुलाई, 2017 की मध्य रात्रि 12.00 बजे से पूर्णतः बंद किया गया है, को राज्य शासन एतद्वारा राज्य की सीमाओं पर निम्नानुसार जांच चौकियों, जिसका उल्लेख कॉलम-2 पर किया गया है, को आदेश जारी होने के दिनांक से पुनः प्रारम्भ करता है।

स. क्र.	परिवहन जांच चौकी का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1	पाटकोहरा	राजनांदगांव
2	छोटा मानपुर	राजनांदगांव
3	मानपुर	राजनांदगांव
4	चिल्फी	कबीरधाम
5	खम्हारपाली	महासमुंद
6	बागबाहरा	महासमुंद
7	कैवची	बिलासपुर
8	धनवार	बलरामपुर
9	रामानुजगंज	बलरामपुर
10	घुटरीटोला	कोरिया
11	चांटी	कोरिया
12	रेंगारपाली	रायगढ़
13	शांख	जशपुरनगर
14	लावाकेरा	जशपुरनगर
15	कोन्टा	सुकमा
16	धनपूजी	जगदलपुर

- 2/ संबंधित क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, तत्काल परिवहन चेकपोस्ट को पुनः स्थापित किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3/ चेकपोस्टों पर पदस्थ किये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के पदस्थापना के संबंध में आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।
- 4/ राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन उड़नदस्ता का संचालन पुनः प्रारम्भ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

4/10/2020
(संयुक्त परिवहन आयुक्त)

प्रपत्र "ब"

कार्यालय, परिवहन, आयुक्त, छत्तीसगढ़

"सी-ब्लॉक, तृतीय तल,

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

Tel. No: 0771-2582799, Fax No. 2582088

E-mail : atc.cg@gov.in

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 17/07/2020

121

क्रमांक/ /स्था./टीसी/2020 :: छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-5/आठ-परि./2020 नवा रायपुर दिनांक 04 जुलाई, 2020 द्वारा राज्य की सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियों, एवं परिवहन उड़नदस्तों को पुनः प्रारंभ किये जाने संबंधी आदेश के परिपालन में निम्नांकित परिवहन निरीक्षक, परिवहन उपनिरीक्षक, सहायक परिवहन उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक तथा परिवहन आरक्षक को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में रोटेशन के आधार पर उल्लेखित स्थान पर अन्यत्र पदस्थ किया जाता है :-

परिवहन चेकपोस्ट - पाटेकोहरा

क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अब्दुल मुजाहिद, परिवहन निरीक्षक	क्षेपका दुर्ग	प्रभारी परिवहनचेकपोस्ट पाटेकोहरा
2	श्री कृष्णाकांत चौबे, परिवहन निरीक्षक	अक्षेपका राजनांदगांव	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
3	श्री मिलाप सिंह पैकरा, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका जशपुर	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
4	श्री आदित्य नारायण भोई, परिवहन उपनिरीक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
5	श्री निशांत कुमार कोमिया, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
6	श्री मुकेश देवांगन, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
7	श्री विजय ठाकुर, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
8	श्री हेमंत कुमार सांवरे, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका बालोद	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
9	श्री सुनील कुमार उपाध्याय, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका जगदलपुर	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
10	श्री विनोद कुमार वर्मा, परिवहन आरक्षक	जिपका कोण्डागांव	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
11	श्री मन्नु लाल साहू, परिवहन आरक्षक	जिपका बलौदाबाजार	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
12	श्री शैलेन्द्र टंडन, परिवहन आरक्षक	क्षेपका बिलासपुर	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
13	श्री अशोक कुमार देवांगन, परिवहन आरक्षक	क्षेपका अंबिकापुर	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
14	श्री यतीन्द्र वर्मा, परिवहन आरक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा

परिवहन चेकपोस्ट - खम्हारपाली

1	श्री राजेन्द्र बर्मन परिवहन निरीक्षक	जिपका सूरजपुर	प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
2	श्री जीवराखन लाल दीवान, परिवहन उपनिरीक्षक	क्षेपका बिलासपुर	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
3	श्री धनसाय राम भगत, परिवहन उपनिरीक्षक	क्षेपका अंबिकापुर	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
4	श्री सुजीत कुमार सिन्हा, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका कोरबा	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
5	श्री मालेन्द्र कुमार ध्रुव, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका बेमेतरा	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
6	श्री मो. साजिद खान, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली

7	श्री उत्तम चंद्राकर, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
8	श्री मुरली मनोहर धिरही, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका कोरबा	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
9	श्री गोपेश्वर पाटनवार, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका बिलासपुर	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
10	श्री विनोद कुमार साहू, परिवहन आरक्षक	जिपका महासमुंद	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
11	श्री कृष्णो वर्मन, परिवहन आरक्षक	जिपका जांजगीर चांपा	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
12	श्री अजय कुमार पाल, परिवहन आरक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
13	श्री सर्फद कुमार मेहर, परिवहन आरक्षक	जिपका रायगढ़	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
14	श्री केशव दास बंदे, परिवहन आरक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
परिवहन चेकपोस्ट - चिल्फी			
1	श्री प्रताप सिंह ध्रुव, परिवहन निरीक्षक	जिपका कोरिया	प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट चिल्फी
2	श्री नरेश सोरी, परिवहन उपनिरीक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन चेकपोस्ट चिल्फी
3	श्री रागचंद्र कुंजाम, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका कबीरधाम	परिवहन चेकपोस्ट चिल्फी
4	श्री गुहरी राम, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन चेकपोस्ट चिल्फी
5	श्री जयशंकर गुप्ता, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका अंबिकापुर	परिवहन चेकपोस्ट चिल्फी
6	श्री हबिबुर्रहमान शेख, परिवहन आरक्षक	जिपका कबीरधाम	परिवहन चेकपोस्ट चिल्फी
7	श्री फिरोज कुरैशी, परिवहन आरक्षक	जिपका कबीरधाम	परिवहन चेकपोस्ट चिल्फी
परिवहन चेकपोस्ट - धनवार			
1	श्री शिवभगत रावटे, परिवहन निरीक्षक	जिपका रायगढ़	प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट धनवार
2	श्री आशुतोष साहू, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका धमतरी	परिवहन चेकपोस्ट धनवार
3	श्री डोमनंद सिंह चुरेन्द्र, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका जांजगीर चांपा	परिवहन चेकपोस्ट धनवार
4	श्री रामकुमार नायक, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका बलौदाबाजार	परिवहन चेकपोस्ट धनवार
5	श्री कुंवर सिंह, परिवहन आरक्षक	जिपका बीजापुर	परिवहन चेकपोस्ट धनवार
6	श्री सुरेश कुमार मालेवार, परिवहन आरक्षक	अक्षेपका राजनांदगांव	परिवहन चेकपोस्ट धनवार
परिवहन चेकपोस्ट - शंख/लवाकेरा			
1	श्री चंद्र कुमार साहू, परिवहन निरीक्षक	जिपका बेमेतरा	प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट शंख
2	श्री विजय बेर, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका सुकमा	परिवहन चेकपोस्ट शंख
3	श्री रघुबीर सिंह ध्रुव, परिवहन उपनिरीक्षक	अक्षेपका राजनांदगांव	परिवहन चेकपोस्ट शंख
4	श्री उमार्शंकर साहू, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका कोण्डागांव	परिवहन चेकपोस्ट शंख
5	श्री संजय टोप्पो, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका कोरिया	परिवहन चेकपोस्ट शंख
6	श्री रामकुमार खरे, परिवहन आरक्षक	जिपका महासमुंद	परिवहन चेकपोस्ट शंख
परिवहन चेकपोस्ट - धनपूजी			
1	श्री जीनियस कुजूर, परिवहन निरीक्षक	जिपका कोण्डागांव	प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट धनपूजी
2	श्री मुकेश यादव, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन चेकपोस्ट धनपूजी
3	श्री नेत्रेश कुमार देवांगन, परिवहन आरक्षक	जिपका कोरिया	परिवहन चेकपोस्ट धनपूजी
परिवहन चेकपोस्ट - रामानुजगंज			
1	श्री तुलसी राम भगत, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका कबीरधाम	प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट रामानुजगंज
2	श्री नारद सिंह ठाकुर, परिवहन प्रधान आरक्षक	अक्षेपका राजनांदगांव	परिवहन चेकपोस्ट रामानुजगंज
3	श्री संजीव दयाल कंवर, परिवहन आरक्षक	क्षेपका अंबिकापुर	परिवहन चेकपोस्ट रामानुजगंज
परिवहन चेकपोस्ट - बागबाहरा			
1	श्री प्रशांत कुमार शर्मा, परिवहन निरीक्षक	क्षेपका बिलासपुर	प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट बागबाहरा
2	श्री हेमनंद सिरमौर, परिवहन प्रधान आरक्षक	अक्षेपका राजनांदगांव	परिवहन चेकपोस्ट बागबाहरा

3	श्री विजय कुमार साहू, परिवहन आरक्षक	जिपका महासमुंद	परिवहन चेकपोस्ट बागबाहरा
परिवहन चेकपोस्ट - रेंगारपाली			
1	श्री किशन लाल माहौर, परिवहन निरीक्षक	जिपका जशपुर	प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट रेंगारपाली
2	श्री नितिन सिंह, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका रायगढ़	परिवहन चेकपोस्ट रेंगारपाली
3	श्री प्रदीप शर्मा, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका कोरबा	परिवहन चेकपोस्ट रेंगारपाली
4	श्री ईश्वर वर्मा, परिवहन आरक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन चेकपोस्ट रेंगारपाली
परिवहन चेकपोस्ट - कौंटा			
1	श्री केशव प्रसाद राजवाड़े, परिवहन निरीक्षक	जिपका नारायणपुर संलग्न-जिपका महासमुंद	प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट कौंटा
2	श्री धीरेन्द्र साय, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका रायगढ़	परिवहन चेकपोस्ट कौंटा
3	श्री कौशल प्रसाद साहू, परिवहन आरक्षक	जिपका बलौदाबाजार	परिवहन चेकपोस्ट कौंटा
परिवहन चेकपोस्ट - कैंवची			
1	श्री जगन्नाथ राम भगत, परिवहन निरीक्षक	जिपका रायगढ़	प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट कैंवची
2	श्री तिलेश्वर चंद्रा, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका जांजगीर चांपा	परिवहन चेकपोस्ट कैंवची
3	श्री राजेश चंदेल, परिवहन आरक्षक	क्षेपका बिलासपुर	परिवहन चेकपोस्ट कैंवची
परिवहन चेकपोस्ट - छोटामानपुर/बड़ा मानपुर			
1	श्री नरेन्द्र कुमार साहू, परिवहन निरीक्षक	क्षेपका अंबिकापुर	प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट छोटामानपुर/बड़ा मानपुर
2	श्री प्रेमदान तिग्गा, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका रायगढ़	परिवहन चेकपोस्ट छोटामानपुर/बड़ा मानपुर
3	श्री प्रफुल्ल मिश्रा, परिवहन आरक्षक	क्षेपका बिलासपुर	परिवहन चेकपोस्ट छोटामानपुर/बड़ा मानपुर
परिवहन चेकपोस्ट - चांटी/घुटरीटोला			
1	श्री अनुपम पटेल, परिवहन निरीक्षक	जिपका धमतरी	प्रभारी परिवहन चेकपोस्ट चांटी/घुटरीटोला
2	श्री निशीकांत दुबे, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका बिलासपुर	परिवहन चेकपोस्ट चांटी/घुटरीटोला
3	श्री पंकज कुमार तंबोली, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका कबीरधाम	परिवहन चेकपोस्ट चांटी/घुटरीटोला
4	श्री कमलेश साहू, परिवहन आरक्षक	जिपका रायगढ़	परिवहन चेकपोस्ट चांटी/घुटरीटोला

परिवहन उड़नदस्ता - रायपुर

क्र. (1)	अधिकारी का नाम/पदनाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1	श्री रामकुमार ध्रुव, परिवहन निरीक्षक	क्षेपका रायपुर	प्रभारी परिवहन उड़नदस्ता रायपुर
2	श्री विकास शर्मा, परिवहन निरीक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर
3	श्री पंचम सिंह गोड़, परिवहन निरीक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर
4	श्री मिथलेश वर्मा, परिवहन उपनिरीक्षक	क्षेपका जगदलपुर	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर
5	श्री प्रफुल्ल तारम, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका नारायणपुर	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर
6	श्री रामकृष्ण हरि साहू, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका महासमुंद	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर
7	श्री भूषण ध्रुव, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर
8	श्री जय विकास कौशिक, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका कांकेर	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर
9	श्री राहुल शर्मा, परिवहन आरक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर

Ch

10	श्री जी.के. निलेश, परिवहन आरक्षक	अक्षेपका राजनांदगांव	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर
11	श्री राजू सिंह राजपूत, परिवहन आरक्षक	जिपका कांकेर	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर
12	श्री खालीद इमरान, परिवहन आरक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर
13	श्री रवि देवांगन, परिवहन आरक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर
14	श्री प्रकाश सागर, परिवहन आरक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन उड़नदस्ता रायपुर

परिवहन उड़नदस्ता - दुर्ग			
1	श्री आनंद शर्मा, परिवहन निरीक्षक	क्षेपका बिलासपुर	प्रभारी परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
2	श्री जस्टिन मिंज, परिवहन निरीक्षक	जिपका मुंगेली	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
3	श्री वैभव शुक्ला, परिवहन निरीक्षक	अक्षेपका राजनांदगांव	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
4	श्री डगेश्वर सिंह राजपूत, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका जांजगीर चांपा	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
5	श्री प्रवीण कुमार सोनी, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका बिलासपुर	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
6	श्री प्रदीप कुमार भोई, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका महासमुंद	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
7	श्री कमलनारायण ठाकुर, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
8	श्री गोवर्धन प्रसाद देशलहरे, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका बालोद	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
9	श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह, परिवहन आरक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
10	श्री बी. वैकट राव, परिवहन आरक्षक	जिपका बालोद	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
11	श्री अमित कुमार जयसिंह, परिवहन आरक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
12	श्री प्रदीप क्षत्री, परिवहन आरक्षक	क्षेपका जगदलपुर	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
13	श्री अभय कुमार, परिवहन आरक्षक	जिपका कोरबा	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
14	श्री विमल साय पैकरा, परिवहन आरक्षक	क्षेपका अंबिकापुर	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग

परिवहन उड़नदस्ता - बिलासपुर			
1	श्री संदीप गुप्ता, परिवहन निरीक्षक	जिपका कांकेर	प्रभारी परिवहन उड़नदस्ता बिलासपुर
2	श्री संतोष हरिपाल, परिवहन उपनिरीक्षक	अक्षेपका राजनांदगांव	परिवहन उड़नदस्ता बिलासपुर
3	श्री अतुल तिवारी, परिवहन उपनिरीक्षक	क्षेपका जगदलपुर	परिवहन उड़नदस्ता बिलासपुर
4	श्री निलेश्वर देवांगन, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका कोरबा	परिवहन उड़नदस्ता बिलासपुर
5	श्री विष्णु प्रजापति, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका अंबिकापुर	परिवहन उड़नदस्ता बिलासपुर
6	श्री संतराम निराला, परिवहन आरक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन उड़नदस्ता बिलासपुर
7	श्री आलोक बंधोर, परिवहन आरक्षक	जिपका दंतवाड़ा	परिवहन उड़नदस्ता बिलासपुर

परिवहन उड़नदस्ता - रायगढ़			
1	श्री विष्णु ठाकुर, परिवहन निरीक्षक	क्षेपका दुर्ग	प्रभारी परिवहन उड़नदस्ता रायगढ़
2	श्री संतोष कुमार राठौर, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका बलरामपुर	परिवहन उड़नदस्ता रायगढ़
3	श्री प्रवीण कुमार धूर्ते, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका सूरजपुर	परिवहन उड़नदस्ता रायगढ़
4	श्री अशग्वर तेज द्विवेदी, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका सूरजपुर	परिवहन उड़नदस्ता रायगढ़
5	श्री राजेश कुमार पैकरा, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका रायगढ़	परिवहन उड़नदस्ता रायगढ़
6	श्री शेषमणी यादव, परिवहन आरक्षक	जिपका कोरबा	परिवहन उड़नदस्ता रायगढ़
7	श्री खुलेन्द्र प्रताप यादव, परिवहन आरक्षक	क्षेपका बिलासपुर	परिवहन उड़नदस्ता रायगढ़
8	श्री सत्यनारायण दीवान, परिवहन आरक्षक	जिपका कांकेर	परिवहन उड़नदस्ता रायगढ़

परिवहन उड़नदस्ता -- अंबिकापुर			
1	श्री मनोज कुमार भारती, परिवहन निरीक्षक	जिपका कोरिया	प्रभारी परिवहन उड़नदस्ता अंबिकापुर
2	श्री डुमेश कुमार ठाकुर, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका नारायणपुर	परिवहन उड़नदस्ता अंबिकापुर
3	श्री महेश साहू, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका जांजगीर चांपा	परिवहन उड़नदस्ता अंबिकापुर
4	श्री धनेश्वर साहू, परिवहन प्रधान आरक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन उड़नदस्ता अंबिकापुर
5	श्री पारथ राम, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका धमतरी	परिवहन उड़नदस्ता अंबिकापुर
6	श्री सत्येन्द्र तिवारी, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका बलरामपुर	परिवहन उड़नदस्ता अंबिकापुर
7	श्री संदीप कूजूर, परिवहन आरक्षक	जिपका जशपुर	परिवहन उड़नदस्ता अंबिकापुर
8	श्री महेन्द्र देवांगन, परिवहन आरक्षक	जिपका कोरबा	परिवहन उड़नदस्ता अंबिकापुर
परिवहन उड़नदस्ता -- कोरबा			
1	श्री सनत जांगड़े, परिवहन निरीक्षक	जिपका गरियाबंद, संलग्न क्षेपका रायपुर	प्रभारी परिवहन उड़नदस्ता कोरबा
2	श्री जीतेन्द्र भूषण, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका बीजापुर	परिवहन उड़नदस्ता कोरबा
3	श्री पुष्पेन्द्र कुमार, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका कोरिया	परिवहन उड़नदस्ता कोरबा
4	श्री अजय खुटे, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका जांजगीर चांपा	परिवहन उड़नदस्ता कोरबा
5	श्री संजय ठाकुर, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका मुंगेली	परिवहन उड़नदस्ता कोरबा
6	श्री रामप्रकाश साहू, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका दतेवाड़ा	परिवहन उड़नदस्ता कोरबा
7	श्री विनय पाल, परिवहन आरक्षक	जिपका सूरजपुर	परिवहन उड़नदस्ता कोरबा
8	श्री प्रेमशंकर सिन्हा, परिवहन आरक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन उड़नदस्ता कोरबा
9	श्री हिन्धाराम विश्वकर्मा, परिवहन आरक्षक	जिपका धमतरी	परिवहन उड़नदस्ता कोरबा
परिवहन उड़नदस्ता -- जगदलपुर			
1	श्री संतोष कुमार झा, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका कोरबा, संलग्न-परिवहन आयुक्त कार्यालय, रायपुर	प्रभारी परिवहन उड़नदस्ता जगदलपुर
2	श्री आबिद खान, परिवहन उपनिरीक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन उड़नदस्ता जगदलपुर
3	श्री राजेन्द्र कुमार पटेल, परिवहन प्रधान आरक्षक	जिपका गरियाबंद	परिवहन उड़नदस्ता जगदलपुर
4	श्री नैष कुमार कटेन्द्र, परिवहन आरक्षक	जिपका चमेतरा	परिवहन उड़नदस्ता जगदलपुर
5	श्री ओमकांत मिश्रा, परिवहन आरक्षक	अक्षेपका राजनांदगांव	परिवहन उड़नदस्ता जगदलपुर

क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय हेतु-

क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विजय कुमार निकुंज, परिवहन निरीक्षक	जिपका बलौदाबाजार	परिवहन कार्यालय, बिलासपुर
2	श्री रामजी दीवान, परिवहन निरीक्षक	जिपका बालोद	परिवहन कार्यालय, महासमुद्र
3	श्रीमती सुषमा एक्का, परिवहन निरीक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन कार्यालय, रायपुर
4	श्री कुमार सिंह पैकरा, परिवहन निरीक्षक	क्षेपका जगदलपुर	परिवहन कार्यालय, रायगढ़
5	श्री अनिल घरड़े, परिवहन निरीक्षक	क्षेपका बिलासपुर	परिवहन कार्यालय, रायपुर
6	श्री ब्लासुराम, परिवहन उपनिरीक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन कार्यालय, जशपुर
7	श्री के.पी. सिंह, परिवहन निरीक्षक	जिपका महासमुद्र	परिवहन कार्यालय, अंबिकापुर
8	श्री महेन्द्र कुलदीप, परिवहन निरीक्षक	क्षेपका जगदलपुर	परिवहन कार्यालय, दुर्ग
9	श्रीमती प्राची वर्मा, परिवहन उपनिरीक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन कार्यालय, रायपुर

10	श्री कार्तिक राम पैकरा, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका बलरामपुर	परिवहन कार्यालय, कोरबा
11	श्री भगत राम चौहान, परिवहन निरीक्षक	जिपका जाजगीर चांपा	परिवहन कार्यालय, रायगढ़
12	सुश्री अरुणा साहू, परिवहन उपनिरीक्षक	क्षेपका दुर्ग	परिवहन कार्यालय, दुर्ग
13	सुश्री पारुल ठाकुर, परिवहन उपनिरीक्षक	क्षेपका विलासपुर	परिवहन कार्यालय, मुंगेली
14	श्रीमती कौशल्या रात्रे, परिवहन उपनिरीक्षक	जिपका रायगढ़	परिवहन कार्यालय, जाजगीर चांपा
15	श्रीमती शकुंतला बाघ, परिवहन उपनिरीक्षक	क्षेपका रायपुर	परिवहन कार्यालय, बलौदाबाजार
16	श्री यशवंत साहू, परिवहन निरीक्षक	जिपका दत्तेवाड़ा - संलग्न जिपका गरियाबंद	परिवहन कार्यालय, गरियाबंद
17	श्री शेषनारायण धुव, परिवहन निरीक्षक	जिपका बीजापुर	परिवहन कार्यालय, धमतरी

(डॉ. कमलप्रतीत सिंह)

परिवहन आयुक्त

छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / 121-A / स्था. / टीसी / 2020

अटल नगर, नवा रायपुर, 17-07-2020

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. संयुक्त संचालक (वित्त) परिवहन मुख्यालय रायपुर।
4. संयुक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन मुख्यालय छत्तीसगढ़।
5. समस्त उप परिवहन आयुक्त, परिवहन मुख्यालय छत्तीसगढ़।
6. समस्त सहायक परिवहन आयुक्त, परिवहन मुख्यालय छत्तीसगढ़।
7. उप संचालक (वित्त) / लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, रायपुर।
8. समस्त क्षेत्रीय / अति.क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी, छत्तीसगढ़।
9. समस्त प्रभारी, परिवहन चेकपोस्ट / परिवहन उड़नदस्ता,
10. लेखा शाखा / स्थापना शाखा, परिवहन मुख्यालय, रायपुर।
11. सर्वसंबंधित श्री की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

कार्यालय, परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

"सी-ब्लॉक, तृतीय तल,

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

Tel. No: 0771-2582799, Fax No. 2582088

E-mail : atc.cg@gov.in

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 11/08/2020

क्रमांक/126/स्था./टीसी/2020 :: एतद् द्वारा, परिवहन मुख्यालय के आदेश क्रमांक 121/स्था./टीसी/2020 दिनांक 17/07/2020 में आंशिक संशोधन कर, निम्नांकित परिवहन निरीक्षक/परिवहन उपनिरीक्षक को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-04 में उल्लेखित स्थान पर, तत्काल प्रभाव से, रोटेशन के आधार पर अन्यत्र पदस्थ किया जाता है -

क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विकास शर्मा, परिवहन निरीक्षक	परिवहन उड़नदस्ता, रायपुर	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, दुर्ग
1	श्री सुजीत कुमार सिन्हा, परिवहन उपनिरीक्षक	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली	परिवहन उड़नदस्ता, रायगढ़
2	श्री अतुल तिवारी, परिवहन उपनिरीक्षक	परिवहन उड़नदस्ता, बिलासपुर	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बिलासपुर

(सचिव, परिवहन-सह-परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(टी.आर. पैकरा)

अपर परिवहन आयुक्त

छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/126-ए/स्था./टीसी/2020

अटल नगर, नवा रायपुर 11/08/2020

प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
- संयुक्त संचालक (वित्त) परिवहन मुख्यालय रायपुर।
- संयुक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन मुख्यालय छत्तीसगढ़।
- समस्त उप परिवहन आयुक्त, परिवहन मुख्यालय छत्तीसगढ़।
- समस्त सहायक परिवहन आयुक्त, परिवहन मुख्यालय छत्तीसगढ़।
- उप संचालक (वित्त)/लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, रायपुर।
- समस्त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, छत्तीसगढ़।
- समस्त प्रभारी, परिवहन चेकपोस्ट/परिवहन उड़नदस्ता,
- लेखा शाखा/स्थापना शाखा, परिवहन मुख्यालय, रायपुर।
- सर्वसंबंधित श्री की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

3/ग

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 265) के भाग (ग) की जानकारी]

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पुलिस/विभागीय जांच संबंधी जानकारी
1	श्री एम.डी. दीवान (सेवानिवृत्त रा.प्र.से.)	श्री एम.डी. दीवान (से.नि.रा.प्र.से.) के विरुद्ध एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर द्वारा दिनांक 22.01.2011 को अपराध दर्ज किया गया है।
2	श्री एस.एल. नायक (सेवानिवृत्त रा.प्र.से.)	निरंक
3	श्री जीवन सिंह राजपूत (सेवानिवृत्त रा.प्र.से.)	निरंक
4	श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.)	निरंक
5	श्री हेमन्त कुमार पहारे (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.)	निरंक
6.	डॉ० आलोक शुक्ला (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.)	डॉ० आलोक शुक्ला के विरुद्ध भारत सरकार के आदेश क्रमांक 107/11/2015-AVD-I, दिनांक 04.07.2016 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।
7	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त भा.व.से.)	निरंक
8	श्री नटवर लाल वर्मा (सेवानिवृत्त मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी)	निरंक
9	श्री आई.एल. ठाकुर (सेवानिवृत्त रा.प्र.से.)	निरंक

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 277) के भाग (ग) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2017-18 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में 11/0.4 के.व्ही. के वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि एवं नये वितरण ट्रांसफार्मर के स्थापना की 33/11 के.व्ही. के पावर सबस्टेशनवार, ट्रांसफार्मर क्षमतावार एवं ग्रामवार जानकारी

क्रमांक	33/11 के.व्ही. सबस्टेशन का नाम	11/0.4 के.व्ही. के वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि			11/0.4 के.व्ही. के नये वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना		
		ग्राम का नाम	क्षमता	ट्रांसफार्मर की संख्या	ग्राम का नाम	क्षमता	ट्रांसफार्मर की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33/11 के.व्ही. अर्जुनी	करमतारा	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	करमतारा	25 के.व्ही.ए.	2
2		केसला	10 के.व्ही.ए. से 25 के.व्ही.ए.	1	केसला	25 के.व्ही.ए.	1
3		बहेराभांठा	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	---
4		---	---	---	बनभेंडी	25 के.व्ही.ए.	1
5	33/11 के.व्ही. तुमड़ीबोड़	पेण्डरवानी	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	2	पेण्डरवानी	25 के.व्ही.ए.	1
6		आलीवारा	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	---
7		---	---	---	दीवानशिटिया	25 के.व्ही.ए.	1
8	33/11 के.व्ही. घुमका	---	---	---	मुरमुंदा	16 के.व्ही.ए.	1
9	33/11 के.व्ही. टप्पा	कविराज टोलागांव	10 के.व्ही.ए. से 25 के.व्ही.ए.	1	---	---	---
10		---	---	---	तिलईरवार	25 के.व्ही.ए.	1
11		---	---	---	टप्पा	25 के.व्ही.ए.	1
12	33/11 के.व्ही. कंचनबाग	पार्लिकला	10 के.व्ही.ए. से 25 के.व्ही.ए.	1	---	---	---
13	33/11 के.व्ही. सिंघोला	महाराजपुर	10 के.व्ही.ए. से 25 के.व्ही.ए.	1	---	---	---
14	33/11 के.व्ही. सोमनी	तोरनकट्टा	100 के.व्ही.ए. से 200 के.व्ही.ए.	1	तोरनकट्टा	63 के.व्ही.ए.	1
15	33/11 के.व्ही. इंदामरा	---	---	---	धनगांव	63 के.व्ही.ए.	1
16	33/11 के.व्ही. मंडला	ठेकाडीह बस्ती	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	---
17		बाजगुड़ा	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	---

18	33/11 के.व्ही. अनलीपारा	ढोलियाकन्हार बस्ती	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	172
19		भरदाकला	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
20		केसला बस्ती	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
21	33/11 के.व्ही. अनलीपारा	---	---	---	ढोलियाकन्हार बस्ती	25 के.व्ही.ए.	1
22		---	---	---	ढोलियाकन्हार बस्ती	63 के.व्ही.ए.	1
23	33/11 के.व्ही. साल्हेभरी	बल्देवपुर	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
24	33/11 के.व्ही. जालबांधा	पेटी	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
25		बिडौरी	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
26	33/11 के.व्ही. झुरानदी	लंझियाटोला बस्ती	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
27		भोमपुर बस्ती	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
28		कानीमेरा	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
29	33/11 के.व्ही. डेलकाडीह	रुसे	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
30		अलहानवागांव	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
31	33/11 के.व्ही. छुईखदान	सिलपट्टी	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---	
32		---	---	---	बिडौरी	25 के.व्ही.ए.	1
33	33/11 के.व्ही. पैलीमेटा	लमरा बस्ती	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
34	33/11 के.व्ही. राहुद	सलिहा बस्ती	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
35		बघमर्मा	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
36	33/11 के.व्ही. चौरागढ़ शहर	कातलवाही	10 के.व्ही.ए. से 25 के.व्ही.ए.	1	---	---	
37	33/11 के.व्ही. अतरिया	सोनपुरी	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	
38		कुकुरमुड़ा खार	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---	
39	33/11 के.व्ही. गण्डई	---	---	---	गण्डई शहर	25 के.व्ही.ए.	1

40	33/11 के.व्ही. सडक घिरचरी	---	---		सडक बंजारी	63 के.व्ही.ए.	1	174
41		---	---		चारभांटा	25 के.व्ही.ए.	1	
42		सेलपार	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
43		चारभांटा	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
44		आंको	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
45		चारभांटा	16 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
46	33/11 के.व्ही. मुसराकला	---	---		पलान्दुर	63 के.व्ही.ए.	1	
47		---	---		ठेकवा	63 के.व्ही.ए.	1	
48		बड़े कुसमी	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
49		बेलगांव	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
50		माडीतराई	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
51		रुंवातला	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
52		छोटे कुसमी	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
53		डारागांव	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
54		पलान्दुर	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
55		आरबीरा	16 के.व्ही.ए. से 25 के.व्ही.ए.	1	---	---		
56	माडीतराई	16 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---			
57	33/11 के.व्ही. ढारा	---	---		चैतुखपरी	25 के.व्ही.ए.	1	
58		परसाही	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
59		मनकी	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
60	33/11 के.व्ही. मेदा	---	---		नवागांव	63 के.व्ही.ए.	1	
61		नवागांव	16 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
62		---	---		मुरभुंदा	25 के.व्ही.ए.	1	
63	33/11 के.व्ही. अछोली	नागतराई	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		

64	33/11 के.व्ही. छुरिया	तेंदुटोला	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	172	
65		बोईरडीह	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
66		शिकारीमहका	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
67		---	---	---	---	ब. चारभांठा	63 के.व्ही.ए.	1
68		बखरुटोला	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
69	33/11 के.व्ही. डोंगरगढ़	छिरपानी	25 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---	51	
70		नेहरू नगर	100 के.व्ही.ए. से 200 के.व्ही.ए.	1	---	---		
71	33/11 के.व्ही. एल.बी. नगर	हीरापुर	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
72		भरकाटोला	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
73		गोविंदपुर	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
74	33/11 के.व्ही. डोंगरगांव	हैदलकोडी	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
75		कोकपुर	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
76		तुमडीलेवा	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
77		बिटाल	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
78		पदगुड़ा	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
79	डोंगरगांव शहर	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---			
80	33/11 के.व्ही. कुमरदा	लाटमेटा	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
81	33/11 के.व्ही. गोटाटोला	रंगकटेरा	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
82		एम.पी. धेनु	16 के.व्ही.ए. से 25 के.व्ही.ए.	1	---	---		
83		एम.पी. भुरसा	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
84	33/11 के.व्ही. मोहला	हिददड़	10 के.व्ही.ए. से 25 के.व्ही.ए.	1	---	---		
85	33/11 के.व्ही. दिघवाडी	कांडे	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
86		रानाटोला	16 के.व्ही.ए. से 25 के.व्ही.ए.	1	---	---		

87	33/11 के.व्ही. डुमरटोला	सोमाटोला	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	मुनगाडीह	63 के.व्ही.ए.	1	176
88		बुढ़हानकट्टा	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
89		घासीटोला	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
90		घासीटोला	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
91		खामटोला	16 के.व्ही.ए. से 25 के.व्ही.ए.	1	---	---		
92		दोसर	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
93		खामटोला	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
94	33/11 के.व्ही. किल्लापारा	पाण्डुका	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1	---	---		
95		सोमाझिटिया	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1	---	---		
96	33/11 के.व्ही. बांधाबाजार				ढाढूटोला	25 के.व्ही.ए.	1	
97	33/11 के.व्ही. हाटबंजारी	रामातरई	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1				
98	33/11 के.व्ही. गैदाटोला	फगरुटोला	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1				
99	33/11 के.व्ही. गैदाटोला	बेलरगौदी	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1				
100		फाफानार	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1				
101	33/11 के.व्ही. कुमरदा	ठाकुरबांधा	10 के.व्ही.ए. से 25 के.व्ही.ए.	1				
102	33/11 के.व्ही. किल्लापारा	बाम्हनीभाठा	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1				
103	33/11 के.व्ही. बिजाभाठा	बरगांव	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1				
104	33/11 के.व्ही. खुज्जी	पथरी	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1				
105	33/11 के.व्ही. डोगरगांव	बागद्वार	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1				
106	33/11 के.व्ही. हाटबंजारी	घोटिया	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1				
107		कल्लूबंजारी	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1				
108		केशोखैरी	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1				
109	33/11 के.व्ही. गैदाटोला	सीताकसा	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1				
110		कोलियारी	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1				
111		मेटेपार	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1				
112		बेलगौदी	63 के.व्ही.ए. से 100 के.व्ही.ए.	1				
113		तुलीकसा	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1				
114	33/11 के.व्ही. दिघवाड़ी	मुरारगोट	25 के.व्ही.ए. से 63 के.व्ही.ए.	1				
				योग :-	96			25

5

परिशिष्ट "अट्टारह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 290) के भाग (क) एवं (ख)की जानकारी]

रायगढ़ जिले में विद्युत सिंचाई पंप हेतु दिनांक 31-03-2020 एवं दिनांक 30-06-2020 की स्थिति में स्थायी कनेक्शन के प्राप्त, स्वीकृत, जारी किये गये एवं लंबित आवेदनों के संख्या की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विवरण	विकासखण्ड का नाम									योग
		धरमजयगढ़	रायगढ़	घरघोडा	लैलुंगा	तमनार	खरसिया	पुसौर	सारंगढ़	बरमकेला	
1	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में विद्युत विस्तार हेतु लंबित आवेदन की संख्या	384	122	146	50	102	38	305	268	295	1710
2	वित्तीय वर्ष 2020-2021 में दिनांक 30.06.2020 तक प्राप्त आवेदन	120	7	18	3	1	0	29	32	70	280
3	(अ) कुल प्राप्त आवेदन (1+2)	504	129	164	53	103	38	334	300	365	1990
	(ब) स्वीकृत किये गये आवेदन	384	129	164	53	103	38	334	273	300	1778
4	जारी किये गये कनेक्शन की संख्या	188	46	5	0	7	0	23	0	10	279
5	30 जून 2020 के पश्चात लंबित आवेदन	316	83	159	53	96	38	311	295	360	1711

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 291) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में वन विभाग के धरमजयगढ़ एवं रायगढ़ वनमंडल में वर्ष 2019-20 में कैम्पा मद से प्राप्त राशि की जानकारी

जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण		व्यय राशि (लाख रु. में)	शेष राशि (लाख रु. में)
				कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
रायगढ़	धरमजयगढ़	बोरो	2019-20	स्ट्राइक फोर्स वाहन	2.500	2.500	0.000
				क्षतिपूर्ति रोपण (सी.एम.डी.सी.एल.)	61.380	32.250	29.130
				डब्ल्यू.बी.एम. निर्माण कार्य	90.600	90.045	0.555
				अग्नि सुरक्षा कार्य	5.848	5.848	0.000
				योग बोरो परिक्षेत्र:-	160.328	130.643	29.685
रायगढ़	धरमजयगढ़	छाल	2019-20	स्ट्राइक फोर्स वाहन	2.500	2.500	0.000
				हाथी मित्र दल वाहन	2.500	2.500	0.000
				हाईटेक बेरियर निर्माण कार्य	16.000	9.960	6.040
				अग्नि सुरक्षा कार्य	5.848	5.848	0.000
				योग छाल परिक्षेत्र:-	26.848	20.808	6.040
रायगढ़	धरमजयगढ़	कापू	2019-20	स्ट्राइक फोर्स वाहन	2.500	2.500	0.000
				अग्नि सुरक्षा कार्य	4.472	4.472	0.000
				योग कापू परिक्षेत्र:-	6.972	6.972	0.000
रायगढ़	धरमजयगढ़	बाकारुमा	2019-20	स्ट्राइक फोर्स वाहन	2.500	2.500	0.000
				क्षतिपूर्ति रोपण (सी.एम.डी.सी.एल.)	72.770	51.020	21.750
				अग्नि सुरक्षा कार्य	3.440	3.440	0.000
				योग बाकारुमा परिक्षेत्र:-	78.710	56.960	21.750

परिशिष्ट "अट्टारह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 290) के भाग (क) एवं (ख)की जानकारी]

रायगढ़ जिले में विद्युत सिंचाई पंप हेतु दिनांक 31-03-2020 एवं दिनांक 30-06-2020 की स्थिति में स्थायी कनेक्शन के प्राप्त, स्वीकृत, जारी किये गये एवं लंबित आवेदनों के संख्या की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विवरण	विकासखण्ड का नाम									योग
		धरमजयगढ़	रायगढ़	घरघोडा	लैलुंगा	तमनार	खरसिया	पुसौर	सारंगढ़	बरमकेला	
1	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में विद्युत विस्तार हेतु लंबित आवेदन की संख्या	384	122	146	50	102	38	305	268	295	1710
2	वित्तीय वर्ष 2020-2021 में दिनांक 30.06.2020 तक प्राप्त आवेदन	120	7	18	3	1	0	29	32	70	280
3	(अ) कुल प्राप्त आवेदन (1+2)	504	129	164	53	103	38	334	300	365	1990
	(ब) स्वीकृत किये गये आवेदन	384	129	164	53	103	38	334	273	300	1778
4	जारी किये गये कनेक्शन की संख्या	188	46	5	0	7	0	23	0	10	279
5	30 जून 2020 के पश्चात लंबित आवेदन	316	83	159	53	96	38	311	295	360	1711

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 291) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में वन विभाग के धरमजयगढ़ एवं रायगढ़ वनमंडल में वर्ष 2019-20 में कैम्पा मद से प्राप्त राशि की जानकारी

जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण		व्यय राशि (लाख रु. में)	शेष राशि (लाख रु. में)
				कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
रायगढ़	धरमजयगढ़	बोरो	2019-20	स्ट्राइक फोर्स वाहन	2.500	2.500	0.000
				क्षतिपूर्ति रोपण (सी.एम.डी.सी.एल.)	61.380	32.250	29.130
				डब्ल्यू.बी.एम. निर्माण कार्य	90.600	90.045	0.555
				अग्नि सुरक्षा कार्य	5.848	5.848	0.000
योग बोरो परिक्षेत्र:-					160.328	130.643	29.685
रायगढ़	धरमजयगढ़	छाल	2019-20	स्ट्राइक फोर्स वाहन	2.500	2.500	0.000
				हाथी मित्र दल वाहन	2.500	2.500	0.000
				हाईटेक बेरियर निर्माण कार्य	16.000	9.960	6.040
				अग्नि सुरक्षा कार्य	5.848	5.848	0.000
योग छाल परिक्षेत्र:-					26.848	20.808	6.040
रायगढ़	धरमजयगढ़	कापू	2019-20	स्ट्राइक फोर्स वाहन	2.500	2.500	0.000
				अग्नि सुरक्षा कार्य	4.472	4.472	0.000
योग कापू परिक्षेत्र:-					6.972	6.972	0.000
रायगढ़	धरमजयगढ़	बाकारुंगा	2019-20	स्ट्राइक फोर्स वाहन	2.500	2.500	0.000
				क्षतिपूर्ति रोपण (सी.एम.डी.सी.एल.)	72.770	51.020	21.750
				अग्नि सुरक्षा कार्य	3.440	3.440	0.000
योग बाकारुंगा परिक्षेत्र:-					78.710	56.960	21.750

जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण		व्यय राशि (लाख रु. में)	शेष राशि (लाख रु. में)
				कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
रायगढ़	धरमजयगढ़	लैलूगा	2019-20	रट्टाईक फोर्स वाहन	2.500	2.500	0.000
				अग्नि सुरक्षा कार्य	8.256	8.031	0.225
				क्षतिपूर्ति रोपण (सी.एम.डी.सी.एल.)	125.370	48.053	77.317
योग लैलूगा परिक्षेत्र :-					136.126	58.584	77.542
रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	डब्ल्यू.बी.एम. निर्माण कार्य	60.400	60.400	0.000
				नरवा विकास (सरियानाला)	609.996	232.049	377.947
				अग्नि सुरक्षा कार्य	6.192	6.191	0.001
योग धरमजयगढ़ परिक्षेत्र :-					676.588	298.640	377.948
रायगढ़	धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	बाऊण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	20.000	20.000	0.000
				डब्ल्यू.बी.एम. निर्माण कार्य	30.000	30.000	0.000
योग डिपो धरमजयगढ़ :-					50.000	50.000	0.000
कुल योग धरमजयगढ़ वनमण्डल :- 2019-20					1135.572	622.607	512.965
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	31.360	16.518	14.842
				गेप प्लांटेशन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	55.620	25.277	30.343
				बोल्डर चोक डेम निर्माण कार्य	15.000	10.569	4.431
				भू-जल संरक्षण कार्य	18.000	0.000	18.000

जिले का नाम	बनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण		व्यय राशि (लाख रु. में)	शेष राशि (लाख रु. में)
				कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	2019-20	परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्य	21.970	0.000	21.970
				वायरलेस सुविधा का सुदृढीकरण	20.000	0.000	20.000
				वॉच टावर निर्माण कार्य	8.000	2.562	5.438
				चारागाह विकास कार्य	33.000	17.934	15.066
				नरवा विकास	42.538	15.899	26.639
				अग्नि शमक यंत्र	21.000	0.000	21.000
				अग्नि सुरक्षा	6.880	5.160	1.720
योग घरघोड़ा, परिक्षेत्र :-					273.368	93.919	179.450
रायगढ़	रायगढ़	खरसिया	2019-20	नरवा विकास	65.172	48.161	17.011
				हाईटेक बेरियर निर्माण कार्य	16.000	0.000	16.000
				परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्य	21.970	0.000	21.970
				अग्नि सुरक्षा	5.504	3.440	2.064
योग खरसिया, परिक्षेत्र :-					108.646	51.601	57.045

जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण		व्यय राशि (लाख रु. में)	शेष राशि (लाख रु. में)
				कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	31.190	11.992	19.198
				तालाब निर्माण कार्य	120.000	37.718	82.282
				नरवा विकास	143.496	45.439	98.057
				चैन लिंक फेसिंग कार्य	152.490	26.988	125.502
				अग्नि सुरक्षा कार्य	8.944	4.472	4.472
				पक्षी संवर्धन कार्य डी पी.आर. तैयारी हेतु	8.063	0.000	8.063
योग रायगढ़ परिक्षेत्र :-					464.183	126.609	337.574
रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	85.260	20.883	64.377
				नरवा विकास	32.389	10.322	22.067
				अग्नि सुरक्षा कार्य	5.160	3.870	1.290
योग सारंगढ़ परिक्षेत्र :-					122.809	35.075	87.733
रायगढ़	रायगढ़	तमनार	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	125.080	36.356	88.724
				भू- जल संरक्षण कार्य	15.000	11.868	3.132
				वायरलेस सुविधा सुदृढीकरण	19.000	0.000	19.000
				वॉच टावर निर्माण कार्य	61.000	0.000	61.000

जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण		व्यय राशि (लाख रु. में)	शेष राशि (लाख रु. में)
				कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
रायगढ़	रायगढ़	तमनार	2019-20	चारागाह विकास कार्य	15.990	3.091	12.899
				तालाब निर्माण कार्य	100.000	2.912	97.088
				नरवा विकास	18.553	10.753	7.800
				अग्नि शमक यंत्र	21.000	0.000	21.000
				अस्थायी बोरी बंधान निर्माण कार्य	15.600	7.045	8.555
				बोल्डर चेक डेम निर्माण	41.550	0.000	41.550
				मिट्टी बांध निर्माण	245.000	0.000	245.000
				पत्थर दिवाल फोर्सिंग कार्य	76.370	0.000	76.370
				स्टाप डेम निर्माण	115.000	0.000	115.000
				स्टेगर्ड कण्टूर ट्रेच	43.310	0.000	43.310
				गेबियन स्ट्रक्चर	20.140	0.000	20.140
अग्नि सुरक्षा कार्य	7.912	4.949	2.963				
योग तमनार परिक्षेत्र :-				940.505	76.974	863.531	

जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण		व्यय राशि (लाख रु. में)	शेष राशि (लाख रु. में)
				कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
रायगढ़	रायगढ़	गोमर्डा सारंगढ़	2019-20	वनतूलसा उन्मूलन कार्य	34.560	0.000	34.560
				चारागाह विकास कार्य	54.110	0.000	54.110
				चैन लिंक फेसिंग कार्य	36.200	14.377	21.823
				अग्नि सुरक्षा कार्य	4.128	2.069	2.059
योग गोमर्डा परिक्षेत्र :-					128.998	16.446	112.552
रायगढ़	रायगढ़	गोमर्डा बरमकेला	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	4.816	3.259	1.557
योग गोमर्डा परिक्षेत्र :-					4.816	3.259	1.557
कुल योग रायगढ़ वनमण्डल :- 2019-20					2043.325	403.883	1639.442
रायगढ़ जिले के रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल का मासिक योग					3178.897	1026.490	2152.407

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 310) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	जिले का नाम	वनगंडल का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण			व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति		
				कार्य का नाम	भौतिक (हेक्टे./नग/र.मी./कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	धनिगुंठि वृक्षारोपण कार्य	11.670 हे.	26.880	8.174	0	2	0
2	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	घासगाह विकास कार्य	240.000 हे.	46.950	26.377	1	1	0
3	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	बांस भिरो सफाई कार्य	225.500 हे.	17.890	6.937	2	2	1
4	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	भिक्षित रोपण कार्य	100.000 हे.	119.380	46.871	2	0	0
5	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	लेन्टाना उन्मूलन कार्य	1660.500 हे.	143.184	38.937	11	1	15
6	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	इन्फु. ऑफ ट्रोविंग रटॉक इन आरेंज ऐरिया	1638.060 हे.	277.810	48.478	0	55	14
7	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	ऑक्सीजन रोपण (रख-रखाव कार्य)	45.000 हे.	15.810	0.000	0	0	3
8	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	अभिक्षित बांस वृक्षारोपण कार्य (रख-रखाव कार्य)	20.000 हे.	3.332	0.000	0	0	2
9	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	नदीतट वृक्षारोपण (रख-रखाव कार्य)	10.000 हे.	3.670	0.000	0	0	1
10	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	सिंचित वृक्षारोपण (रख-रखाव कार्य)	10.000 हे.	3.350	0.000	0	0	1
11	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	लेन्टाना उन्मूलन कार्य (रख-रखाव कार्य)	591.860 हे.	18.230	0.000	0	0	26
12	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	गू-जल संरक्षण कार्य	306.000 हे.	4.360	0.245	0	1	0
13	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	परिक्षेत्र अधिकारी आवास भवन निर्माण कार्य	1 नग	15.320	7.557	0	1	0
14	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	हाईटेक बेरियर निर्माण कार्य	1 नग	15.970	4.897	0	1	0
15	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	स्टोरेज टैंक (कुण्ड) निर्माण कार्य	1 नग	3.000	1.970	1	0	0
16	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	तालाब निर्माण कार्य	2 नग	40.000	0.000	0	0	2
17	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	तालाब वसुलीकरण कार्य	10 नग	83.000	19.744	5	0	5
18	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	सोलर लाईटिंग विस्तार कार्य	1 नग	15.000	0.000	0	0	1
19	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	रपटा/मुलिया निर्माण कार्य	8 नग	50.000	0.000	0	0	9
20	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	परिक्षेत्र अधिकारी आवास भवन निर्माण कार्य	1 नग	15.320	0.000	0	0	1
21	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	रघ वन्देन्द्रपाल आवास भवन निर्माण कार्य	7 नग	56.350	0.000	0	0	7

क्र.	जिले का नाम	दण्ड संख्या का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्यों का विवरण			योग राशि (लाख में)	कार्यों की अद्यतन स्थिति		
				कार्य का नाम	भौतिक (हेक्टे./नग/र.मी./कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	वन रक्षक आवास भवन निर्माण कार्य	26 नग	142.220	0.000	0	0	26
23	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	पेट्रोलिंग कैम्प की स्थापना	9 नग	54.000	0.000	0	0	9
24	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	बी.एम.सी. गठन एवं पी.डी.आर. निर्माण कार्य	70 बी.एम.सी. एवं पी.डी.आर.	122.500	68.250	39	31	0
24	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	डब्ल्यू.डी.एम रोड निर्माण कार्य	16.117 कि.मी.	243.380	4.602	0	3	11
25	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	फायर लाईन कटाई साफाई जलाई कार्य	961.06 कि.मी.	12.660	1.860	2	0	2
26	गरियाबंद	गरियाबंद	2019 - 20	अग्नि सुरक्षा कार्य (अग्नि रक्षक)	113 बीट	38.872	36.420	113	0	0
योग गरियाबंद दण्ड संख्या						1588.438	321.319	176	98	136
27	गरियाबंद	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद	2019 - 20	भारतगढ़ विकास कार्य बीज बोवाई रहित	250.00 हे.	25.790	10.758	1	4	0
28	गरियाबंद	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद	2019 - 20	डलबू.बी.एम.यनमार्ग निर्माण	4.20 कि.मी.	63.420	0.000	0	0	2
29	गरियाबंद	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद	2019 - 20	अग्नि सुरक्षा श्रमिक मुग्तान 04 माह	63 श्रमिक	21.672	21.672	1	0	0
30	गरियाबंद	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद	2019 - 20	लेन्टाना उन्मूलन कार्य वित्तीय वर्ष रखरखाव	102.00 हे.	3.060	1.560	2	1	0
31	गरियाबंद	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद	2019 - 20	ए.एन.आर. कार्य चतुर्थ वर्ष रखरखाव	1972.54 हे.	41.029	41.006	12	0	0
32	गरियाबंद	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद	2019 - 20	वाउन्डीवाल निर्माण	550 र.मी.	21.560	0.000	0	0	2
योग उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद						176.531	74.996	16	5	4
कुल योग गरियाबंद जिला वित्तीय वर्ष 2019-20						1764.969	396.315	192	103	140

क्र.	जिले का नाम	बनमंडल का नाम	वित्तीय वर्ष	रकीकृत कार्य का विवरण			व्यय राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति		
				कार्य का नाम	भौतिक (हेक्टे./नग/र.मी./कि.मी.)	रकीकृत राशि (लाख रु. में)		पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	गरियाबंद	गरियाबंद	2020-21 (08 अगस्त 2020 तक)	घासगाह विकास कार्य	25.000 हे.	5.000	0.000	0	0	1
34	गरियाबंद	गरियाबंद	2020-21 (08 अगस्त 2020 तक)	नरवा विकास कार्य	3555.000 हे.	172.453	46.720	0	5	0
35	गरियाबंद	गरियाबंद	2020-21 (08 अगस्त 2020 तक)	लेन्टाना उन्मूलन कार्य	2088.500 हे.	180.450	0.000	0	0	24
36	गरियाबंद	गरियाबंद	2020-21 (08 अगस्त 2020 तक)	चैनलिक फेसिंग कार्य	15400 र.मी.	276.260	0.000	0	0	3
37	गरियाबंद	गरियाबंद	2020-21 (08 अगस्त 2020 तक)	आवासीय परिसर में आउटड्रीवॉल निर्माण कार्य	1800 र.मी.	84.350	0.000	0	0	3
				योग गरियाबंद बंगमण्डल (8 अगस्त 2020 तक)		718.513	46.720	0	5	31
38	गरियाबंद	उदन्ती सीतानदी डायमर रिजर्व, गरियाबंद	2020-21 (08 अगस्त 2020 तक)	लेन्टाना उन्मूलन कार्य तृतीय वर्ष रखरखाव	102.00 हे.	0.755	0.000	0	0	3
				योग उदन्ती सीतानदी डायमर रिजर्व (8 अगस्त 2020 तक)		0.755	0.000	0	0	3
				कुल योग गरियाबंद जिला वित्तीय वर्ष 2020-21 (8 अगस्त 2020 तक)		719.268	46.720	0	5	34
				कुल योग गरियाबंद जिला (वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (8 अगस्त 2020 तक))		2484.237	443.035	192	108	174

परिशिष्ट "इक्कीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 317) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

01 जनवरी 2019 से 03 फरवरी 2020 के मध्य प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्रमांक	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता का नाम	निरीक्षणकर्ता अधिकारी	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1	25/09/2019	ग्राम-चोरभट्टी जिला-बेमेतरा में मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट द्वारा बॉक्साइट के कशिंग एवं भंडारण से पर्यावरण प्रदूषित होने के संबंध में (छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त)	श्री आशीष कुमार छाबडा माननीय विधायक, बेमेतरा	मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के सहायक अभियंता, वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ	01/11/2019	ग्राम-चोरभट्टी जिला-बेमेतरा में मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट द्वारा बॉक्साइट के कशिंग एवं भंडारण हेतु इकाई न लगाई जाकर ग्राम-बसनी, जिला-बेमेतरा में स्थापित की गई है। निरीक्षण के दौरान इकाई की कशर (यूनिट-1) उत्पादनरत तथा (यूनिट-2) बंद पाई गई। कशर (यूनिट-1) में वॉटर सिप्रंकलर सिस्टम संचालित पाया गया एवं (यूनिट-2) में परीक्षण के दौरान स्थापित वॉटर सिप्रंकलर ठीक प्रकार से संचालित होना नहीं पाया गया। आस-पास के क्षेत्र में फसल पर धूल का जमाव नहीं पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 13/11/2019 के द्वारा कशर क्रमांक 02 में स्थापित वॉटर सिप्रंकलर तथा बॉक्साइट भंडारण स्थल में स्थापित फिक्सड वॉटर सिप्रंकलर में तत्काल सुधार करने बाबत नोटिस जारी किया गया। नोटिस के पालन की जांच हेतु पुनः निरीक्षण किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

				मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के सहायक अभियंता एवं प्रभारी रसायनज्ञ	15/11/2019	निरीक्षण के दौरान कृशर यूनित-1 एवं यूनित-2 बंद पाई गई एवं आसपास के क्षेत्र में फसल पर धूल का विशेष जमाव नहीं पाया गया।	प्रदूषण की स्थिति नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
				मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के वैज्ञानिक एवं सहायक अभियंता	07/02/2020	उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण मिस्ट फागिंग सिस्टम एवं अन्य स्पिंकलर संचालित पाये गये एवं प्रदूषण की स्थिति का निर्मित होना अवलोकित नहीं किया गया। उद्योग के आसपास के खेतों में फसलें लगी हुई पाई गई एवं उन पर धूल का जमाव नहीं पाया गया।	प्रदूषण की स्थिति नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
2	08/11/2019	ग्राम चोरभट्टी में मेसर्स कंदोई फर्म द्वारा बॉक्साइट खनिज का अवैध भंडारण कर कसिंग किया जा रहा है जिस पर कार्यवाही किये जाने हेतु (कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा को प्राप्त)	श्री शिव यादव, वार्ड नं. - 10 कोबिया बेमेतरा, जिला-बेमेतरा	खनि निरीक्षक, बेमेतरा	08/11/2019	निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में बॉक्साइट का भण्डारण किया जाना नहीं पाया गया।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रपत्र "ब"

दिनांक 01-01-2019 से 10-08-2020 की अवधि में मेसर्स कंदोई ट्रांसपोर्ट के निरीक्षण संबंधी जानकारी

क्रमांक	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी
1	2	3
1	01/11/2019	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के सहायक अभियंता, वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ
2	15/11/2019	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के सहायक अभियंता एवं प्रभारी रसायनज्ञ
3	07/02/2020	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के वैज्ञानिक एवं सहायक अभियंता
4	24/06/2020	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के प्रभारी रसायनज्ञ
5	08/08/2020	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग के सहायक अभियंता एवं प्रभारी रसायनज्ञ

परिशिष्ट "बाईस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 32(क्र. 420) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रदेश में मार्च 2019 से जून 2020 तक की अवधि में बिजली बिल हॉफ योजना के तहत योजना के लाभ से वंचित घरेलू उपभोक्ताओं के संख्या की माहवार जानकारी

विवरण / माह	मार्च 2019	अप्रैल 2019	मई 2019	जून 2019	जुलाई 2019	अगस्त 2019	सितम्बर 2019	अक्टूबर 2019	नवम्बर 2019	दिसम्बर 2019	जनवरी 2020	फरवरी 2020	मार्च 2020	अप्रैल 2020	मई 2020	जून 2020 (प्रावधिक)
घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या	45,79,661	46,07,698	46,20,471	46,28,444	46,35,848	46,35,848	46,45,744	46,55,521	46,62,160	46,66,758	46,67,280	46,66,413	46,71,693	46,74,988	46,80,624	46,8,4500
लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या	25,23,687	29,47,701	31,41,633	32,50,739	33,31,982	33,89,158	34,46,947	35,00,291	35,96,391	36,42,139	36,75,096	37,17,707	37,33,742	37,49,568	37,69,505	37,8,5000
योजना के लाभ से वंचित उपभोक्ताओं की संख्या	20,55,974	16,59,997	14,78,838	13,77,705	13,03,866	12,46,690	11,98,797	11,55,230	10,65,769	10,24,619	99,21,84	94,87,06	93,79,51	92,5,420	9,11,119	8,99,500

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को बिजली बिल हॉफ योजना के तहत सब्सिडी के रूप में देय राशि तथा राज्य शासन से प्राप्त राशि की माहवार जानकारी

क्र.	माह	कुल छूट की राशि (रूपये करोड़ में)	राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि (रूपये करोड़ में)
1	मार्च 2019	48.37	
2	अप्रैल 2019	73.9	
3	मई 2019	77.19	
4	जून 2019	79.39	
5	जुलाई 2019	75.12	
6	अगस्त 2019	78.14	
7	सितम्बर 2019	79.71	
8	अक्टूबर 2019	72.56	147.58
9	नवम्बर 2019	60.36	
10	दिसम्बर 2019	60.43	68
11	जनवरी 2020	57.05	584.42
12	फरवरी 2020	47.48	
13	मार्च 2020	22.06	177.21
14	अप्रैल 2020	122	
15	मई 2020	83.63	
16	जून 2020 (प्रावधिक)	79.23	212
	कुल	1116.61	1189.21

अतारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 7) के भाग (ख) की जानकारी]

धमतरी जिले में रेत खदानों में की गई जांच एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	रेत खदान का नाम	पट्टाधारक	जांच दिनांक	शर्तों के उल्लंघन पर की गई कार्यवाही की जानकारी
1	2	3	4	5
1	अरौद	अरुण कुमार गुप्ता	29.12.2019	अर्धदण्ड राशि रूपये 400000 वसूल किया गया है।
2	राजपुर	आशीष डहरिया	21.01.2020 30.04.2020	अर्धदण्ड राशि रूपय 400000 वसूल किया गया है।
3	जोरातराई	आशीष डहरिया	21.01.2020 13.03.2020 19.06.2020	अर्धदण्ड राशि रूपय 400000 वसूल किया गया है तथा 19.06.2020 को पायी गयी अनियमितता हेतु पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पट्टाधारक द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान में खदान बंद है।
4	खरगा	शख जफर	22.05.2020	अर्धदण्ड राशि रूपय 50000 वसूल किया गया है।
5	जवरगांव	सतीश देवता	31.05.2020	अर्धदण्ड राशि रूपये 100000 वसूल किया गया है।
6	कपालाफोड़ी	टीकम लाल साहू	17.06.2020	पट्टाधारक को खदान क्षेत्र में पायी गयी अनियमितता हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पट्टाधारक द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान में खदान बंद है।
7	सरगी	जितेन्द्र कुमार मण्डल	16.06.2020	पट्टाधारक को खदान क्षेत्र में पायी गयी अनियमितता हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पट्टाधारक द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान में खदान बंद है।

परिशिष्ट "चौबीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 43) के भाग (ख) की जानकारी]

मेसर्स हिंडाल्को लिमिटेड के द्वारा माहवार कोयले के उत्पादन की जानकारी

(मात्रा मैट्रिक टन में)

वित्तीय वर्ष	माह	उत्पादन
1.	2.	3.
2015-16	दिसम्बर	8525.000
	जनवरी	13684.609
	फरवरी	21000.026
	मार्च	25527.791
2016-17	अप्रैल	56779.706
	मई	70515.212
	जून	89201.547
	जुलाई	91585.423
	अगस्त	96588.341
	सितम्बर	106286.520
	अक्टूबर	105610.018
	नवम्बर	106323.326
	दिसम्बर	106679.529
	जनवरी	79537.151
	फरवरी	58226.950
	मार्च	32666.277
2017-18	अप्रैल	56120.000
	मई	68025.000
	जून	49378.000
	जुलाई	51021.000
	अगस्त	67132.000
	सितम्बर	60351.000
	अक्टूबर	85160.000
	नवम्बर	87851.000
	दिसम्बर	75677.000
	जनवरी	87761.000
	फरवरी	104648.000
मार्च	145578.000	

वित्तीय वर्ष	माह	उत्पादन
1.	2.	3.
2018-19	अप्रैल	71013.000
	मई	63797.000
	जून	78414.000
	जुलाई	77312.000
	अगस्त	57001.000
	सितम्बर	73119.000
	अक्टूबर	97724.000
	नवम्बर	94835.000
	दिसम्बर	108392.000
	जनवरी	92243.000
2018-19	फरवरी	22651.000
	मार्च	1831.000
2019-20	अप्रैल	56767.000
	मई	70936.000
	जून	64429.000
	जुलाई	18480.000
	अगस्त	14905.000
	सितम्बर	24929.000
	अक्टूबर	59500.000
	नवम्बर	75044.000
	दिसम्बर	55322.000
	जनवरी	34473.000
	फरवरी	00
	मार्च	72995.000
	2020-21	अप्रैल
मई		00
जून		00
जुलाई		36763.000
योग		3463977.426

परिशिष्ट "पच्चीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 107) की जानकारी]

केशकाल विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2018 से जून 2020 तक सौर सुजला योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम	लाभान्वित कृषकों की संख्या
1	बड़ेराजपुर	आमाडीह	3
2	बड़ेराजपुर	बस्तरबुडरा	11
3	बड़ेराजपुर	बड़गांव	7
4	बड़ेराजपुर	बड़बत्तार	4
5	बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर	18
6	बड़ेराजपुर	बैजनपुरी	17
7	बड़ेराजपुर	बालेंगा	19
8	बड़ेराजपुर	बांसकोट	8
9	बड़ेराजपुर	बीरापारा	1
10	बड़ेराजपुर	छिन्दली	3
11	बड़ेराजपुर	छोटेमालगांव	1
12	बड़ेराजपुर	छोटेराजपुर	6
13	बड़ेराजपुर	धामनपुरी	3
14	बड़ेराजपुर	डोण्डरा	3
15	बड़ेराजपुर	फरसाडीह	1
16	बड़ेराजपुर	गम्हरी	51
17	बड़ेराजपुर	मानिकपुर	10
18	बड़ेराजपुर	कोरगांव	30
19	बड़ेराजपुर	हल्दा	2
20	बड़ेराजपुर	हात्मा	9
21	बड़ेराजपुर	होनावण्डी	7
22	बड़ेराजपुर	जोड़ेकेश	6
23	बड़ेराजपुर	कलगांव	14
24	बड़ेराजपुर	खजरावण्ड	1
25	बड़ेराजपुर	खल्लारी	4
26	बड़ेराजपुर	खरगांव	5
27	बड़ेराजपुर	कोरहोबेड़ा	9

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम	लाभन्वित कृषकों की संख्या
28	बड़ेराजपुर	कुल्दाडीह	2
29	बड़ेराजपुर	किबड़ा	1
30	बड़ेराजपुर	कोंगेरा	16
31	बड़ेराजपुर	कौन्दकेरा	3
32	बड़ेराजपुर	कोपनकोनाड़ी	1
33	बड़ेराजपुर	कोपरा	1
34	बड़ेराजपुर	कोरहोबेड़ा	4
35	बड़ेराजपुर	लिहागांव	5
36	बड़ेराजपुर	माड़ोकीखरगांव	1
37	बड़ेराजपुर	मांझी पारा	1
38	बड़ेराजपुर	मारंगपुरी	1
39	बड़ेराजपुर	नौकाबेड़ा	1
40	बड़ेराजपुर	पलना	10
41	बड़ेराजपुर	पाण्डेपारा	2
42	बड़ेराजपुर	पारोण्ड	2
43	बड़ेराजपुर	पिटिसपाल	8
44	बड़ेराजपुर	पेन्द्रावन	2
45	बड़ेराजपुर	पिटेचुआ	2
46	बड़ेराजपुर	सलना	18
47	बड़ेराजपुर	सोनपुर	17
48	बड़ेराजपुर	टेंवसा	18
49	बड़ेराजपुर	तितरवंड	6
50	बड़ेराजपुर	तराईबेड़ा	9
51	बड़ेराजपुर	विश्रामपुरी	11
52	फरसगांव	अलीबेड़ा	2
53	फरसगांव	आलोर	40
54	फरसगांव	बड़गांव	3
55	फरसगांव	बड़ेडोंगर	7
56	फरसगांव	बड़गई	14
57	फरसगांव	बानगांव	6
58	फरसगांव	बंगोली	2
59	फरसगांव	बंजोड़ा	7
60	फरसगांव	बारदा	9

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम	लाभन्वित कृषकों की संख्या
61	फरसगांव	बैलगांव	3
62	फरसगांव	भण्डारसिवनी	11
63	फरसगांव	भण्डारवण्डी	5
64	फरसगांव	भिमाभाटा	2
65	फरसगांव	भैसाबोध	2
66	फरसगांव	बोरगांव	1
67	फरसगांव	भुमका	4
68	फरसगांव	बोथा	3
69	फरसगांव	चरकई	12
70	फरसगांव	चुरेगांव	3
71	फरसगांव	चांदाबेड़ा	2
72	फरसगांव	चांदागांव	9
73	फरसगांव	चनियागांव	3
74	फरसगांव	चिंगनार	1
75	फरसगांव	चियानार	4
76	फरसगांव	छिन्दली	2
77	फरसगांव	देवगांव	10
78	फरसगांव	डोंगनार	1
79	फरसगांव	फरसगांव	1
80	फरसगांव	फुण्डेर	24
81	फरसगांव	फुपगांव	2
82	फरसगांव	गुमड़ी	5
83	फरसगांव	गटटीपलना	1
84	फरसगांव	हिरी	2
85	फरसगांव	जैतपुरी	5
86	फरसगांव	जामगांव	6
87	फरसगांव	जुगानीकलार	8
88	फरसगांव	कन्हारगांव	16
89	फरसगांव	कारागांव	3
90	फरसगांव	कोकोड़ाजुगानार	3
91	फरसगांव	कोनगुड़	25
92	फरसगांव	कोरबड़गांव	1
93	फरसगांव	कोसागांव	9

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम	लाभान्वित कृषकों की संख्या
94	फरसगांव	कुलहाड़गांव	1
95	फरसगांव	कुम्हारगांव	1
96	फरसगांव	लंजोड़ा	6
97	फरसगांव	मण्डागांव	2
98	फरसगांव	मांझीआठगांव	28
99	फरसगांव	मोदे	3
100	फरसगांव	मोदेबेड़मा	8
101	फरसगांव	मोदेगांव	3
102	फरसगांव	मोडेगा	2
103	फरसगांव	मोहलई	3
104	फरसगांव	मोहपाल	3
105	फरसगांव	परौदा	6
106	फरसगांव	मोहपाल	1
107	फरसगांव	नालाझर	1
108	फरसगांव	पासंगी	5
109	फरसगांव	पलना(चिंगनार)	6
110	फरसगांव	पाण्डेआठगांव	1
111	फरसगांव	पाटला	5
112	फरसगांव	पतोड़ा	5
113	फरसगांव	पावड़ा	9
114	फरसगांव	शंकरपुर	1
115	फरसगांव	सिरपुर	2
116	फरसगांव	सोड़ापारा	1
117	फरसगांव	तुर्की	9
118	फरसगांव	सिरसीकलार	1
119	फरसगांव	उरान्दाबेड़ा	1
120	केशकाल	आदनबेड़ा	1
121	केशकाल	अड़ेगा	4
122	केशकाल	आंवरी	1
123	केशकाल	अरण्डी	7
124	केशकाल	आंवराभाटा	8
125	केशकाल	ओकरीवाही	1
126	केशकाल	उपरबेदी	3

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम	लाभन्वित कृषकों की संख्या
127	केशकाल	बड़ेखौली	1
128	केशकाल	बड़ेठेमली	9
129	केशकाल	छोटेठेमली	1
130	केशकाल	बहीगांव	3
131	केशकाल	बनियागांव	1
132	केशकाल	बटराली	2
133	केशकाल	ब्यालपुर	1
134	केशकाल	बिंझे	14
135	केशकाल	बेड़मामारी	2
136	केशकाल	भण्डारपाल	1
137	केशकाल	भाटगांव	1
138	केशकाल	बोरगांव	1
139	केशकाल	चारभाटा	1
140	केशकाल	चेरबेड़ा	2
141	केशकाल	चिखलाडीह	1
142	केशकाल	चिपरेल	3
143	केशकाल	छिंदली	1
144	केशकाल	चुरेगांव	2
145	केशकाल	दादरगढ़	1
146	केशकाल	देवतरा	2
147	केशकाल	धनोरा	3
148	केशकाल	डुण्डाबेड़मा	3
149	केशकाल	ईरागांव	16
150	केशकाल	गारावण्डी	4
151	केशकाल	गारका	2
152	केशकाल	गौरगांव	1
153	केशकाल	हरापाड़व	1
154	केशकाल	हरवेल	3
155	केशकाल	हौनहेड़	1
156	केशकाल	कानागांव	2
157	केशकाल	करमरी	1
158	केशकाल	खालेमुरवेन्द	5
159	केशकाल	खालेबेदी	2

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम	लाभन्वित कृषकों की संख्या
160	केशकाल	कोहकामेटा	2
161	केशकाल	कोरकोटी	1
162	केशकाल	कोदोभाट	3
163	केशकाल	कररामेटा	1
164	केशकाल	कुकाडदाह	1
165	केशकाल	कालेपाल	2
166	केशकाल	महूरबेड़ा	3
167	केशकाल	मांझीचेरा	1
168	केशकाल	मांझापारा	1
169	केशकाल	मस्सुकोकोड़ा	3
170	केशकाल	मुरनार	3
171	केशकाल	मुगबाड़ी	1
172	केशकाल	नछनडिही	2
173	केशकाल	नालाझर	1
174	केशकाल	जरण्डी	1
175	केशकाल	साल्हेभाट	1
176	केशकाल	सरगीपाल	1
177	केशकाल	तितना	1
178	केशकाल	निराछिंदली	1
179	केशकाल	पिपरा	6
180	केशकाल	पलोरा	1
181	केशकाल	पुसापारा	1
182	केशकाल	रांधा	2
183	केशकाल	सवाला	6
184	केशकाल	सिदावंड	17
185	केशकाल	सिघनपुर	9
186	केशकाल	सिकागांव	2
187	केशकाल	तोड़ासी	3
188	केशकाल	तराईबेड़ा	6
189	केशकाल	तुतारी	2
कुल			992

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 122) के भाग (क) की जानकारी]

01 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के जिलेवार दर्ज प्रकरणों की संख्या तथा अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन मालिकों व वाहनों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

(राशि रूपये में)

अवैध उत्खनन			
क्र.	जिला	दर्ज प्रकरणों की संख्या	कार्यवाही की जानकारी/वसूल की गई समझौता राशि
1	2	3	4
1	रायपुर	04	303000
2	बलौदाबाजार	-	-
3	गरियाबंद	06	388000
4	धमतरी	08	689250
5	महासमुंद	04	60000
6	राजनांदगांव	01	25000
7	कबीरधाम	01	30664
8	दुर्ग	01	33329
9	बेमेतरा	-	-
10	बालोद	01	24000
11	बस्तर	01	30108
12	नारायणपुर	-	-
13	कांकेर	03	150000
14	कोण्डागांव	01	30000
15	दंतेवाड़ा	-	-
16	सुकमा	-	-
17	बीजापुर	01	6000
18	बिलासपुर	04	331160
19	मुंगेली	01	25600
20	कोरबा	02	225376
21	जांजगीर-चांपा	07	460300
22	रायगढ़	-	-
23	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	-	-
24	जशपुर	-	-
25	सरगुजा	01	39000

अवैध उत्खनन			
क.	जिला	दर्ज प्रकरणों की संख्या	कार्यवाही की जानकारी/वसूल की गई समझौता राशि
1	2	3	4
26	बलरामपुर	-	-
27	सूरजपुर	-	-
28	कोरिया	-	-

अवैध परिवहन			
क.	जिला	दर्ज प्रकरणों की संख्या	कार्यवाही की जानकारी/वसूल की गई समझौता राशि
1	2	3	4
1	रायपुर	154	3734000
2	बलौदाबाजार	129	1687500
3	गरियाबंद	96	1407500
4	धमतरी	165	2983135
5	महासमुंद	92	2608600
6	राजनांदगांव	93	1287400
7	कबीरधाम	18	406800
8	दुर्ग	75	951000
9	बेमेतरा	30	251500
10	बालोद	78	619164
11	बस्तर	78	533070
12	नारायणपुर	12	67750
13	कांकेर	40	379100
14	कोण्डागांव	46	225000
15	दत्तेवाड़ा	21	162392
16	सुकमा	11	61600
17	बीजापुर	28	151600
18	बिलासपुर	220	1918032
19	मुंगेली	22	186800
20	कोरबा	155	1087047
21	जांजगीर-चांपा	306	2179840
22	रायगढ़	150	910320
23	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	17	96934

अवैध परिवहन			
क.	जिला	दर्ज प्रकरणों की संख्या	कार्यवाही की जानकारी/वसूल की गई समझौता राशि
1	2	3	4
24	जशपुर	40	230800
25	सरगुजा	75	532958
26	बलरामपुर	06	44000
27	सूरजपुर	91	1082658
28	कोरिया	72	503650

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 137) के भाग (क) की जानकारी]

धमतरी विधानसभा क्षेत्र की वन प्रबंधन समितियों में वर्तमान में समितिवार जमा राशि

क्र.	समिति का नाम	राशि (रु. लाख)
1	2	3
1	चिखली	0.04
2	माटेगाहन	0.02
3	तिर्रा	0.09
4	अक्लाडोंगरी	0.20
5	कोलियारी	0.08
6	आडेकोन्हा	0.23
7	कोडेगांव 'रै'	0.62
8	सटियारा	2.10
9	पंडरीपानी	0.00
10	मालगांव	0.00
11	कोसमी	0.48
12	बारगरी	0.00
13	कोडेगांव बी	0.38
14	मोगरागहन	0.00
15	भिड़ावर	0.00
16	पहरियाकोन्हा	6.48
17	अरौद डूबान	0.02
18	पटौद	0.06
19	हरफर	0.01
20	बरबाधा	0.02
21	सिलतरा	0.04
22	कलारबाहरा	3.20
23	उरपुटी	0.38
24	तुमराबहार	3.87
25	विश्रामपुर, तुमाखुर्द	1.23
26	मड़वापथरा	0.00
27	तुमाबुजुर्ग	0.00

क्र.	समिति का नाम	राशि (रु. लाख)
28	कसावाही	0.26
29	बोरिदखुर्द	6.11
30	खिडकीटोला	14.96
31	सोरम	0.00
32	बेलतरा	0.63
33	डांगीमाचा	0.00
34	गंगरेल	2.22
35	मरादेव	3.22
36	नवागांव	1.91
37	रुद्री	0.00
38	बरारी	1.26
39	शकरवारा	0.40
40	मथुराडीह	0.17
41	जबरगांव	0.09
42	अरौद	0.02
43	लीलर	0.11
	योग :-	50.91

परिशिष्ट "अट्टाईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 168) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव जिले में वर्ष 2018 से दिनांक 07-08-2020 तक निम्नदाब के विद्युत कनेक्शन के फर्म का नाम एवं विद्युत खपत की मात्रा (यूनिट में) का वर्षवार, माहवार विवरण

क्र.सं.	ग्राहक का नाम व पता	कनेक्शन प्रदाय की तिथि	वर्ष 2018 में माहवार विद्युत खपत (यूनिट में)												योग		
			जनवरी 2018	फरवरी 2018	मार्च 2018	अप्रैल 2018	मई 2018	जून 2018	जुलाई 2018	अगस्त 2018	सितम्बर 2018	अक्टूबर 2018	नवंबर 2018	दिसंबर 2018			
1	कमल मिनी राईस मिल, वदना टांक, ग्राम-पनेका	20.03.2020															
2	कौमल जैन, ग्राम-खैरझिठी	23.10.2019															
3	महावीर मिल, ग्राम-रीवागहन	10.06.2019															
4	भिलेश्वरी साहू, ग्राम-डोडिया	18.12.2018															
5	पूनम इंडस्ट्रीज, प्रोप. सुदामा मखीजा, ग्राम-खपरीकला	02.03.2019															
6	सुनीता सिन्हा, ग्राम-सिंगारपुर	23.01.2020															
7	रिंदी इंडस्ट्री, प्रोप. खूबचंद जैन, ग्राम-टेकपार	23.10.2019															
8	श्रीमती शाहिस्ता खान, ग्राम-चिदूदी	20.01.2020															
9	यशोधरा राईस मिल, ग्राम-कल्याणपुर	24.02.2018		0	0	0	2220	2790	1470	570	1380	1410	1680	3000	14520		
10	पुष्पा, ग्राम-सिंगारपुर	14.11.2018															
11	रामकृष्ण साहू मिनी राईस मिल, लालबहादुर नगर	21.10.2019															
12	भेसर्स राधा इंडस्ट्रीज, प्रोप. रमेश कुमार खाना, ग्राम-दिवानभेडी	12.01.2018	11964	20196	8080	1200	0	2720	2520	280	0	0	9000	37880	93840		
13	दश कुमार, ग्राम-विजेभाजा	05.01.2019															
	योग		11964	20196	8080	1200	2220	5510	3990	850	1380	1410	10680	40880	108360		
			वर्ष 2019 में माहवार विद्युत खपत														
क्र.सं.	ग्राहक का नाम व पता	कनेक्शन प्रदाय की तिथि	जनवरी 2019	फरवरी 2019	मार्च 2019	अप्रैल 2019	मई 2019	जून 2019	जुलाई 2019	अगस्त 2019	सितम्बर 2019	अक्टूबर 2019	नवंबर 2019	दिसंबर 2019	योग		
1	कमल मिनी राईस मिल, वदना टांक, ग्राम-पनेका	20.03.2020															
2	कौमल जैन, ग्राम-खैरझिठी	23.10.2019												214	214		
3	महावीर मिल, ग्राम-रीवागहन	10.06.2019							12570	3848	6576	13985	11237	8438	56654		
4	भिलेश्वरी साहू, ग्राम-डोडिया	18.12.2018	500	1603	964	0	898	259	728	535	369	209	746	1102	7913		
5	पूनम इंडस्ट्रीज, प्रोप. सुदामा मखीजा, ग्राम-खपरीकला	02.03.2019			5500	13000	14500	6000	8000	9000	3000	5500	9500	14500	88500		
6	सुनीता सिन्हा, ग्राम-सिंगारपुर	23.01.2020															
7	रिंदी इंडस्ट्री, प्रोप. खूबचंद जैन, ग्राम-टेकपार	23.10.2019											800	1780	2080		
8	श्रीमती शाहिस्ता खान, ग्राम-चिदूदी	20.01.2020															
9	यशोधरा राईस मिल, ग्राम-कल्याणपुर	24.02.2018	1260	1320	1200	2190	1260	1740	3000	840	900	1440	420	2460	18030		
10	पुष्पा, ग्राम-सिंगारपुर	14.11.2018	17120	6480	12560	2280	840	3520	5920	40	200	320	200	10320	59800		
11	रामकृष्ण साहू मिनी राईस मिल, लालबहादुर नगर	21.10.2019															
12	भेसर्स राधा इंडस्ट्रीज, प्रोप. रमेश कुमार खाना, ग्राम-दिवानभेडी	12.01.2018	22040	30064	21348	7956	5564	6508	7296	2976	2660	3656	2392	21980	134440		
13	दश कुमार, ग्राम-विजेभाजा	05.01.2019	5657	2220	3220	4024	2126	2214	2476	1846	1456	2750	1218	2130	31337		
	योग		46577	41687	44792	29450	25188	20241	39990	19085	15161	27860	26513	62424	398968		

क्र.	उपभोक्ता का नाम व पता	कनेक्शन प्रदाय की तिथि	वर्ष 2020 में माहवार विद्युत खपत							योग
			जनवरी 2020	फरवरी 2020	मार्च 2020	अप्रैल 2020	मई 2020	जून 2020	जुलाई 2020	
1	कमल मिनी राईस मिल, वंदना ग्राम-भमेका	20.03.2020				322	434	603	332	1691
2	कोगल जैन, ग्राम-खैरझिटी	23.10.2019	23700	17221	4356	9457	20394	4143	220	79491
3	मधुवीर मिल, ग्राम-रीवागहन	10.06.2019	10248	16500	13263	15948	18927	10827	11313	97026
4	मिनादरी साहू, ग्राम-डोडिया	18.12.2018	779	609	499	1209	399	864	854	5213
5	पूनम इंडस्ट्रीज, प्रोप. सुदामा मखीजा, ग्राम-खपरीकला	02.03.2019	15000	20500	12500	3000	14000	7000	12000	84000
6	सुनीता सिन्हा, ग्राम-सिंगारपुर	23.01.2020		0	4140	5262	11098	746	474	21720
7	रिद्धी इंडस्ट्री, प्रोप. खुबचंद जैन, ग्राम टेकापार	23.10.2019	17280	13300	0	8951	7541	1839		48911
8	सती सागरता राम , ग्राम-चिदो	20.01.2020	0	342	8080	14200	9120	1400	1520	34662
9	यशोधरा राईस मिल ग्राम-कल्याणपुर	24.02.2018	1980	1740	2730	1350	1740	3030	1470	14040
10	पुष्पा / दुर्गाप्रसाद अग्रवाल ग्राम-कल्याणपुर	14.11.2018	12600	4840	2560	6440	5800	600	160	33000
11	रामकुमार साहू मिनी राईस मिल, लालबहादुर नगर	21.10.2019	6560	2200	0	4280	2880	3600	2245	21765
12	मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज, प्रोप. रमेश कुमार डागा, ग्राम दिवानभेड़ी	12.01.2018	49424	18072	0	13956	19628	10396		111476
13	विजय कुमार, ग्राम-विजेभाला	05.01.2019	2454	1936	3064	1602	1816	2672		13544
	योग		140025	97260	51192	85977	113777	47720	30588	566539

टीप :- सरल क्रमांक 7, 12 एवं 13 के उपभोक्ताओं का माह जुलाई 2020 का बिलिंग लंबित होने के कारण खपत दर्ज नहीं की गयी है।

प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव जिले में वर्ष 2018 से दिनांक 07-08-2020 तक उच्चदाब के विद्युत कनेक्शन के फर्म का नाम एवं विद्युत खपत की मात्रा (यूनिट में) का वर्षवार, माहवार विवरण

क्र.	फर्म का नाम / प्रो. का नाम व पता	कनेक्शन प्रदाय की तिथि	वर्ष 2018 में माहवार विद्युत खपत (यूनिट में)												योग	
			जनवरी 2018	फरवरी 2018	मार्च 2018	अप्रैल 2018	मई 2018	जून 2018	जुलाई 2018	अगस्त 2018	सितम्बर 2018	अक्टूबर 2018	नवंबर 2018	दिसंबर 2018		
1	मसर्स जे.एन.राईस मिल, प्रो. श्री फारुख मेमन, ग्राम-गण्डई	30-03-2018			0	0	0	0	0	0	0	4668	5253	15271	67391	92583
2	मसर्स उदय राईस प्रोसेस, प्रो. श्री विजय खण्डेलवाल, ग्राम-जोरातसाई	15-11-2019														
3	मसर्स सुरेश राईस मिल, प्रो. श्री सुरेश अग्रवाल, ग्राम-जोरातसाई	26-11-2019														
4	मो. गुरुदेव राईस इण्डस्ट्रीज, प्रो. श्री रमेश जैन, ग्राम-महराजपुर	22-07-2020														
	योग		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4668	5253	15271	67391	92583

क्र.	फर्म का नाम / प्रो. का नाम व पता	कनेक्शन प्रदाय की तिथि	वर्ष 2019 में माहवार विद्युत खपत												योग
			जनवरी 2019	फरवरी 2019	मार्च 2019	अप्रैल 2019	मई 2019	जून 2019	जुलाई 2019	अगस्त 2019	सितम्बर 2019	अक्टूबर 2019	नवंबर 2019	दिसंबर 2019	
1	मसर्स जे.एन.राईस मिल, प्रो. श्री फारुख मेमन, ग्राम-गण्डई	3/30/2018	76649	70716	78261	83146	56123	52583	35618	5436	5311	2136	5241	41263	512483
2	मसर्स उदय राईस प्रोसेस, प्रो. श्री विजय खण्डेलवाल, ग्राम-जोरातसाई	15-11-2019											1984	29373	31357
3	मसर्स सुरेश राईस मिल, प्रो. श्री सुरेश अग्रवाल, ग्राम-जोरातसाई	26-11-2019											7539	62049	69588
4	मो. गुरुदेव राईस इण्डस्ट्रीज, प्रो. श्री रमेश जैन, ग्राम-महराजपुर	22-07-2020													
	योग		76649	70716	78261	83146	56123	52583	35618	5436	5311	2136	14764	132685	613428

क्र.	फर्म का नाम / प्रो. का नाम व पता	कनेक्शन प्रदाय की तिथि	वर्ष 2020 में माहवार विद्युत खपत (यूनिट में)							योग
			जनवरी 2020	फरवरी 2020	मार्च 2020	अप्रैल 2020	मई 2020	जून 2020	जुलाई 2020	
1	मसर्स जे.एन.राईस मिल, प्रो. श्री फारुख मेमन, ग्राम-गण्डई	3/30/2018	93693	64986	96309	102791	100383	106473	103589	668224
2	मसर्स उदय राईस प्रोसेस, प्रो. श्री विजय खण्डेलवाल, ग्राम-जोरातसाई	15-11-2019	76533	68740	44221	42741	108947	86306	36316	463894
3	मसर्स सुरेश राईस मिल, प्रो. श्री सुरेश अग्रवाल, ग्राम-जोरातसाई	26-11-2019	131223	50316	30360	38484	60987	45048	17043	373461
4	मो. गुरुदेव राईस इण्डस्ट्रीज, प्रो. श्री रमेश जैन, ग्राम-महराजपुर	22-07-2020						125	125	
	योग		301449	184042	170890	184016	270317	237327	157073	1505614

परिशिष्ट "उन्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 179) के भाग (ख) की जानकारी]

अविभाजित बिलासपुर जिले में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में विधानसभा क्षेत्रवार खनित नलकूपों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वर्ष	नलकूप खनन का लक्ष्य	कुल खनित नलकूप
1	बिलासपुर	2019-20	316	02
2	बिल्हा			73
3	तखतपुर			57
4	मस्तुरी			20
5	बेलतरा			15
6	कोटा			40
7	मरवाही			52
योग			316	259
1	बिलासपुर	2020-21	165	02
2	बिल्हा			18
3	तखतपुर			19
4	मस्तुरी			35
5	बेलतरा			10
6	कोटा			11
7	मरवाही			06
योग			165	101
महायोग			481	360

परिशिष्ट "तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 180) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में निविदा आमंत्रण का विवरण

क्र.	बिदा का नाम	बनमंडल का नाम	प्रकाशित समाचार पत्र का नाम	दिनांक	निविदा फार्म विक्री की प्रारंभिक तिथि	निविदा समा करने की अंतिम तिथि
1	रायपुर	धमतरी	01. दैनिक भास्कर रायपुर 02. नव प्रदेश रायपुर 03. प्रखर समाचार धमतरी	23.09.2019	23.09.2019	21.10.2019
2	रायपुर	धमतरी	01. दैनिक भास्कर विलासपुर 02. हरिभूमि रायपुर 03. प्रखर समाचार धमतरी	24.10.2019	प्रथम निविदा फार्म विक्री दिनांक 22.10.2019 द्वितीय निविदा फार्म विक्री दिनांक 15.11.2019 तृतीय निविदा फार्म विक्री दिनांक 25.11.2019	13.11.2019 22.11.2019 29.11.2019
3	रायपुर	धमतरी	01. नवप्रदेश रायपुर 02. नवभारत रायपुर 03. प्रखर समाचार धमतरी	24.10.2019	24.10.2019	30.11.2019
4	रायपुर	धमतरी	01. नवप्रदेश रायपुर 02. नवभारत रायपुर 03. प्रखर समाचार धमतरी	24.10.2019	प्रथम निविदा फार्म विक्री दिनांक 18.11.2019 द्वितीय निविदा फार्म विक्री दिनांक 11.12.2019	06.12.2019 19.12.2019
5	रायपुर	धमतरी	01. दैनिक भास्कर रायपुर 02. नवभारत रायपुर	31.12.2019	02.01.2020	21.01.2020
6	जगदलपुर	बंस्तर धनमण्डल जगदलपुर	अभूत संदेश हाईवे चैनल गड दुनिया	24.10.2019	14.11.2019 (प्रथम) द्वितीय निविदा दिनांक 22.11.2019 को द्वितीय निविदा में किसी भी निविदाकार के द्वारा फार्म का क्रय नहीं किया गया। 25.11.2019 (तृतीय)	19.11.2019 22.11.2019 26.11.2019
7	जगदलपुर	बोजापुर	नरकम छत्तीसगढ़ एवं हरिभूमि	दिनांक 26.10.2019 एवं 27.10.2019	प्रथम निविदा 01.11.2019, द्वितीय निविदा 08.11.2019 एवं तृतीय निविदा 18.11.2019	प्रथम निविदा 08.11.2019, द्वितीय निविदा 15.11.2019 एवं तृतीय निविदा 23.11.2019
8	विलासपुर (अन्य प्राणों)	उपनिदेशक अखिल भारतीय रिजर्व लाइसेंस	दैनिक भास्कर विलासपुर गड दुनिया विलासपुर	16.10.2019 17.10.2019	16.10.2019 16.10.2019	23.11.2019 समय दो.12 बजे तक

क्र.सं.	पत्र का नाम	प्रकाशित समाचार पत्र का नाम	प्रकाशित दिनांक	सूचना फार्म दिवसी की प्रारंभिक तिथि	विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि	
9	उपनिदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	हरिभूमि बिलासपुर	24.10.2019	24.10.2019	14.11.2019 समय दो. 12 बजे तक	
		पत्रिका रायपुर	17.10.2019	---		
10	उपनिदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	अमर उजाला दिल्ली	25.11.2019	24.11.2019	23.12.2019 समय दो. 2:00 बजे तक	
		सेन्ट्रल कोरोनिकल रायपुर	24.11.2019	24.11.2019		
		नई दुनिया रायपुर	24.11.2019	24.11.2019		
		पत्रिका विलासपुर, मुंगेली	24.11.2019	24.11.2019		
11	उपनिदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	सेन्ट्रल कोरोनिकल रायपुर	24.11.2019	24.11.2019	23.12.2019 समय दो. 2:00 बजे तक	
		नई दुनिया रायपुर	24.11.2019	24.11.2019		
		पत्रिका विलासपुर, मुंगेली	24.11.2019	24.11.2019		
12	उपनिदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	देश बन्धु बिलासपुर	28.11.2019	27.11.2019	27.12.2019-समय दो. 2:00 बजे तक	
		हरिभूमि बिलासपुर	27.11.2019	27.11.2019		
		मैल टूडे दिल्ली	28.11.2019	27.11.2019		
		नवभारत बिलासपुर रायपुर	27.11.2019	27.11.2019		
13	उपनिदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	देश बन्धु बिलासपुर	28.11.2019	27.11.2019	27.12.2019 समय दो. 2:00 बजे तक	
		हरिभूमि बिलासपुर	27.11.2019	27.11.2019		
		मैल टूडे दिल्ली	28.11.2019	27.11.2019		
		नवभारत बिलासपुर रायपुर	27.11.2019	27.11.2019		
14	उपनिदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	देश बन्धु बिलासपुर	28.11.2019	27.11.2019	27.12.2019 समय दो. 2:00 बजे तक	
		हरिभूमि बिलासपुर	27.11.2019	27.11.2019		
		मैल टूडे दिल्ली	28.11.2019	27.11.2019		
		नवभारत बिलासपुर रायपुर	27.11.2019	27.11.2019		
15	जगदलपुर (वन्यप्राणी)	इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर	नवभारत, दैनिक भास्कर एवं हरिभूमि	14/11/2019	14.11.2019 कार्यालयीन समय में	20.11.2019 समय 03.00 बजे दोपहर तक
16	जगदलपुर (वन्यप्राणी)	इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर	दैनिक भास्कर, चैनल इंडिया एवं आज की जनधारा	06.02.2020 एवं	06.02.2020 कार्यालयीन समय में	14.02.2020 समय 2.00 बजे दोपहर तक

सं. का नाम	वनमंडल का नाम	प्रकाशित समाचार पत्र का नाम	प्रकाशित दिनांक	निविदा फार्म बिक्री की प्रारंभिक तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 212	
रायपुर (वन्यप्राणी)	उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	(1) लोकमान्य रायपुर	(1) 24-05-2019	(1) 03-06-2019	(1) 14-06-2019	
		(2) नई दुनिया रायपुर	(2) 28-05-2019			
		(3) पायनियर हिन्दी रायपुर	(3) 28-05-2019			
रायपुर (वन्यप्राणी)	उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	(1) छत्तीसगढ़ रायपुर	(1) 11-10-2019	(2) 06/11/2019 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में)	(2) 13/11/2019 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में)	
		(2) हरिभूमि रायपुर	(2) 11-10-2019			
		(3) पायनियर हिन्दी रायपुर	(3) 12-10-2019			
रायपुर (वन्यप्राणी)	उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	(1) हरिभूमि रायपुर	(1) 07-11-2019	(3) 13/11/2019 (सेत का निविदा निरस्त की स्थिति में)	(3) 21/11/2019 (सेत का निविदा निरस्त की स्थिति में)	
		(2) नई दुनिया	(2) 07-11-2019			
		(3) नवभारत नागपुर	(3) 08-11-2019			
18	रायपुर (वन्यप्राणी)	उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	अल्मुकंडास उर्दु रायपुर	31/10/2019	01/11/2019	22/11/2019
			हरिभूमि रायपुर	31/10/2019		
			लोकमत नागपुर	01/11/2019		
			नवभारत विलासपुर	31/10/2019		
19	रायपुर (वन्यप्राणी)	उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	हरिभूमि रायपुर	17/11/2019	(1) 20/11/2019 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में) (2) 23/12/2019	(1) 23/12/2019 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में) (2) 28/12/2019
			मिड-डे मुम्बई	17/11/2019		
			पंजाब केशरी दिल्ली	17/11/2019		
			द हितवाड़ा रायपुर	17/11/2019		
20	रायपुर (वन्यप्राणी)	उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	आज-बनारस	17/11/2019	(1) 20/11/2019 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में) (2) 23/12/2019	(1) 23/12/2019 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में) (2) 28/12/2019
			सेटल क्रोनिकल रायपुर	17/11/2019		
			दैनिक भास्कर रायपुर	17/11/2019		
			द हंस इण्डिया हैदराबाद	19/11/2019		
21	रायपुर (वन्यप्राणी)	उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	हरिभूमि रायपुर	16/11/2019	(1) 20/11/2019 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में) (2) 23/12/2019	(1) 23/12/2019 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में) (2) 28/12/2019
			नवभारत नागपुर	19/11/2019		
			विजन वॉच रायपुर	18/11/2019		
22	रायपुर (वन्यप्राणी)	उपनिदेशक, उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	दैनिक भास्कर रायपुर	17/11/2019	(1) 20/11/2019 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में) (2) 23/12/2019	(1) 23/12/2019 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में) (2) 28/12/2019
			डेक्कन क्रोनिकल हैदराबाद	17/11/2019		
			इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली	18/11/2019		
			पत्रिका विलासपुर	16/11/2019		

फार्म विवरण

213

इस्र का नाम	वनमंडल का नाम	प्रकाशित समाचार पत्र का नाम	प्रकाशित दिनांक	निविदा फार्म ब्रिबरी की प्रारंभिक तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि
रायपुर (वन्यप्राणी)	उपनिदेशक, उदती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	छ.ग.वॉच रायपुर	20/11/2019	20/11/2019	23/12/2019
		हरिभूमि रायपुर	19/11/2019		
		इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली	20/11/2019		
रायपुर (वन्यप्राणी)	उपनिदेशक, उदती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली	19/12/2019	20/12/2019	13/01/2020
		नई दुनिया रायपुर	18/12/2019		
		नवभारत रायपुर	18/12/2019		

वित्त वर्ष 2020-2021 में दिनांक 04-08-2020 तक निविदा आमंत्रण का विवरण

क्र.	प्लॉट का नाम	बनमंडल का नाम	प्रकाशित समाचार पत्र का नाम	प्रकाशित दिनांक	निविदा फार्म बिक्री की प्रारंभिक तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि
1	2	3	8	9	10	11
1	रायपुर	धमतरी	01.छत्तीसगढ़ वॉच रायपुर 02.हाईवे चैनल जगदलपुर 03. लोकमाया रायपुर 04. नई दुनिया रायपुर 05. प्रखर समाचार रायपुर	24.04.2020	25.04.2020	14.05.2020
2	जगदलपुर	बस्तर	आज की जनधारा	08.07.2020	24.07.2020	28.07.2020
			चैनल इंडिया		द्वितीय निविदा दिनांक 05.08.2020 को द्वितीय निविदा में किसी भी निविदाकार के द्वारा फार्म का क्रय नहीं किया गया।	05.08.2020
			नवभारत		तृतीय निविदा 17/8/2020	18/08/2020
3	जगदलपुर	बीजापुर	—	—	—	—
4	बिलासपुर (बन्धुप्राणी)	उपनिदेशक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी	दैनिक भास्कर बिलासपुर	28.04.2020	28.04.2020	20.05.2020 समय दो. 2:00 बजे तक
			देशबंधु बिलासपुर	28.04.2020	28.04.2020	
			लोकस्वर बिलासपुर	28.04.2020	28.04.2020	

215

क्र	वृत्त का नाम	बनमंडल का नाम	प्रकाशित समाचार पत्र का नाम	प्रकाशित दिनांक	निविदा फार्म त्रिजरी की प्रारंभिक तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि
5	रायपुर (बन्धप्राणी)	उपनिदेशक, उदती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	लोकमाया रायपुर	13/05/2020	(1) 15/05/2020 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में) (2) 06/06/2020	(1) 06/06/2020 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में) (2) 15/06/2020
			नवभारत रायपुर	14/05/2020		
6	रायपुर (बन्धप्राणी)	उपनिदेशक, उदती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	नवभारत रायपुर	06/05/2020	08/05/2020	08/06/2020
			पत्रिका रायपुर	06/05/2020		
			समवेत शिखर रायपुर	06/05/2020		
7	रायपुर (बन्धप्राणी)	उपनिदेशक, उदती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद	नव प्रदेश रायपुर	07/05/2020	(1) 08/05/2020 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में) (2) 29/05/2020	(1) 29/05/2020 (प्रथम निविदा निरस्त की स्थिति में) (2) 06/06/2020
			हरिभूमि रायपुर	06/05/2020		
			पत्रिका छत्तीसगढ़	06/05/2020		

परिशिष्ट "इकतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 189) के भाग (क) की जानकारी]

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018 से 31 जुलाई 2020 तक क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किए गए परिवारों की ग्रामवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	मजराटोला का नाम	परिवारों की संख्या
1	नारायणपुर	कोडोली	कोडोलीपारा	28
2	नारायणपुर	इकोड़ी	इकोड़ीपारा	9
3	नारायणपुर	ताड़ोनार	ताड़ोनारपारा	18
4	नारायणपुर	हुरेवाही	हुरेवाहीपारा	2
5	नारायणपुर	पिड़ाहाबेड़ा	पिड़ाहाबेड़ापारा	10
6	नारायणपुर	तोयनार	मकसोलीपारा	10
7	नारायणपुर	तोयमेंटा	तोयमेंटापारा	10
8	नारायणपुर	टेमरुगॉव	गुडरीपाल स्कूलपारा	14
9	नारायणपुर	सिवनी	सिवनीपारा	7
10	नारायणपुर	सरगीपाल	नदीपारा	1
11	नारायणपुर	राजपुर	कड़नारपारा	11
12	नारायणपुर	पानीगॉव	पानीगॉवपारा	2
13	नारायणपुर	कोलियारी	मरहानपारा	9
14	नारायणपुर	गुमियापाल	गुमियापालपारा	20
15	नारायणपुर	दण्डवन	पटेलपारा	4
16	नारायणपुर	छिनारी	छिनारीपारा	5
17	नारायणपुर	बासपाल	बासपालपारा	1
18	नारायणपुर	टिरकानार	टिरकानारपारा	30
19	नारायणपुर	तुरुषमेंटा	तुरुषमेंटापारा	19
20	ओरछा	हिकोनार	हिकोनारपारा	12
21	ओरछा	बडेबेड़कोट	बडेबेड़कोटपारा	7
22	ओरछा	गुमचूर	गुमचूरपारा	6
23	ओरछा	मसपुर	गुडरापारा	40
24	ओरछा	तोके	तोकेपारा	59
25	ओरछा	हच्येकोटी	हच्येकोटीपारा	6
26	ओरछा	पाँगुड	पाँगुडपारा	56
27	ओरछा	कोर्जे	कोर्जेपारा	9
28	ओरछा	गारपा	गारपापारा	59
29	ओरछा	आदनार	आदनारपारा	8
30	ओरछा	रावनादी	रावनादीपारा	2
31	ओरछा	कोडेनार	कोडेनारपारा	17

32	ओरछा	कोमें	कौंगालीपारा	59
33	ओरछा	कस्तुरमेंटा	कस्तुरमेंटापारा	33
34	ओरछा	कुतुल	कुतुलपारा	92
35	ओरछा	कुडमेल	कुडमेलपारा	133
36	ओरछा	ढोढरीबेड़ा	ढोढरीबेड़ापारा	60
37	ओरछा	रेकावाया	रेकावायापारा	150
38	ओरछा	गोगला	गोगलापारा	5
39	ओरछा	कलमानार	कलमानारपारा	9
40	ओरछा	कंदाड़ी	कंदाड़ीपारा	2
41	ओरछा	पालहूर	पालहूरपारा	4
42	ओरछा	कातुलनार	कातुलनारपारा	23
43	ओरछा	कंदाड़ी	होकपाड़पारा	18
44	ओरछा	कलमानार	पोकनार, मेटानार	42
45	ओरछा	गरबेड़ा अलाईस हरीमरका	गरबेड़ा अलाईस हरीमरका	6
46	ओरछा	गुदाड़ी	गुदाड़ीपारा	3
47	ओरछा	डुंगा	डुंगापारा	20
48	ओरछा	हतलानार	हतलानारपारा	7
49	ओरछा	दिवालूर	दिवालूरपारा	16
50	ओरछा	नेलनार	नेलनारपारा	28
51	ओरछा	हादावाँड़ा	हादावाँड़ापारा	34
52	ओरछा	पदमेंटा	पदमेंटापारा	35
53	ओरछा	करंगुल	करंगुलपारा	34
54	ओरछा	जुवाड़ा	जुवाड़ापारा	69
55	ओरछा	रोहताड़	रोहताड़पारा	23
56	ओरछा	कुतुल	बरमेंटापारा	9
57	ओरछा	कुतुल	बटनार	14
58	ओरछा	कुतुल	उसेलीपारा	9
59	ओरछा	मेटानार	मेटानारपारा	25
60	ओरछा	ढोढरीबेड़ा	ढोढरीबेड़ापारा	13
61	ओरछा	कंगाली	कंगालीपारा	23
62	ओरछा	गुनेर	गुनेरपारा	5
63	ओरछा	इरपानार	कंगालीपारा	30
64	ओरछा	हरीमकरा	बड़ेपारा	5
65	ओरछा	बांसिंग	राऊरपारा	1
66	ओरछा	कुंदला	पटेलपारा	4
67	ओरछा	कुमनार	फरसीपारा	5
कुल				1539

217

परिशिष्ट "बत्तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 230) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2018 से दिनांक 31-07-2020 तक की अवधि में स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन, प्रदाय किये गये कनेक्शन एवं लंबित आवेदनों के संख्या की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदन				प्रदाय किये गये कनेक्शन				लंबित आवेदन			
		2018-19	2019-20	2020-21 (31 जुलाई 2020 तक)	योग	2018-19	2019-20	2020-21 (31 जुलाई 2020 तक)	योग	2018-19	2019-20	2020-21 (31 जुलाई 2020 तक)	योग
1	राजनांदगांव	937	583	45	1565	937	583	45	1565	838	206	45	1089
2	खैरागढ़	1108	595	79	1782	1108	595	79	1782	457	429	6	892
3	छुईखदान	680	272	104	1056	680	272	104	1056	184	116	0	300
4	डोंगरगढ़	951	1005	160	2116	951	1005	160	2116	332	628	103	1063
5	छुरिया	752	1323	212	2287	752	1323	212	2287	114	671	114	899
6	डोंगरगांव	457	373	15	845	457	373	15	845	203	246	15	464
7	चौकी	263	332	0	595	263	332	0	595	116	38	0	154
8	मोहला	144	149	0	293	144	149	0	293	31	21	0	52
9	मानपुर	146	144	0	290	146	144	0	290	78	26	0	104
	योग	5438	4776	615	10829	5438	4776	615	10829	2353	2381	283	5017

टीप- आवेदको द्वारा औपचारिकता पूर्ण नहीं करने के कारण 2,115 आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं।

परिशिष्ट "तैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 284) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु निर्धारित शर्तों की जानकारी

01. कार्यालय भवन निर्माण कार्य निविदा अनुसार निर्धारित ड्राईंग, डिजाईन, स्पेसिफिकेशन अनुसार करना।
02. निर्माण कार्य कार्यादेश दिनांक से 06 माह की अवधि में पूर्ण करना।
03. विशेष परिस्थितियों के कारण निर्माण निर्धारित समयावधि में पूर्ण न होने की स्थिति में इकाई द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु समयावृद्धि हेतु पूर्व में सूचना देना आवश्यक होगा जिससे निर्माण हेतु निर्धारित समयावधि की वृद्धि में क्रेडा द्वारा कार्यवाही संभव हो सकेगी।
04. निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं होने पर अपूर्ण कार्य की लागत का 0.5% प्रति सप्ताह पेनाल्टी की कटौती (अधिकतम 10% कटौती) इकाई को देय भुगतान राशि से की जावेगी।
05. फोर्स मेजर (Force Majeure) स्थिति यथा प्राकृतिक आपदा (साईक्लोन, बाढ़, भूकंप, लॉकडाउन, हड़ताल, आगजनी) इत्यादि अप्रत्याशित घटनाओं के कारण कार्य में विलंब होने पर ठेकेदार द्वारा एजेंसी को 10 दिवस की समयसीमा में अवगत कराए जाने पर विलंब के कारण लगने वाली पेनाल्टी पर छूट देकर समयसीमा में वृद्धि की जा सकती है।
06. सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता कार्यादेश में उल्लेखित मापदंड के अनुसार नहीं किए जाने पर कार्यों के सुधार हेतु क्रेडा द्वारा ठेकेदार को नोटिस जारी करने एवं वांछित सुधार नहीं किए जाने पर कार्य निरस्त किए जा सकते हैं।
07. भवन निर्माण पूर्णता तिथि से 02 वर्ष की वारण्टी होगी।
08. वारण्टी अवधि में निर्मित भवन में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर इकाई द्वारा सुधार कार्य कराया जावेगा।
09. निर्माण कार्य की लागत का 10% राशि सुरक्षानिधि के रूप में वारंटी अवधि तक क्रेडा में जमा रहेगी।

प्रपत्र "ब"

निर्माणाधीन भवन के निरीक्षण की तारीख तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम एवं पदनाम की जानकारी

क्रमांक	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय का नाम
1	10.08.2011	श्री अशोक कुमार अग्निहोत्री, कार्यपालन अभियंता एवं श्री गणेश प्रसाद साहू, सहायक अभियंता	क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव
2	10.10.2011	श्री अशोक कुमार अग्निहोत्री, कार्यपालन अभियंता एवं श्री संतोष कुमार ध्रुव, सहायक अभियंता	क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव
3	31.10.2011	श्री अशोक कुमार अग्निहोत्री, कार्यपालन अभियंता एवं श्री संतोष कुमार ध्रुव, सहायक अभियंता	क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव
4	30.12.2011	श्री पवन कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता एवं श्री संतोष कुमार ध्रुव, सहायक अभियंता	क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव
5	23.01.2012	श्री पवन कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता एवं श्री संतोष कुमार ध्रुव, सहायक अभियंता	क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव
6	17.02.2012	श्री पवन कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता एवं श्री संतोष कुमार ध्रुव, सहायक अभियंता	क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव
7	20.03.2012	श्री पवन कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता एवं श्री संतोष कुमार ध्रुव, सहायक अभियंता	क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव

परिशिष्ट "चौतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 332) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र लुण्डा अंतर्गत विगत पांच वर्षों में किए गए रोपित एवं जीवित पौधों का वर्षवार, क्षेत्रवार विवरण

वर्ष	क्षेत्र (हे.में)	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या
1	2	3	4
2015-16	502.53	374410	268726
2016-17	91.00	177600	114484
2017-18	21.50	95650	63990
	2 km		
2018-19	2.63	75682	56100
2019-20	198.00	161800	150165

परिशिष्ट "पैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 370) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

मुंगेली जिला अंतर्गत आवर्ती चराई हेतु चिन्हांकित वन क्षेत्र एवं क्षेत्रफल का विवरण

स.क्र.	स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे.)
1	डिडरिया - कक्ष क्र. आर.एफ. 467	7.50
2	सरगढी - कक्ष क्र. आर.एफ. 483	7.50
3	डोंगरागढ़-कक्ष क्र. पी.एफ. 1518	7.50
4	दुल्लापुर - कक्ष क्र. आर.एफ. 488	7.50
5	विरोडा - कक्ष क्र. आर.एफ. 493	7.50
6	पश्चिम ओरापानी - कक्ष क्र. आर.एफ. 418	7.50
7	पश्चिम सलगी - कक्ष क्र. आर.एफ. 463	7.50
8	दक्षिण विजराकछार - कक्ष क्र. आर.एफ. 477	7.50
9	कंसरी - कक्ष क्र. पी.एफ. 1523	7.50
10	धानाघाट - कक्ष क्र. पी.एफ. 1524	7.50
11	भूतकछार-कक्ष क्र. आर.एफ. 486	7.50
12	चंदूपारा-कक्ष क्र. पी.एफ. 1539	7.50
13	भारतपुर-कक्ष क्र. पी.एफ. 1531	7.50
14	भरसागरा-कक्ष क्र. पी.एफ. 1533	7.50
15	टिगीपुर-कक्ष क्र. पी.एफ. 1539	7.50
योग :-		112.50

प्रपत्र "ब"

मुंगेली जिले में आवर्ती चराई के अंतर्गत कार्य प्रारंभ स्थल, कार्य का नाम एवं लागत राशि का विवरण

स.क्र.	स्थल का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि (रु. लाख में)
1	झिरिया - कक्ष क्र. आर.एफ. 467	पशु अवरोधक खंती कार्य	4.60
		जल अवशोषण खंती कार्य	4.80
2	सरगढी - कक्ष क्र. आर.एफ. 483	पशु अवरोधक खंती कार्य	4.60
		जल अवशोषण खंती कार्य	4.80
3	डोंगरीगढ़-कक्ष क्र. पी.एफ. 1518	पशु अवरोधक खंती कार्य	4.60
		जल अवशोषण खंती कार्य	4.80
4	दुल्लापुर कक्ष क्र. आर.एफ. 488	पशु अवरोधक खंती कार्य	4.60
		जल अवशोषण खंती कार्य	4.80
5	चाचेडी- कक्ष क्र. आर.एफ. 493	पशु अवरोधक खंती कार्य	4.60
		जल अवशोषण खंती कार्य	4.80
6	पश्चिम औरापानी कक्ष क्र. आर.एफ. 418	पशु अवरोधक खंती कार्य	4.60
		जल अवशोषण खंती कार्य	4.80
7	पश्चिम सलगी कक्ष क्र. आर.एफ. 463	पशु अवरोधक खंती कार्य	4.60
		जल अवशोषण खंती कार्य	4.80
8	दक्षिण बिजराकछार कक्ष क्र. आर.एफ. 477	पशु अवरोधक खंती कार्य	4.60
		जल अवशोषण खंती कार्य	4.80
9	कंसरी - कक्ष क्र. पी.एफ. 1523	पशु अवरोधक खंती कार्य	4.60
		जल अवशोषण खंती कार्य	4.80
10	घानाघाट कक्ष क्र. पी.एफ. 1524	पशु अवरोधक खंती कार्य	4.60
		जल अवशोषण खंती कार्य	4.80
योग :-			94.00

परिशिष्ट "छत्तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 386) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

जिला बस्तर में स्थापित नल-जल योजना की स्थिति

क्र.सं.	जिला/खण्ड	नलजल योजना के ग्राम का नाम	योजना की स्थिति		बंद का कारण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
			चालू	बंद व मरम्मत योग्य		
1	2	3	4	5	6	7
1	जगदलपुर	धनियालूर	चालू	-	-	-
2	जगदलपुर	धुरगुडा	चालू	-	-	-
3	जगदलपुर	आसना	चालू	-	-	-
4	जगदलपुर	आड़ावाल	चालू	-	-	-
5	जगदलपुर	नगरनार	चालू	-	-	-
6	जगदलपुर	तित्तिरगांव	चालू	-	-	-
7	जगदलपुर	घाटपटमूर	चालू	-	-	-
8	जगदलपुर	नानगुर	चालू	-	-	-
9	जगदलपुर	धनपुंजी	चालू	-	-	-
10	जगदलपुर	हलनाकचौरा	चालू	-	-	-
11	जगदलपुर	आमागुडा / भंगनपुर	चालू	-	-	-
12	जगदलपुर	खम्हारगांव	चालू	-	-	-
13	जगदलपुर	मारकैल / जडीगुडा	चालू	-	-	-
14	जगदलपुर	कालीपुर	चालू	-	-	-
15	जगदलपुर	करतूरी (एन.एम.डी.सी.)	चालू	-	-	-
16	जगदलपुर	बम्हनी	चालू	-	-	-
17	जगदलपुर	पुरापाल	चालू	-	-	-
18	जगदलपुर	जामावाडा	चालू	-	-	-
19	जगदलपुर	विलोरी	चालू	-	-	-
20	जगदलपुर	नियानार	चालू	-	-	-
21	जगदलपुर	गाडपाल	चालू	-	-	-
22	जगदलपुर	माडपाल / सातरसा	चालू	-	-	-

क्र.	विकासखण्ड	नलजल योजना के ग्राम का नाम	योजना की स्थिति		बंद का कारण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
			चालू	बंद व मरम्मत योग्य		
1	2	3	4	5	6	7
23	जगदलपुर	पण्डरीपानी	चालू	-	-	-
24	जगदलपुर	साडगुड	चालू	-	-	-
25	जगदलपुर	कुरन्दी	चालू	-	-	-
26	जगदलपुर	उपनपाल	चालू	-	-	-
27	जगदलपुर	बाबू सेमरा	चालू	-	-	-
28	जगदलपुर	चोकावाड़ा	चालू	-	-	-
29	जगदलपुर	बिलोरी	चालू	-	-	-
30	जगदलपुर	तुर्रनार	चालू	-	-	-
31	बस्तर	भानपुरी	चालू	-	-	-
32	बस्तर	भैसगांव	चालू	-	-	-
33	बस्तर	सोनारपाल	चालू	-	-	-
34	बस्तर	फरसागुडा	चालू	-	-	-
35	बस्तर	केसरपाल	चालू	-	-	-
36	बस्तर	मुण्डागांव	चालू	-	-	-
37	बस्तर	नंदपुरा	चालू	-	-	-
38	बस्तर	वनियागांव	चालू	-	-	-
39	बस्तर	पाथरी	चालू	-	-	-
40	बस्तर	मधोता	चालू	-	-	-
41	बस्तर	जागमोहलई	चालू	-	-	-
42	बस्तर	कुमालगांव	चालू	-	-	-
43	बस्तर	दोकर	चालू	-	-	-
44	बस्तर	रुद्रापाल	चालू	-	-	-
45	बस्तर	खोरखोसा	चालू	-	-	-
46	बस्तर	जफका	चालू	-	-	-
47	बस्तर	गोरिया	चालू	-	-	-
48	बस्तर	कलचूर	चालू	-	-	-
49	बस्तर	देवड़ा	चालू	-	-	-

क्र.	विकासखण्ड	नलजल योजना के ग्राम का नाम	योजना की स्थिति		बंद का कारण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
			चालू	बंद व मरम्मत योग्य		
1	2	3	4	5	6	7
50	बस्तर	भोन्ड	-	बंद	पावर पम्प खराब होने व नलकूप में असामाजिक तत्व द्वारा पत्थर इत्यादि भर दिये जाने के कारण	योजना पंचायत को संचालन/संधारण हेतु हस्तांतरित है। विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को तकनीकी सलाह दी गई। तदनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पावर पंप सुधार हेतु एजेन्सी को दिया गया है।
51	बस्तर	तुरपुरा	चालू	-	-	-
52	बस्तर	रोतमा	चालू	-	-	-
53	बस्तर	तालुर	चालू	-	-	-
54	बस्तर	कुगारपाल	चालू	-	-	-
55	बस्तर	बालेंगा	चालू	-	-	-
56	बस्तर	राजपुर	चालू	-	-	-
57	बस्तर	शिवनी	चालू	-	-	-
58	बस्तर	बडेआमाबाल	चालू	-	-	-
59	बकावण्ड	पाहुरबेल	चालू	-	-	-
60	बकावण्ड	छिंदगांव	चालू	-	-	-
61	बकावण्ड	बकावण्ड	चालू	-	-	-
62	बकावण्ड	सजनगर	चालू	-	-	-
63	बकावण्ड	मूली	चालू	-	-	-
64	बकावण्ड	सरगीपाल	चालू	-	-	-
65	बकावण्ड	करपावण्ड	चालू	-	-	-
66	बकावण्ड	जैतगिरी	चालू	-	-	-
67	बकावण्ड	गंमनार	चालू	-	-	-
68	बकावण्ड	जैबेल	चालू	-	-	-
69	बकावण्ड	छोटेदेवडा	चालू	-	-	-
70	बकावण्ड	तारापुर	चालू	-	-	-
71	बकावण्ड	करितगांव	चालू	-	-	-
72	बकावण्ड	कोसमी	चालू	-	-	-

क्र.	विकासखण्ड	नलजल योजना के ग्राम का नाम	योजना की स्थिति		बंद का कारण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
			चालू	बंद व मरम्मत योग्य		
1	2	3	4	5	6	7
73	बकावण्ड	कोलावल	चालू	-	-	-
74	बकावण्ड	भेजरीपदर	चालू	-	-	-
75	बकावण्ड	सौतपुर	चालू	-	-	-
76	बकावण्ड	मोगरापाल	चालू	-	-	-
77	बकावण्ड	चिऊरगांव	चालू	-	-	-
78	बकावण्ड	किजोली	चालू	-	-	-
79	बकावण्ड	बजावण्ड	चालू	-	-	-
80	बकावण्ड	मालगांव	चालू	-	-	-
81	बकावण्ड	बदलावण्ड	चालू	-	-	-
82	बकावण्ड	सोनपुर	चालू	-	-	-
83	बकावण्ड	उलनार	चालू	-	-	-
84	तोकापाल	तोकापाल	चालू	-	-	-
85	तोकापाल	बड़ेआरापुर	चालू	-	-	-
86	तोकापाल	बड़ेमौरठपाल	चालू	-	-	-
87	तोकापाल	राजूर	चालू	-	-	-
88	तोकापाल	रायकोट	चालू	-	-	-
89	तोकापाल	साकरगांव	चालू	-	-	-
90	तोकापाल	केशलूर	चालू	-	-	-
91	तोकापाल	परपा	चालू	-	-	-
92	तोकापाल	छापरभानपुरी	चालू	-	-	-
93	तोकापाल	एर्राकोट	चालू	-	-	-
94	तोकापाल	सालेपाल	चालू	-	-	-
95	तोकापाल	करंजी	चालू	-	-	-
96	तोकापाल	सिरिसगुड़ा	चालू	-	-	-
97	तोकापाल	पलवा	चालू	-	-	-
98	तोकापाल	कोयपाल	चालू	-	-	-
99	बास्तानार	बड़ेकिलेपाल	चालू	-	-	-
100	बास्तानार	बास्तानार	चालू	-	-	-

क्र.	विकासखण्ड	नलजल योजना के ग्राम का नाम	योजना की स्थिति		बंद का कारण	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
			चालू	बंद व मरम्मत योग्य		
1	2	3	4	5	6	7
101	बास्तानार	ईरपा	चालू	-	-	-
102	बास्तानार	बड़े बोदेनार	चालू	-	-	-
103	दरभा	दरभा	चालू	-	-	-
104	दरभा	नेगानार	चालू	-	-	-
105	दरभा	छिन्दावाड़ा	चालू	-	-	-
106	दरभा	तिरथगढ़	चालू	-	-	-
107	दरभा	कामानार	चालू	-	-	-
108	दरभा	तिगपाल	चालू	-	-	-
109	दरभा	मावलीपदर	चालू	-	-	-
110	दरभा	पखनार	चालू	-	-	-
111	दरभा	छिन्दबहार	चालू	-	-	-
112	लोहण्डीगुड़ा	उसरीबेड़ा	चालू	-	-	-
113	लोहण्डीगुड़ा	कुम्हली	चालू	-	-	-
114	लोहण्डीगुड़ा	अलनार	चालू	-	-	-
115	लोहण्डीगुड़ा	बेलर	चालू	-	-	-
116	लोहण्डीगुड़ा	कोडेबेड़ा	चालू	-	-	-
117	लोहण्डीगुड़ा	बडांजी	चालू	-	-	-
118	लोहण्डीगुड़ा	बडेधाराउर	चालू	-	-	-

परिशिष्ट "सैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 397) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य विवरण			व्यय राशि (लाख में)
				कार्य का नाम	भौतिक	स्वीकृत राशि (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	रायपुर	2018-19	शहरी वृक्षारोपण मुक्तिधाम घुलघुल द्वितीय वर्ष कार्य	11.3 हे.	3.969	1.497
2	रायपुर	रायपुर	2018-19	शहरी वृक्षारोपण मुक्तिधाम कोहका द्वितीय वर्ष कार्य	8.2 हे.	2.880	1.435
3	रायपुर	रायपुर	2018-19	शहरी वृक्षारोपण विलाडी भाग-1 द्वितीय वर्ष कार्य	19.9 हे.	6.990	2.896
4	रायपुर	रायपुर	2018-19	शहरी वृक्षारोपण विलाडी भाग-2 द्वितीय वर्ष कार्य	24.1 हे.	8.465	0.000
5	रायपुर	रायपुर	2018-19	ऑकसीवन वृक्षारोपण सोनडोंगरी द्वितीय वर्ष कार्य	10 हे.	3.513	3.512
6	रायपुर	रायपुर	2018-19	ऑकसीवन वृक्षारोपण पंचशील नगर द्वितीय वर्ष कार्य	0.2 हे.	0.070	0.070
7	रायपुर	रायपुर	2018-19	ऑकसीवन वृक्षारोपण पं. विशंकर विश्वविद्यालय द्वितीय वर्ष कार्य	7.2 हे.	2.529	2.529
8	रायपुर	रायपुर	2018-19	गुप्त डायलिंग वनमण्डल स्तर (बी.एस.एन.एल.बिल)	1 नग	62.340	62.340
9	रायपुर	रायपुर	2018-19	जियोमेटिक सेटर के संचालन हेतु ऑपरेटर का वेतन रायपुर	1 नग	1.920	1.920
10	रायपुर	रायपुर	2018-19	कम्प्यूटर ऑपरेटर का वेतन	1 नग	1.650	1.650
11	रायपुर	रायपुर	2018-19	जी.आई.एस. ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर का वेतन	1 नग	1.620	1.620
12	रायपुर	रायपुर	2018-19	ऑकसीवन वृक्षारोपण राजस्व भूमि सिरवे पंचम वर्ष	10 हे.	1.400	0.000
13	रायपुर	रायपुर	2018-19	विशेष प्रजाति अतिरिक्त वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 50 मोहरेंगा पंचम वर्ष कार्य	18 हे.	0.447	0.447
14	रायपुर	रायपुर	2018-19	क्षतिपूर्ति वनीकरण पवनई जलाशय परि. राजस्व भूमि ख.नं. 603/11 एवं 321 आठवा वर्ष कार्य	13.874 हे.	0.290	0.000
15	रायपुर	रायपुर	2018-19	कार्यशाला प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु रायपुर	1 नग	3.000	2.745
16	रायपुर	रायपुर	2018-19	जियोमेटिक सेटर के संचालन हेतु वेतन देयक	1 नग	3.540	3.538
17	रायपुर	रायपुर	2018-19	मुख्य वन संरक्षक (कार्यआयोजना) रायपुर- सर्वे मजदूरी मानचित्रकार/कम्प्यूटर ऑपरेटर जॉबदर	1 नग	4.730	0.000
18	रायपुर	रायपुर	2018-19	वन संरक्षक (कार्यआयोजना) रायपुर- सर्वे मजदूरी मानचित्रकार/कम्प्यूटर ऑपरेटर जॉबदर	1 नग	5.380	0.000
19	रायपुर	रायपुर	2018-19	वनमण्डलाधिकारी रायपुर- 1. कंसलटेंट (जॉबदर) 2. सर्वे मजदूरी मानचित्रकार/कम्प्यूटर ऑपरेटर जॉबदर	1 नग	7.100	4.550
20	रायपुर	रायपुर	2018-19	क्षतिपूर्ति वनीकरण राजस्व भूमि भिभौरी भाग-1 सप्तम वर्ष कार्य	3.854 हे.	0.179	0.158
21	रायपुर	रायपुर	2018-19	क्षतिपूर्ति वनीकरण राजस्व भूमि भिभौरी भाग-2 सप्तम वर्ष कार्य	3.528 हे.	0.164	0.159

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत वन विकास			व्यय राशि (लाख में)
				कार्य का नाम	भौतिक	स्वीकृत राशि (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	रायपुर	रायपुर	2018-19	भूतिपूर्ति बनीकरण राजस्व भूमि भिंभौरी भाग-3 सातम वर्ष कार्य	0.809 हे.	0.030	0.030
23	रायपुर	रायपुर	2018-19	भूतिपूर्ति बनीकरण राजस्व भूमि भिंभौरी भाग-4 सातम वर्ष कार्य	15.58 हे.	0.723	0.662
24	रायपुर	रायपुर	2018-19	तालाब निर्माण कक्ष कर्मांक 40 थिलाडी	1 नग	5.400	5.400
25	रायपुर	रायपुर	2018-19	तालाब निर्माण कक्ष कर्मांक 50 खौलीडवरी	1 नग	4.700	4.690
26	रायपुर	रायपुर	2018-19	तालाब निर्माण संरक्षित वन सरोरा	1 नग	6.090	6.080
27	रायपुर	रायपुर	2018-19	बी.एस.एन.एल. सीम भुगतान वनमण्डल स्तर	1 नग	31.170	31.170
योग रायपुर परिक्षेत्र :-						170.289	139.098
28	रायपुर	औषधीय पादप बोर्ड रायपुर	2018-19	औषधि पौधों का संरक्षण एवं विकास कार्य		10.000	0.000
29	रायपुर	औषधीय पादप बोर्ड रायपुर	2018-19	पी.वी.आर. निर्माण (लोक जैव विविधता पंजी)		12.000	0.000
30	रायपुर	औषधीय पादप बोर्ड रायपुर	2018-19	वर्कशाप/फिल्म/डाटा तैयारी		14.000	0.000
31	रायपुर	औषधीय पादप बोर्ड रायपुर	2018-19	वेतन भुगतान		46.990	9.110
32	रायपुर	औषधीय पादप बोर्ड रायपुर	2018-19	सामग्री क्रय		1.980	0.000
योग औषधीय पादप बोर्ड :-						83.980	9.110
33	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	नदी तट वृक्षारोपण सेमरा पंचम वर्ष	20 हे.	0.560	0.560
34	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	सिंचित वृक्षारोपण कठिया पंचम वर्ष कार्य	15 हे.	1.570	1.570
35	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	तरा नर्सरी में चैनलिक फॉरिंग	1	69.670	60.200
36	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	तरा नर्सरी में 01 लाख टॉल प्लांट तैयारी	100000 पीधे	95.400	52.540
37	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	बॉटनिकल गार्डन हाईटेक रोपणी नर्सरी फिलिंग कार्य भाग-1	1 नग	4.930	3.450
38	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	बॉटनिकल गार्डन हाईटेक रोपणी बुम इरिगेशन हेतु फिलिंग कार्य भाग-1	1 नग	2.270	2.110
39	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	बॉटनिकल गार्डन हाईटेक रोपणी बुम इरिगेशन हेतु फिलिंग कार्य भाग-2	1 नग	3.770	3.490
40	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	बॉटनिकल गार्डन हाईटेक रोपणी बुम इरिगेशन हेतु फिलिंग कार्य भाग-3	1 नग	3.660	3.490

9

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य विवरण			व्यय राशि (लाख में)
				कार्य का नाम	भौतिक	स्वीकृत राशि (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	बॉटनिकल गार्डन हाईटेक रोपणी बुम ईरिगेशन हेतु फिलिंग कार्य भाग-4	1 नग	3.660	3.490
42	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	नाली निर्माण कार्य	1 नग	4.910	3.920
43	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	हाईटेक नर्सरी में जल निकासी कार्य	1 नग	71.000	71.000
44	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत कनेक्शन ट्रांसफार्मर एवं भूमिगत लाईन व्यवर्तन हाईटेक नर्सरी	1 नग	63.530	58.250
45	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	ऑक्सीजन वृक्षारोपण राखी पंचम वर्ष	14 हे.	1.960	0.000
46	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	ऑक्सीजन वृक्षारोपण नवागांव उगेतरा पंचम वर्ष	20 हे.	2.800	0.000
47	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	कैम्पा मद से अधिकारियो एवं कर्मचारियो की दक्षता निर्माण हेतु कार्यशाला आयोजन	1 नग	1.500	1.500
48	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	बाटनिकल गार्डन में 06 कतार में सघन पंक्ति रोपण	30000 नग	4.500	4.500
49	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	बॉटनिकल गार्डन बाउण्ड्रीवाल के किनारे 62000 पौधा रोपण	62000 नग	2.500	2.500
योग नवा रायपुर परिक्षेत्र :-						338.190	272.570
50	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	अनु. एवं वि. परिक्षेत्र रायपुर जोरा रोपणी उन्नयन कार्य	1 नग	15.190	5.370
51	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	विशिष्ट प्रजाति अरिचिंत वृक्षारोपण राजस्व भूमि ग्राम कुम्हारी द्वितीय वर्ष कार्य	10 हे.	4.050	1.554
52	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	ऑक्सिजन वृक्षारोपण गोदी चतुर्थ वर्ष कार्य	10 हे.	1.400	1.400
53	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	वर्मी कम्पोस्ट एवं वर्मी वॉश यूनिट निर्माण कार्य गोदी रोपणी	1 नग	4.550	3.500
54	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	वर्मी कम्पोस्ट एवं वर्मी वॉश यूनिट निर्माण कार्य जोरा रोपणी	2 नग	4.550	3.310
55	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	वर्मी कम्पोस्ट एवं वर्मी वॉश यूनिट निर्माण कार्य तोरला रोपणी	3 नग	4.550	2.450
56	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	टिशु कल्चर लैब गोदी में आवश्यक सामग्री केमिकल आदि पर व्यय	1 नग	12.500	12.380
57	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य कक्ष क्रमांक 241 महाराजी (2018-19)	20 हे.	11.630	0.000
58	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य तोरला रोपणी (2018-19)	10 हे.	9.570	2.710
59	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य सिनौधा (2012-13)	20 हे.	3.450	2.330
60	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य खपरी कक्ष क्र. 47 (2011-12)	20 हे.	3.450	2.920
61	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य खपरी कक्ष क्र. 47 (2013-14)	20 हे.	4.400	3.010

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	हरीकृषि कार्य विवरण		भौतिक	स्वीकृत राशि (लाख में)	अनुमानित राशि
				कार्य का नाम	विवरण			
1	2	3	4	5		6	7	8
62	रायपुर	अनु. एवं विस्तार परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य खपरी कडक क्र. 47 (2012-13)		25 हे.	3.250	2.850
63	रायपुर	अनु. एवं विस्तार परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य छतोद "अ" (2012-13)		12 हे.	3.000	1.400
64	रायपुर	अनु. एवं विस्तार परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य छतोद "ब" (2012-13)		23 हे.	3.500	2.400
65	रायपुर	अनु. एवं विस्तार परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य छतोद "स" (2012-13)		10 हे.	3.150	2.350
66	रायपुर	अनु. एवं विस्तार परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य गोरखेडा (2011-12)		25 हे.	3.550	2.650
67	रायपुर	अनु. एवं विस्तार परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य मनोहरा (2012-13)		14 हे.	3.050	2.240
68	रायपुर	अनु. एवं विस्तार परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य कुरुद (2011-12)		20 हे.	3.350	1.990
69	रायपुर	अनु. एवं विस्तार परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य गोडी "द" (2012-13)		10 हे.	2.950	2.290
70	रायपुर	अनु. एवं विस्तार परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य गोडी "द" (2012-13)		20 हे.	3.350	2.510
योग अनुसंधान एवं परिक्षेत्र रायपुर :-							108.740	61.634
71	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	नदी तट वृक्षारोपण कोपरा द्वितीय वर्ष कार्य		12 हे.	4.400	4.400
72	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	नदी तट वृक्षारोपण कोपरा भेण्डारी द्वितीय वर्ष कार्य		17 हे.	6.240	6.240
73	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	नदी तट वृक्षारोपण कोपरा सिरसिदा द्वितीय वर्ष कार्य		15 हे.	5.510	5.510
74	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	नदी तट वृक्षारोपण कोपरा रांवड द्वितीय वर्ष कार्य		10 हे.	3.670	3.670
75	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	ग्राम वन वृक्षारोपण धमनी द्वितीय वर्ष कार्य		10 हे.	4.050	4.050
76	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	ग्राम वन वृक्षारोपण जेंजरा द्वितीय वर्ष कार्य		15 हे.	6.080	6.080
77	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	ग्राम वन वृक्षारोपण पाहंदा द्वितीय वर्ष कार्य		30 हे.	12.170	12.170
78	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	ग्राम वन वृक्षारोपण पेण्डा द्वितीय वर्ष कार्य		10 हे.	4.050	4.050
79	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	ग्राम वन वृक्षारोपण उगेतरा द्वितीय वर्ष कार्य		10 हे.	4.050	4.050

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य विवरण			व्यय राशि (लाख में)
				कार्य का नाम	भौतिक	स्वीकृत राशि (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	बॉटनिकल गार्डन हाईटेक रोपणी बुम ईरिगेशन हेतु फिलिंग कार्य भाग-4	1 नग	3.660	3.490
42	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	नाली निर्माण कार्य	1 नग	4.910	3.920
43	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	हाईटेक नर्सरी में जल निकासी कार्य	1 नग	71.000	71.000
44	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत कनेक्शन ट्रांसफार्मर एवं भूमिगत लाईन व्यपवर्तन हाईटेक नर्सरी	1 नग	63.530	58.250
45	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	ऑक्सीजन वृक्षारोपण राखी पंचम वर्ष	14 हे.	1.960	0.000
46	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	ऑक्सीजन वृक्षारोपण नवागांव उगेतरा पंचम वर्ष	20 हे.	2.800	0.000
47	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	कैम्पा मद से अधिकारियो एवं कर्मचारियो की दक्षता निर्माण हेतु कार्यशाला आयोजन	1 नग	1.500	1.500
48	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	बॉटनिकल गार्डन में 06 कतार में सघन पंक्ति रोपण	30000 नग	4.500	4.500
49	रायपुर	नवा रायपुर	2018-19	बॉटनिकल गार्डन बाउण्ड्रीवाल के किनारे 62000 पौधा रोपण	62000 नग	2.500	2.500
योग नवा रायपुर परिक्षेत्र :-						338.190	272.570
50	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	अनु. एवं वि. परिक्षेत्र रायपुर जोरा रोपणी उन्नयन कार्य	1 नग	15.190	5.370
51	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	विशिष्ट प्रजाति अरिचित वृक्षारोपण राजरख भूमि ग्राम कुम्हारी द्वितीय वर्ष कार्य	10 हे.	4.050	1.554
52	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	ऑक्सीजन वृक्षारोपण गोडी चतुर्थ वर्ष कार्य	10 हे.	1.400	1.400
53	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	वर्मी कम्पोस्ट एवं वर्मी वॉश यूनिट निर्माण कार्य गोडी रोपणी	1 नग	4.550	3.500
54	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	वर्मी कम्पोस्ट एवं वर्मी वॉश यूनिट निर्माण कार्य जोरा रोपणी	2 नग	4.550	3.310
55	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	वर्मी कम्पोस्ट एवं वर्मी वॉश यूनिट निर्माण कार्य तोरला रोपणी	3 नग	4.550	2.450
56	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	टिशु कल्चर लैब गोडी में आवश्यक सामग्री केमिकल आदि पर व्यय	1 नग	12.500	12.380
57	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य कक्ष क्रमांक 241 महाराजी (2018-19)	20 हे.	11.630	0.000
58	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य तोरला रोपणी (2018-19)	10 हे.	9.570	2.710
59	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य सिनौधा (2012-13)	20 हे.	3.450	2.330
60	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य खपरी कक्ष क्र. 47 (2011-12)	20 हे.	3.450	2.920
61	रायपुर	अनु. एवं विस्तर परिक्षेत्र रायपुर	2018-19	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र में रखरखाव एवं अन्य कार्य खपरी कक्ष क्र. 47 (2013-14)	20 हे.	4.400	3.010

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य विवरण			व्यय राशि (लाख में)
				कार्य का नाम	भौतिक	स्वीकृत राशि (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
80	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	नदी तट वृक्षारोपण चन्द्रसुर चतुर्थ वर्ष कार्य	25 हे.	0.675	0.675
81	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	नदी तट वृक्षारोपण चंदना पंचम वर्ष	20 हे.	0.560	0.560
82	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	नदी तट वृक्षारोपण पितईबंध पंचम वर्ष	20 हे.	0.560	0.560
83	रायपुर	राजिम इकाई	2018-19	नदी तट वृक्षारोपण कुरु सकेरा पंचम वर्ष	10 हे.	0.280	0.280
योग राजिम इकाई :-						52.295	52.295
84	रायपुर	महासमुंद इकाई	2018-19	वनपाल/उपवनक्षेत्रपाल आवास भवन महासमुंद	1 नग	8.050	0.000
85	रायपुर	महासमुंद इकाई	2018-19	परिक्षेत्र महासमुंद रोपणी उन्नयन कार्य शासकीय रोपणी महामसुंद	1 नग	17.500	6.500
योग महासमुंद इकाई :-						25.550	6.500
कुलयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 रायपुर वनमंडल						779.044	541.207
1	रायपुर	रायपुर	2019-20	नरवा गरुवा घुरुवा बाडी प्रशिक्षण सह कार्यआयोजना निर्माण कार्यशाला	1 नग	0.750	0.750
2	रायपुर	रायपुर	2019-20	मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा कैम्पा कार्यों की समीक्षा कार्यशाला	1 नग	5.000	5.000
3	रायपुर	रायपुर	2019-20	नरवा गरुवा क्रे डी.पी.आर. तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	1 नग	1.300	1.300
4	रायपुर	रायपुर	2019-20	एंगल आयरन युक्त चैनलिंग फेंसिंग कार्य बिलाडी परिसर कक्ष क्र. 40 एवं 41 चैनलिंग कार्य	13500 र.मी.	244.290	127.290
5	रायपुर	रायपुर	2019-20	चैनलिंग कार्य कक्ष क्र. 43, सरोरा	9500 र.मी.	171.910	117.510
6	रायपुर	रायपुर	2019-20	चैनलिंग कार्य कक्ष क्र. 48, एवं 49 खौलीडबरी (मोहरेंगा)	6000 र.मी.	108.570	87.600
7	रायपुर	रायपुर	2019-20	वनरक्षक आवास भवन निर्माण कार्य पर्यावरण एवं वन्यप्राणी चेतना केन्द्र मोहरेंगा	1 नग	5.470	5.460
8	रायपुर	रायपुर	2019-20	नेचर हैबिटेट डेव्हलपमेंट पर्यावरण एवं वन्यप्राणी चेतना केन्द्र मोहरेंगा के विकास कार्य हेतु चैनलिंग फेंसिंग कार्य मोहरेंगा कक्ष क्र. 49, 50 एवं 51	3321 र.मी.	113.860	0.000
9	रायपुर	रायपुर	2019-20	नेचर हैबिटेट डेव्हलपमेंट पर्यावरण एवं वन्यप्राणी चेतना केन्द्र मोहरेंगा के विकास कार्य हेतु चैनलिंग फेंसिंग कार्य मोहरेंगा कक्ष क्र. 49, 50 एवं 51	850 र.मी.	29.140	0.000

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य विवरण			व्यय राशि (लाख में)
				कार्य का नाम	मापिक	स्वीकृत राशि (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	रायपुर	रायपुर	2019-20	नेचर हैबिटेट डेव्लपमेंट पर्यावरण एवं वन्यजन्तु चेतना केंद्र मोहरेंगा के विकास कार्य हेतु 1. चैनलिंग फॉरिंग कार्य मोहरेंगा कांस क. 49, 50 एवं 51	12779 र.मी.	438.130	11.430
11	रायपुर	रायपुर	2019-20	2. निरीक्षण मार्ग निर्माण	10 कि.मी.	37.420	35.990
12	रायपुर	रायपुर	2019-20	बी.एस.एन.एल विल भुगतान	1 नग	29.230	29.230
13	रायपुर	रायपुर	2019-20	क्षतिपूर्ति वनीकरण राजस्व भूमि गिंभौरी भाग-1 अष्टम वर्ष कार्य	3.854 हे.	0.080	0.000
14	रायपुर	रायपुर	2019-20	क्षतिपूर्ति वनीकरण राजस्व भूमि गिंभौरी भाग-2 अष्टम वर्ष कार्य	3.528 हे.	0.070	0.000
15	रायपुर	रायपुर	2019-20	क्षतिपूर्ति वनीकरण राजस्व भूमि गिंभौरी भाग-3 अष्टम वर्ष कार्य	0.809 हे.	0.017	0.002
16	रायपुर	रायपुर	2019-20	क्षतिपूर्ति वनीकरण राजस्व भूमि गिंभौरी भाग-4 अष्टम वर्ष कार्य	15.58 हे.	0.325	0.000
17	रायपुर	रायपुर	2019-20	क्षतिपूर्ति वनीकरण पवनई जलाशय परि. राजस्व भूमि ख.नं. 603/11 एवं 321 आठवा वर्ष कार्य	13.874 हे.	0.770	0.000
18	रायपुर	रायपुर	2019-20	ऑक्सीजन वृक्षारोपण सोनडोंगरी तृतीय वर्ष कार्य	10 हे.	2.310	0.590
19	रायपुर	रायपुर	2019-20	ऑक्सीजन वृक्षारोपण पंचशील नगर तृतीय वर्ष कार्य	0.2 हे.	0.040	0.020
20	रायपुर	रायपुर	2019-20	ऑक्सीजन वृक्षारोपण पं. रविशंकर विरदविद्यालय तृतीय वर्ष कार्य	7.2 हे.	1.660	1.160
21	रायपुर	रायपुर	2019-20	शहरी वृक्षारोपण मुक्तिधाम पुनःपुल तृतीय वर्ष कार्य	11.3 हे.	2.610	0.000
22	रायपुर	रायपुर	2019-20	शहरी वृक्षारोपण मुक्तिधाम कोहका तृतीय वर्ष कार्य	8.2 हे.	1.890	0.000
23	रायपुर	रायपुर	2019-20	शहरी वृक्षारोपण विलाडी भाग-1 तृतीय वर्ष कार्य	19.9 हे.	4.600	0.000
24	रायपुर	रायपुर	2019-20	शहरी वृक्षारोपण विलाडी भाग-2 तृतीय वर्ष कार्य	24.1 हे.	5.570	0.000
25	रायपुर	रायपुर	2019-20	बोरवेल खनन एवं सोलर पंप रथापना कार्य सारागांव डिपो	1 नग	5.970	1.200
26	रायपुर	रायपुर	2019-20	अग्नि प्रहरी 15 फरवरी से 16 जून तक रायपुर	32 बीट	11.000	11.000
27	रायपुर	रायपुर	2019-20	वन आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधा विकास कार्य ओवर हेड टैंक निर्माण कार्य	1 नग	8.110	0.000
28	रायपुर	रायपुर	2019-20	वन आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधा विकास कार्य पेयजल व्यवस्था बोर खनन कार्य	1 नग	3.530	0.000
29	रायपुर	रायपुर	2019-20	वन आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधा विकास कार्य बोर पम्प फिटिंग कार्य	1 नग	4.580	0.000
30	रायपुर	रायपुर	2019-20	वन आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधा विकास कार्य पेयजल व्यवस्था कार्य	1 नग	4.680	0.000

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य विवरण			व्यय राशि (लाख में)
				कार्य का नाम	भौतिक	स्वीकृत राशि (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	रायपुर	रायपुर	2019-20	वन आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधा विकास कार्य बाउण्ड्रीवाल निर्माण	1 नग	12.810	6.590
32	रायपुर	रायपुर	2019-20	वन आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधा विकास कार्य गार्ड रूम निर्माण कार्य	1 नग	1.340	0.000
33	रायपुर	रायपुर	2019-20	वन आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधा विकास कार्य गेट निर्माण कार्य	1 नग	1.410	0.000
34	रायपुर	रायपुर	2019-20	वन आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधा विकास कार्य शौचालय निर्माण कार्य	1 नग	3.220	0.000
35	रायपुर	रायपुर	2019-20	वन आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधा विकास कार्य नाली निर्माण कार्य	1 नग	3.890	0.000
36	रायपुर	रायपुर	2019-20	वन आवासीय कॉलोनी में मूलभूत सुविधा विकास कार्य सी.सी. रोड निर्माण कार्य	1 नग	6.820	0.000
योग रायपुर परिक्षेत्र :-						1272.372	440.122
37	रायपुर	नवा रायपुर	2019-20	हार्डटेक नर्सरी बॉटनिकल गार्डन हेतु सामग्री क्रय	1 नग	29.460	0.000
38	रायपुर	नवा रायपुर	2019-20	कांफेस हॉल आंगतुक कक्ष एवं पानी से बचाव हेतु शेड निर्माण कार्य कैम्पा कार्यालय	1 नग	9.070	9.070
39	रायपुर	नवा रायपुर	2019-20	नरवा, गरवा, बाडी, धुरुवा, प्रशिक्षण अरण्य भवन रायपुर	1 नग	8.000	1.250
40	रायपुर	नवा रायपुर	2019-20	अग्नि प्रहरी 15 फरवरी से 16 जून तक रायपुर	24 बीट	8.340	5.160
योग परिक्षेत्र नवा रायपुर :-						54.870	15.480
41	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	एस.पी.ए. बीज उत्पादन क्षेत्र के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं रखरखाव एवं वर्द्धनिक कार्य सागौन अमरुवा 595	43 हे.	6.530	4.070
42	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	एस.पी.ए. बीज उत्पादन क्षेत्र के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं रखरखाव एवं वर्द्धनिक कार्य नवागांव- 159	7 हे.	1.940	1.560
43	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	एस.पी.ए. बीज उत्पादन क्षेत्र के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं रखरखाव एवं वर्द्धनिक कार्य सागौन महाराजी- 241	20 हे.	6.220	3.310
44	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	एस.पी.ए. बीज उत्पादन क्षेत्र के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं रखरखाव एवं वर्द्धनिक कार्य देवपुर 130-132	39.5 हे.	5.040	2.380
45	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	एस.पी.ए. बीज उत्पादन क्षेत्र के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं रखरखाव एवं वर्द्धनिक कार्य आंवला कोरेगांव 81	10 हे.	0.750	0.000
46	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	एस.पी.ए. बीज उत्पादन क्षेत्र के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं रखरखाव एवं वर्द्धनिक कार्य दुगली 478	20 हे.	0.740	0.000

10 Pa

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य विवरण			व्यय राशि (लाख में)
				कार्य का नाम	भौतिक	स्वीकृत राशि (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
47	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	एस.पी.ए. बीज उत्पादन क्षेत्र के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं रखरखाव एवं दृढ़निक कार्य पालगांव 420	10 हे.	0.740	0.000
48	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	वनरक्षक आवास भवन निर्माण जोरा नर्सरी भाग-1	1 नग	5.470	1.890
49	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	वनरक्षक आवास भवन निर्माण जोरा नर्सरी भाग-2	1 नग	5.470	1.940
50	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	वनरक्षक आवास भवन निर्माण गोढ़ी नर्सरी भाग-1	1 नग	5.470	3.160
51	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	वनरक्षक आवास भवन निर्माण गोढ़ी नर्सरी भाग-2	1 नग	5.470	0.590
52	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	वनरक्षक आवास भवन निर्माण मूरा	1 नग	5.470	0.730
53	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	वनरक्षक आवास भवन निर्माण मूरा	1 नग	5.470	3.060
54	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	वनरक्षक आवास भवन निर्माण नवागांव भाग-1	1 नग	5.470	3.150
55	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	टिशु कल्चर लैब गोढ़ी में क्लीनरूप सिस्टम एवं ड्रिफ्टिंग कार्य	1 नग	20.000	0.000
56	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	तकनीक सलाहकार के लंबित भुगतान	1 नग	5.250	4.470
57	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	लोमीनार एयर फ्लोड बेन्चेस का विद्युत उपकरण का, मरम्मत एवं रखरखाव कार्य	1 नग	7.000	0.000
58	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	ऑक्सीजन वृक्षारोपण गोढ़ी पंचम वर्ष कार्य	10 हे.	1.400	1.220
59	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	विशिष्ट प्रजाति असिंचित वृक्षारोपण राजस्व भूमि ग्राम कुम्हारी तृतीय वर्ष कार्य	10 हे.	1.650	0.000
60	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	वनपाल/उप वनपाल आवास भवन जोरा नर्सरी	1 नग	8.050	2.300
61	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	वनपाल आवास भवन गोढ़ी नर्सरी	1 नग	8.050	2.300
62	रायपुर	अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर	2019-20	वनरक्षक आवास भवन नवागांव भाग-2	1 नग	5.470	0.580
योग - अनुसंधान एवं विस्तार, रायपुर						117.120	36.710

क्र.	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य विवरण			व्यय राशि (लाख में)
				कार्य का नाम	भौतिक	स्वीकृत राशि (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
63	रायपुर	राजिम इकाई	2019-20	ग्राम वन वृक्षारोपण धमनी तृतीय वर्ष कार्य	10 हे.	1.657	1.650
64	रायपुर	राजिम इकाई	2019-20	ग्राम वन वृक्षारोपण जैजरा तृतीय वर्ष कार्य	15 हे.	2.485	2.350
65	रायपुर	राजिम इकाई	2019-20	ग्राम वन वृक्षारोपण पाहंदा तृतीय वर्ष कार्य	30 हे.	4.970	4.580
66	रायपुर	राजिम इकाई	2019-20	ग्राम वन वृक्षारोपण पेण्डा तृतीय वर्ष कार्य	10 हे.	1.657	1.600
67	रायपुर	राजिम इकाई	2019-20	ग्राम वन वृक्षारोपण उगेतरा तृतीय वर्ष कार्य	10 हे.	1.657	1.657
68	रायपुर	राजिम इकाई	2019-20	नदी तट वृक्षारोपण कोपरा तृतीय वर्ष कार्य	12 हे.	3.130	3.110
69	रायपुर	राजिम इकाई	2019-20	नदी तट वृक्षारोपण भेण्डारी तृतीय वर्ष कार्य	17 हे.	4.440	1.400
70	रायपुर	राजिम इकाई	2019-20	नदी तट वृक्षारोपण सिरसिदा तृतीय वर्ष कार्य	15 हे.	3.910	2.100
71	रायपुर	राजिम इकाई	2019-20	नदी तट वृक्षारोपण रांवड तृतीय वर्ष कार्य	10 हे.	2.610	1.580
72	रायपुर	राजिम इकाई	2019-20	नदी तट वृक्षारोपण चन्द्रसुर पंचम वर्ष कार्य	25 हे.	0.700	0.700
योग राजिम इकाई :-						27.216	20.727
कुलयोग वित्तीय वर्ष 2019-20 रायपुर वनमण्डल						1471.578	513.039
महायोग वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 रायपुर वनमण्डल						2250.622	1054.246

परिशिष्ट "अड़तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 398) के भाग (क) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2019-20 अंतर्गत धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में खनित नलकूपों की ग्रामवार अद्यतन स्थिति

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	लोकेशन	कुल खनित नलकूप की संख्या	सफल	असफल
1	2	3	4	5	6	7
1	धरसीवा	देवरी	मुक्तिधाम के पास	1	0	1
2	धरसीवा	गणेशी	गौठान के पास	1	1	0
3	धरसीवा	जरीदा	गौठान के पास	1	1	0
4	धरसीवा	छोरीखेड़ी	छप्पन तालाब के पास	1	1	0
5	धरसीवा	मांढर	गैसाही तालाब, स्टेशन के पास	1	1	0
6	धरसीवा	धरसीवा	आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 05 के सामने	1	1	0
7	धरसीवा	पंडरगट्टा	पानी टंकी के पास	1	1	0
8	धरसीवा	टेकारी	बजरंग मंदिर के पास, शिवानी पेट्रोल पम्प	1	1	0
9	धरसीवा	भनली	भाठापारा, अश्वनी साहू के घर के पास	1	1	0
10	धरसीवा	देवरी	वाघ के पास	1	0	1
11	धरसीवा	छोरीखेड़ी	दमरुई मंदिर के पास	1	0	1
12	धरसीवा	गोहगांव	भाठापारा, शिव भारती के घर के पास	1	1	0
13	धरसीवा	गुमा	दुर्गा मंदिर के पास	1	0	1
14	धरसीवा	भिधौरी	भाठापारा, परदेसीराम सतनामी के घर के पास	1	1	0
15	धरसीवा	गुमा	दरी तालाब के पास	1	0	1
16	धरसीवा	भनली	आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 02	1	1	0
17	धरसीवा	टेकारी	नयापारा, आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 02	1	1	0
18	धरसीवा	जरीदा	आंगनवाड़ी केन्द्र क्र.-04, मॉडल इद्रा आवास	1	0	1
19	धरसीवा	गुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 01, बाजार चौक	1	1	0
20	धरसीवा	मांढर	महागाथा पारा, आशाराम साहू के घर के पास	1	1	0
21	धरसीवा	सकरी	बाजार चौक, हरिशंकर साहू के घर के पास	1	1	0
22	धरसीवा	कुरुद सिलयारी	आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 04	1	1	0
23	धरसीवा	जरीदा	चारागाह, मुक्तिधाम के पास	1	1	0
24	धरसीवा	देवरी	गौठान में	1	1	0
25	धरसीवा	धरसीवा	वार्ड नं. 03, दौलत धोवर के घर के पास	1	1	0

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	लोकेशन	कुल खनित नलकूप की संख्या	सफल	असफल
1	2	3	4	5	6	7
26	धरसीवा	देवरी	रेशम केन्द्र	1	1	0
27	धरसीवा	टेकारी	रेशम केन्द्र प्रांगण	1	0	1
28	धरसीवा	सेरीखेड़ी	सिब्ल फार्म के पीछे	1	1	0
29	धरसीवा	निलजा	आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 01 के पास	1	1	0
30	धरसीवा	कुरुद सिलयारी	सतनामी पारा, सतनामी समाज	1	1	0
31	धरसीवा	परसतराई	मुक्तिधाम	1	1	0
32	धरसीवा	धरसीवा	साहू पारा, वार्ड नं. 01	1	1	0
33	धरसीवा	सिलतरा	टेलवार पारा, राजेश वर्मा के घर के पास	1	0	1
34	धरसीवा	सांकरा	निमोरा रोड, लक्ष्मी नगर	1	1	0
35	धरसीवा	धनेली	आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 04 के पास	1	0	1
36	धरसीवा	मलौद	मनराखन धीवर के घर के पास	1	0	1
37	धरसीवा	टेकारी	छोटेनाला के पास	1	1	0
38	धरसीवा	पंडरभाट्टा	दहियानपारा, पांडे तालाब के पास	1	1	0
39	धरसीवा	चरोदा	नीम पारा	1	0	1
40	तिल्दा	गैतरा	शा0 प्राथमिक शाला प्रांगण	1	0	1
41	तिल्दा	देवगांव	अमली तालाब, शा0 प्राथमिक शाला प्रांगण	1	0	1
42	तिल्दा	मोहरेंगा	भाठापारा, तालाब के पास	1	0	1
43	तिल्दा	असौंदा	पानी टंकी के पास	1	1	0
44	तिल्दा	कनकी	वार्ड नं. 16	1	1	0
45	तिल्दा	आलेसुर	आलेसुर रोड, नहर के पास	1	1	0
46	तिल्दा	खरोरा	वार्ड नं. 01, बाबूलाल नायक के घर के पास	1	0	1
47	तिल्दा	चिचोली	भाठापारा, यात्री प्रतिकालय के पीछे	1	1	0
48	तिल्दा	बुढ़ेनी	मंडी प्रांगण में	1	0	1
49	तिल्दा	कोदवा	सुमित्रा साहू के घर के पास	1	1	0
50	तिल्दा	बरतोरी	भाठापारा, पानी टंकी के पास	1	0	1
51	तिल्दा	कनकी	शा0 माध्यमिक शाला	1	0	1
52	तिल्दा	मुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 02, गोवर्धन चौक	1	1	0
53	तिल्दा	बरौंडा	आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 02, सतनामी पारा	1	1	0
54	तिल्दा	खौना	आंगनवाड़ी केन्द्र क्र. 03, बजरंग पारा	1	1	0
55	तिल्दा	भेजरीडीह	ठाकुर देव पारा, साधराम के बाड़ी के पास	1	0	1
56	तिल्दा	मुरा	बंजारी मंदिर के पास	1	1	0
57	तिल्दा	धिवरा	इंद्रा कॉलोनी, झग्गर के घर के पास	1	0	1
58	तिल्दा	कुरा	खौना रोड, आजु धिवर के घर के पास	1	1	0

24/0

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	लोकेशन	कुल खनित नलकूप की संख्या	सफल	असफल
1	2	3	4	5	6	7
59		अलमना	सतनामी पारा, कमल गिलहरे के घर के पास	1	0	1
60	तिलवा	बुढेनी	कृषि सपज मंडी	1	0	1
	तिलवा	शीरी	अटल चौक मेन रोड के पास	1	1	0
	तिलवा	बरडोह	भरखट्टी तलाब	1	1	0
63	तिलवा	कनकी	मला स्थल	1	0	1
64	तिलवा	चिगासिया	रोड किनारे, बरडा तालाब	1	1	0
65	तिलवा	पिकरीडीह	भाठापारा, रामकुमार के घर के सामने	1	1	0
66	तिलवा	गौरखेड़ा	भिभौरी रोड डवरी पारा	1	1	0
			कुल	66	43	23

परिशिष्ट "उन्वालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 411) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला राजनांदगांव अंतर्गत हैण्डपंप, नलजल, स्पॉट सोर्स तथा अन्य विभागीय एवं कलेक्टर सेक्टर मद से कराए गये निर्माण की पूर्ण/अपूर्ण (प्रगतिरत) की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	क्रियान्वित कार्यों की संख्या					कुल
		पेयजल हेतु नलकूप खनन (हैण्डपंप)	नलजल योजना	स्पॉट सोर्स योजना	सोलर आधारित योजनाएं	पाईप लाईन विस्तार	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2018-19	492	41	0	22	21	576
2	2019-20 में दिसंबर 2019 तक	260	14	0	6	2	282
3	01 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक	191	0	0	55	0	246
योग :-		943	55	0	83	23	1104

103

प्रपत्र "ब"

जिला राजनांदगांव अंतर्गत पेयजल, नलजल, स्पॉट सोर्स तथा अन्य विभागीय एवं कलेक्टर सेक्टर मद से स्वीकृत कार्यों की अद्यतन जानकारी

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्यों का विवरण				निविदा स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण किये गये कार्यों का प्रतिशत भौतिक सत्यापन	कुल भुगतान की गई राशि
		स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यों की संख्या	अप्रारंभ कार्यों की संख्या			
1	2	3	5	6	7	4	8	9
1	2018-19	576	529	47	0	84	100	1114.593
2	2019-20 (अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 तक)	289	262	20	7	29	100	442.114
3	01 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक	316	191	55	70	55	100	895.127
योग :-		1181	982	122	77	168	100	2451.834

परिशिष्ट "चालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 423) के भाग (ग) की जानकारी]

क्र	वृत्त का नाम	जिला यूनिशन का नाम	छात्रों की संख्या	शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के छात्रों को वितरित छात्रवृत्ति की जानकारी (राशि)	भुगतान दिनांक
1	जगदलपुर	बीजापुर	222	1,472,000.00	29.01.2020
			40	179,000.00	27.07.2020
		सुकमा	23	102,000.00	27.07.2020
		दंतेवाड़ा	61	449,500.00	10.01.2020
		जगदलपुर	123	848,000.00	12.12.2019
		योग:-	469	3,050,500.00	
2	कांकेर	कांकेर	282	3,486,000.00	31.01.2020
		केशकाल	52	650,000.00	27.07.2020
		पश्चिम भानुप्रतापपुर	482	5,192,000.00	27.07.2020
		पूर्व भानुप्रतापपुर	524	3,348,000.00	05.12.2019
				671,000.00	15.01.2020
		दक्षिण कोंडागांव	138	695,000.00	10.01.2020
		नारायणपुर	84	359,000.00	28.07.2020
		योग:-	1562	15,139,000.00	
3	दुर्ग	राजनांदगांव	628	716,000.00	31.05.2019
				293,000.00	28.06.2019
				321,000.00	17.09.2019
				3,363,000.00	18.11.2019
				1,743,000.00	31.01.2020
		74	945,500.00	27.07.2020	
		खैरागढ़	298	2,918,500.00	27.07.2020
		बालोद	312	2,716,500.00	27.07.2020
कवर्धा	288	456,000.00	07.02.2020		
		2,460,000.00	03.03.2020		
		योग:-	1600	15,932,500.00	

क्र.	वृत्त का नाम	जिला यूनियन का नाम	छात्रों की संख्या	शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के छात्रों को वितरित छात्रवृत्ति की जानकारी (राशि)	भुगतान दिनांक
4	रायपुर	धमतरी	361	3,259,000.00	27.07.2020
		गरियाबंद	65	1,125,000.00	19.09.2019
			79	1,405,000.00	13.11.2019
			15	295,000.00	10.01.2020
			170	424,000.00	19.09.2019
			190	473,000.00	13.11.2019
			28	69,500.00	10.01.2020
			9	65,000.00	07.02.2020
			4	30,000.00	25.06.2020
			77	369,000.00	07.02.2020
			7	34,000.00	25.07.2020
			महासमुंद	603	182,000.00
				5,343,500.00	05.05.2020
				155,000.00	18.06.2020
				45,000.00	27.06.2020
				163,500.00	30.07.2020
			बलौदाबाजार	272	2,288,500.00
	योग:-	1880	15,726,000.00		
5	बिलासपुर	बिलासपुर	282	2,467,500.00	27.07.2020
		मरवाही	155	664,000.00	23.12.2019
				635,000.00	27.07.2020
		कोरबा	500	4,110,500.00	08.01.2020
		कटघोरा	672	2,397,000.00	28.01.2020
				3,158,000.00	20.02.2020
				618,000.00	08.05.2020
			90,000.00	27.07.2020	
		रायगढ़	869	9,272,500.00	27.07.2020
		धरमजयगढ़	740	5,098,000.00	27.07.2020
जांजगीर-चाम्पा	170	2,143,500.00	27.07.2020		
	योग:-	3388	30,654,000.00		

क्र.	वृत्त का नाम	जिला यूनियन का नाम	छात्रों की संख्या	शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के छात्रों को वितरित छात्रवृत्ति की जानकारी (राशि)	भुगतान दिनांक
6	सरगुजा	सरगुजा	236	2,433,000.00	27.07.2020
		सूरजपुर	366	3,031,500.00	24.07.2020
		बलरामपुर	567	895,000.00	04.12.2019
				584,000.00	06.01.2020
				42,000.00	21.04.2020
				85,000.00	22.04.2020
				207,000.00	24.07.2020
				425,000.00	15.01.2020
				335,000.00	22.01.2020
				590,000.00	28.04.2020
				1,345,000.00	24.07.2020
				660,000.00	01.07.2020
		कोरिया	83	456,500.00	24.07.2020
		मनेन्द्रगढ़	115	398,500.00	28.07.2020
			31	585,000.00	27.07.2020
		जशपुरनगर	182	114,500.00	20.02.2020
				29,000.00	21.02.2020
10,000.00	22.02.2020				
2,190,000.00	23.02.2020				
	योग:-	1580	14,416,000.00		
	महायोग:-	10479	94,918,000.00		

परिशिष्ट "इकचालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 424) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जनवरी 2019 से जून 2020 तक फेल पावर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को बदलने में हुआ व्यय एवं जांच कमेटी का रिपोर्ट की जानकारी

क्र	ट्रांसफार्मर फेल होने का दिनांक	उपकेन्द्र का नाम	ट्रांसफार्मर की क्षमता	जांच कमेटी गठन किया गया अथवा नहीं	जांच कमेटी की सक्षिप्त रिपोर्ट	ट्रांसफार्मर बदलने हेतु व्यय (लाख रु. में)	टिप्पणी
1	18.06.2019	132 के.व्ही. दर्सी	40 एम.व्ही.ए	हाँ	तकनीकी खराबी	324.00	ट्रांसफार्मर आंतरिक तकनीकी खराबी की वजह से फेल होने के कारण कोई दोषी नहीं पाया गया।
2	28.05.2020	400 के.व्ही. खेदामारा	315 एम.व्ही.ए	हाँ	तकनीकी खराबी	व्यय का आकलन प्रक्रियाधीन है।	ट्रांसफार्मर सुधार के लिये निरीक्षण हेतु निर्माणकर्ता फर्म से पत्राचार किया गया है। कोविड काल के कारण निरीक्षण नहीं हो सका है। जिससे ट्रांसफार्मर मरम्मत हेतु व्यय का आकलन नहीं हो पाया है। चूंकि ट्रांसफार्मर तकनीकी खराबी के कारण फेल हुआ है, अतः कोई दोषी नहीं पाया गया।
3	04.04.2020	220 के.व्ही. सुहेला	160 एम.व्ही.ए	गारंटी अवधि में फेल होने के कारण जांच कमेटी के गठन की आवश्यकता नहीं है।	लागू नहीं	ट्रांसफार्मर सुधार कार्य फर्म के व्यय पर किया जाना है।	ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि में फेल होने से सुधार कार्य आपूर्तिकर्ता फर्म के व्यय पर किया जाना है अतः ट्रांसफार्मर बदलने हेतु व्यय के आकलन की आवश्यकता नहीं है।
4	21.06.2020	132 के.व्ही. मोहला	40 एम.व्ही.ए				
5	21.05.2019	132 के.व्ही. दल्लीराजहरा	20 एम.व्ही.ए	कंपनी की प्राथमिक जांच में तकनीकी कारणों से ट्रांसफार्मरों का फेल होना पाए जाने के फलस्वरूप जांच कमेटी का गठन नहीं किया गया।	तकनीकी खराबी के कारण	6.49	ट्रांसफार्मर आंतरिक तकनीकी खराबी की वजह से फेल होने के कारण कोई दोषी नहीं पाया गया।
6	28.09.2019	220 के.व्ही. सिलतरा	40 एम.व्ही.ए			169.00	
7	23.06.2020	220 के.व्ही. सिलतरा	40 एम.व्ही.ए			185.62	

प्रपत्र "ब"

जनवरी 2019 से जून 2020 तक राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत टावर गिरने, सुधार में व्यय एवं जांच कमेटी का रिपोर्ट की जानकारी

क्र	टावर गिरने का दिनांक	लाइन का नाम	स्थान	क्षतिग्रस्त टावरों की संख्या	टावर बदलने हेतु व्यय (लाख रुपये में)	जांच कमेटी का गठन किया गया अथवा नहीं	जांच कमेटी की सक्षिप्त रिपोर्ट	टिप्पणी
1	07.06.2019	220के.व्ही0 कोरबा-मोपका-सिलतरा लाइन	पम्प हाउस कोरबा शहर के पास	01	26.31	नहीं	-	इस लाइन का निर्माण वर्ष 1983 में किया गया था। कंपनी के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 07.06.2019 को क्षेत्र में आये चक्रवाती आंधी-तूफान के कारण उक्त टावर गिरा था, जो प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में है। अतः इस हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है। क्षतिग्रस्त टावर के स्थान पर नया टावर स्थापित कर लाइन में विद्युत प्रवाह दिनांक 13.06.2019 को पुनः चालू कर दिया गया।
2	12.03.2020	132 के व्ही. डीसीडीएस भाटापारा-सिमगा लाइन	ग्राम तरंगा भाटापारा के पास	02	19.70	नहीं	-	इस लाइन का निर्माण वर्ष 1984 में किया गया था, कंपनी के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 12.03.2020 को क्षेत्र में आये चक्रवाती आंधी-तूफान के कारण उक्त टावर गिरे थे, जो प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में है। अतः इस हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है। क्षतिग्रस्त टावरों के स्थान पर नये टावर स्थापित कर लाइन में विद्युत प्रवाह दि. 16.03.2020 को पुनः चालू कर दिया गया।
3	29.05.2020	400 के व्ही. कोरबा-रायता लाइन	ग्राम- बाम्हू एवं टेकर बिलासपुर के पास	03	37.05	02.06.2020	प्राकृतिक आपदा (चक्रवाती आंधी- तूफान के कारण	इस लाइन का निर्माण वर्ष 1985 में किया गया था। जांच कमेटी के प्रतिवेदन अनुसार पाया गया कि दिनांक 29.05.2020 को क्षेत्र में आये अति तीव्र चक्रवाती आंधी-तूफान के कारण उक्त टावर गिरे थे, जो प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में है। अतः इस हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है क्षतिग्रस्त टावरों के स्थान पर नये टावर स्थापित कर लाइन में विद्युत प्रवाह दि. 21.06.2020 को पुनः चालू कर दिया गया।